राजस्थान विधान सभा

द्वितीय बैठक, दिनांक—३ सितम्बर १९५३

[सदन का कार्य ८ बज कर ३२ मिनिट पर प्रारम्भ हुआ।

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

राव राजा श्री सरदारसिंह—अध्यक्ष महोदय, कल मैं टाइम पर ही आगया था। मेरे आग की मोटर श्री अमृतलाल यादव की थी। जब श्री अमृतलालजी यादव को मैंने चोगड पर पीछे फिरते देखा तो मैं भी पीछे फिर गया क्योंकि मोटर के कांच फोड देने का डर था। चारों तरफ दरवाजे बन्द थे। अतः मैं ब्रह्मपुरी में होकर हाउस में आया। अगर ऐसी सिचुएशन हो जाय तो अध्यक्षजी, सवाल पूछने का मौका जरूर दिया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—क्या आप आपके सवाल नहीं पूछना चाहते हैं ? प्रश्न संख्या ८ पूछिये।

प्रश्न संख्या ८ (१/ सी.एम.)

रावराजा श्री सरदारसिंह—क्या न्याय मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) जुरिस्डिक्शनल ठिकाना के दीवानी पॉवर्स के एकीकरण के पश्चात् सरकार ने वहां के अदालती क्षेत्र को विस्तृत करने पर भी वहां की जनता को दीवानी मुकदमात के सम्बन्ध में क्या राहत पहुंचाई है ?

(२) उनियारा में अलीगढ तहसील तथा बूंदी के कुछ गांवों को सम्मिलित करने पर वहां की जनता को छोटे मोटे दीवानी मुकदमात के लिए सरकार द्वारा क्या सुविधा दी गई है ?

(३) क्या सरकार की मंशा ऐसे क्षेत्र में, जहां कि वह सुविधा नहीं है कोई मुन्सिफ अदालत खोलने की है ?

(४) यदि उपरोक्त विषय को कार्यान्वित करने की इच्छा है तो उसमें कितना समय लगेगा ?

श्री चन्दनमल वैद (उप-मंत्री, न्याय विभाग)—(१) अधिकार प्राप्त ठिकाने सीकर, खेतडी तथा उनियारा की दीवानी तथा फौजदारी कला के एकीकरण करने

[श्री चन्दनमल बैद]

तथा उनके लेने के पश्चात् सरकार ने इन ठिकानों की मुकदमा करने वाली जनता की सुविधाओं तथा अन्य समस्त सम्बन्धित विचारों, उदाहरणार्थ कार्य की तादाद तथा उसके आर्थिक परिणामों को ध्यान में रखते हुए या तो ठिकाना के हैडक्वार्टरों पर दीवानी अदालत स्थापित कर दी हैं या उनको निकटतम न्यायालय के अधीन रख दिया है।

(२) उनियारा ठिकाना टोंक के बिलकुल नजदीक है। अलीगढ़ तहसील तथा अन्य क्षेत्रों सहित वह मुन्सिफ कोर्ट टोंक के साथ संलग्न कर दिया गया है। कार्य की मात्रा की दृष्टि से तथा उससे सम्बन्धित खर्चे को ध्यान में रखते हुए, उनियारा में मुन्सिफ के कोर्ट को, जो कि वहां पर प्रारम्भिक रूप में स्थापित किया गया था, चालू रखना न्यायोचित नहीं समझा गया।

(३) जहां तक उनियारा का प्रश्न है वहां पर मुन्सिफ कोर्ट स्थापित करने की सरकार की कोई मंशा नहीं है। उन समस्त स्थानों पर मुन्सिफ कोर्ट स्थापित किये जाते हैं जहां पर दीवानी मुकदमों की तादाद काफी होती है। उन सब तहसीलों तथा सब डिविजनों में, जहां पर काम की तादाद बहुत थोड़ी है, मुंसिफ कोर्ट की स्थापना करना व्यवहारिक नहीं है।

(४) यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

राव राजा श्री सरदारसिंह——क्या सरकार को इसमें भी आपत्ति है कि वहां के एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट (Extra Magistrate) को ही एक्सपेरिमेन्टल मेजर के तौर पर पावर्स दे दिये जांय। अगर इसमें सरकार को आमदनी नजर आवे तो वह इसको रखे, नहीं तो हटा देवे।

श्री चन्दनमल बैद——वहां काम थोड़ा था और इसीलिये पहिले ही से मुन्सिफ को वहां से हटा दिया गया है।

रावराजा श्री सरदारसिंह——जब वहां एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट मौजूद है तो पॉवर्स देने में गवर्नमेंट का क्या एतराज है?

श्री चन्दनमल बैद——अभी सरकार का कोई विचार नहीं है कि वहां के एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट को मुन्सिफी के पावर्स दे दिये जांय।

श्री अध्यक्ष——नैक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६ (२/सी. एम.)

राव राजा श्री सरदारसिंह——क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सच है कि एस. डी. ओ. टोंक मालपुरा के तबादले के अहकाम जारी हुए थे?

Page No.3

[राव राजा श्री सरदारसिंह]

(२) यदि यह सही है तो क्या ये तबादले किसी शिकायत पर किये गये थे ?

(३) यदि किसी कारण से ये आवश्यक थे तो किन कारणों से यह मुलतवी कर दिये गए ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—(१) हां।

(२) नहीं।

(३) पहले केस में तो परिस्थितियों को देख कर गवर्नमेन्ट द्वारा तबादले के आदेश मुल्तवी किए गए और दूसरे केसेज में तबादले की आज्ञा सम्बन्धित अधिकारी की प्रार्थना पर रोकी गई।

श्री अध्यक्ष—धन्यवाद।

प्रश्न संख्या १० (१/आर. एम.)

राव राजा श्री सरदारसिंह—क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) उनियारा, नगर, आवां, बनैठा, अलीगढ इत्यादि में किस कदर पशुओं की संख्या है ?

(२) उनके इलाज के लिए सरकार ने क्या क्या साधन खोल रखे हैं ?

(३) क्या इन स्थानों में से किसी भी कस्बे में पशु-चिकित्सालय है ?

(४) अगर नहीं, तो क्या सरकार कृपा करके यहां पशु चिकित्सालय स्थापित करेगी ?

(५) अगर हां, तो कब तक प्रबन्ध किए जाने की आशा की जावे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (कृषि मंत्री)—(१) इन ग्रामों और नगरों की पशु-संख्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

जिला टोंक के निम्न लिखित आंकड़े हैं :—

सांड और बैल तीन वर्ष से ऊपर	१,०४,६५३
सांड और पाडे तीन वर्ष से ऊपर	३,६८५
गाएं तीन वर्ष से ऊपर	१,४३,४१९
भैंसें तीन वर्ष से ऊपर	६४,८७७
गायें एक साल से तीन साल तक	४१,२५२
बैल एक साल से तीन साल तक	३६,०६२

Page No.4

[श्री मोहन लाल सुखाडिया]

भैंसियें एक साल से तीन साल तक	१५,२०८
पाडे एक साल से तीन साल तक	७,६७२
बछडे एक साल से नीचे	२२,२६०
बछडियें एक साल से नीचे	२४,८२५
पाडे एक साल से नीचे	१०,१३१
पाडियें एक साल से नीचे	१२,४२८

कुल - ४,६६,४३५ है।

(२) ठिकाने के गांवों के पशुओं के इलाज के लिये अभी तक ठिकानों द्वारा प्रबन्ध किया जाता रहा है। राज्य सरकार द्वारा दूसरे गांवों और नगरों में पशु चिकित्सा शाखा द्वारा इलाज किया जाता है। स्टॉकमैन गांवों में दौरा करते हैं और पशुओं का इलाज करते हैं।

(३) जिला टोंक में निम्न लिखित स्थानों में सरकारी पशु चिकित्सालय हैं :-

१. टोंक। २. मालपुरा। ३. निवाई। ४. टोडा रायसिंह। ५. उनियारा।

(४) सरकार इस पर विचार करेगी।

(५) हां, ज्यों ज्यों धन की सुविधा मिलती रहेगी।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु— गधे छोटे कितने हैं और बडे कितने हैं ?

श्री मोहन लाल सुखाडिया— गधों की संख्या मेरे पास नहीं है।

(हंसी)

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु —क्या सरकार इस पर भी विचार करेगी ?

श्री मोहन लाल सुखाडिया — अगर सदस्यों का आग्रह होगा तो।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष —नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ११ (२/आर. एम.)

राव राजा श्री सरदारसिंह—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(१) ठिकाना दूनी का क्या सैटलमेन्ट हो चुका है ?

[रावराजा श्री सरदारसिंह]

(२) अगर होगया है तो कब ?

(३) क्या यह सही है कि ठिकाना दूनी में ठिकाने के पटवारी या सहनों के अलावा राजस्थान सरकार के २० पटवारी व ४० सहने भी कार्य कर रहे हैं और दोनों कागजात की तैयारी व वसूली करते हैं ?

(४) क्या यह सही है कि दोनों अमलों का सर्फा ठिकाना दूनी को बर्दाश्त करना पड़ रहा है ?

(५) जब ठिकाना दूनी का स्टाफ कार्य कर रहा है तो सरकार के स्टाफ का भार ठिकाने पर क्यों डाला जा रहा है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—(१) ठिकाना दूनी में सैटलमेन्ट की कार्यवाही तकरीबन खतम हो चुकी है और सिर्फ पर्चे बांटना बाकी है जो कि शीघ्र ही तकसीम कर दिए जावेंगे ।

(२) हां, सरकार द्वारा सब जागीर-गांवों में पटवारी नियुक्त कर दिये गये हैं । पटवार के कागजात सरकारी पटवारियों द्वारा तैयार किए जाते हैं और उनकी तहवील में ही रहते हैं । ठिकाने के पटवारी ठिकाने की तरफ से सिर्फ वसूली का काम करते हैं ।

(३) नहीं, सरकारी पटवारियों को सरकार द्वारा वेतन दिया जाता है ।

(४) प्रश्न पैदा नहीं होता ।

राव राजा श्री सरदारसिंह—जब ठिकाने के पटवारी क्वालिफाइड हैं तो उनसे क्यों नहीं काम लिया जाता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—राज्य के पटवारियों द्वारा अलग तरीके से काम किया जाता है । जब ठिकानों का इन्टिग्रेशन हो जायगा तो उनके पटवारियों को भी उपयुक्त स्थान मिल जायगा ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १२ (४/एस. एम.)

श्री जवानसिंह—क्या योजना मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) पंचवर्षीय योजना में सिरोही जिले को कितनी और किस किस मद के वास्ते आर्थिक सहायता दी जायेगी और सन् हाल के लिये कितनी रकम मुकर्रर है ?

(ख) क्या दूसरे जिलों के मुकाबले में यह सहायता बराबर है ?

(ग) अगर नहीं, तो उसका क्या कारण है ?

Page No.6

श्री भोगीलाल पंड्या (योजना मंत्री)--(क) पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जिलेवार या तहसीलवार रकम का बंटवारा नहीं किया गया है।

(ख) उपरोक्त जिले के लिए पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रुपये ४,३०,०००) सड़कों के लिए और रुपये १२,५०,०००) भूला नामक तालाब के लिए रखा गया है। पहली रकम में से सन् हाल में ४०,०००) रुपये खर्च किये जावेंगे और दूसरी रकम में सन् हाल के बजट में भूला तालाब के लिए ४,००,०००) रुपये मंजूर हुए हैं।

(ग) इसके अलावा जो योजनाएं सामूहिक रूप से संपूर्ण राजस्थान के कृषि विभाग में प्रत्येक जिले में कार्यान्वित की जाती है वे इस जिले में भी लागू की जा रही हैं और वे निम्न प्रकार हैं:—

(१) पौधों की रक्षा,
(२) टिड्डी से बचाव,
(३) बीज वितरण,
(४) कृषि शिक्षा,
(५) कृषि अन्वेषण, और
(६) अधिक अन्न उपजाओ उपाय आदि।

इसके अतिरिक्त कृषकों को पंपिंग सेट व ट्रेक्टर्स खरीदने के लिए तथा कुओं को गहरा करने के लिए और नए कुए बनवाने के लिए जिला अधिकारियों की सिफारिश पर आवश्यकतानुसार कर्ज दिया जाता है। यह सब योजनाएं पूरे राजस्थान के लिए बनाई गई हैं। जिला विशेष के लिए कोई खास योजना नहीं बनाई गई है।

राजस्थान के गावों में जल की व्यवस्था सुचारू रूप से करने के लिए एक करोड़ रुपया पंचवर्षीय योजना में रखा गया है। इसमें से लगभग १॥ (डेढ़) लाख रुपया सिरोही जिले में खर्च करने की योजना है जो पंचवर्षीय योजना के नियत समय में व्यय की जावेगी।

इसके अलावा ८,०००) रुपये का काम कृष्णा सागर नामक तालाब पर और किया जा रहा है।

चूंकि पंचवर्षीय योजना में रकम का बटवारा जिलेवार या तहसीलवार नहीं किया गया है इसलिए सिरोही जिले की रकम को दूसरे जिलों की रकमों के साथ मुकाबिला किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष—नम्बर।

प्रश्न संख्या १३

श्री सरदारसिंह—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार टोंक जिले को तोड़ कर किशनगढ़ को जिला बनाने की योजना कर रही है?

Page No.7

[श्री सरदारसिंह]

(२) अगर हां, तो मौजूदा टोंक जिले के कौन कौन से गांव व तहसीलें किस किस जिले में मिलाई जावेंगी ?

(३) इस जिले के तोड़ने व किशनगढ़ को जिला बनाने के क्या कारण हैं ?

(४) अगर यह सही है तो यह रद्दोबदल कब तक किए जाने की सम्भावना है ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—(१) टोंक जिले को तोड़कर किशनगढ़ को जिला बनाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

अन्य प्रश्नों के उत्तर आवश्यक नहीं हैं क्योंकि ऐसी कोई योजना ही नहीं है।

प्रश्न संख्या १४

श्री सरदारसिंह—क्या अर्थ मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या जयपुर डिविजन में अब भी झाडशाही का बट्टा वसूल किया जाता है ?

(२) अगर किया जाता है तो सरकार का बन्द करने का क्या कोई विचार है ?

(३) अगर वह बन्द हो गया है तो कब से ?

श्री अमृतलाल यादव—(१) हां बट्टा वसूल भी किया जाता है और दिया भी जाता है।

(२) कोई विचार नहीं है।

(३) यह सवाल नहीं उठता।

श्री सरदारसिंह—जब सब जगह का एकीकरण हो चुका है तो फिर बट्टा क्यों लिया जाता है ?

श्री अमृतलाल यादव—यह तो झाडशाही का डिफरेंस लिया जाता है।

श्री सरदारसिंह—अब भी हार्ड टाइम है क्या, अब भी वार टाइम है क्या ?

श्री अमृतलाल यादव—वार टाइम नहीं, झाड़शाही।

श्री अध्यक्ष—Jhadshahi not war time.

प्रश्न संख्या १५

श्री भवानसिंह—क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या कृषि विभाग के पास एक बहुत कीमती बुलडोजर चार-पांच साल से पड़ा हुआ है ?

(२) अगर हां, तो उसका उपयोग खेती के काम में कब और कहां लिया गया ?

[श्री जवानसिंह]

(३) अगर नहीं किया गया, तो क्यों नहीं ?

(४) इसके दैनिक डेप्रीसियेशन चार्जेज (Depriciation Charges) क्या है ?

(५) इसकी जिन्दगी में अब कितना अरसा बाकी है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)--(१) कृषि विभाग के पास दो बुलडोजर हैं। इनमें से एक पाडासोली में फार्म ऑपरेशन में लगा हुआ है और दूसरा बुलडोजरबुलडोजिंग का काम कर रहा है।

(२) इन बुलडोजरों से फार्म पर व काश्तकारों के खेतों पर उनकी डिमान्ड पर काम किया जाता है।

(३) इन पर डेप्रीसियेशन बुलडोजर कन्टेन्जेंट के साथ लगभग ८) रु० फी घंटा पड़ता है।

(४) इनकी आयु आधी से अधिक बाकी है।

श्री जवानसिंह--इनकी आयु कितनी बाकी है, कृपया यह बताइये ? कितने दिन महीने या साल हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--इनकी आयु घंटों पर होती है। १० हजार घंटे आम तौर से इसकी आयु मानी जाती है।

श्री जवानसिंह--इसके अलावा क्या आपके किसी विभाग के पास हार्वेस्टर भी पड़ा है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--यह अलग से प्रश्न है। इसकी जानकारी प्राप्त की जाकर उत्तर दिया जा सकेगा।

श्री सन्तोषसिंह--यह बुलडोजर किस जगह काम आ रहा है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--आपने मेरा उत्तर अच्छी तरह से सुना होता तो मालूम हो जाता कि एक बुलडोजर पाडासोली में काम आ रहा है और दूसरा बुलडोजिंग का काम काश्तकारों की डिमान्ड पर काम करता है।

श्री सन्तोषसिंह--क्या शेरगढ से इसकी डिमान्ड नहीं आई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--जी नहीं, अभी तक तो नहीं आई।

श्री सन्तोषसिंह--आपने उधर के दौरे नहीं किये नहीं तो डिमान्ड जरूर होती।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--मैंने अर्ज किया कि कोई डिमान्ड नहीं आई। दौरों का कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री राजा हिम्मतसिंह (अटरू)--इन बुलडोजरों से किस बेसिस पर काम दिया जाता है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया--No profit, No loss. पर ।

श्री सन्तोषसिंह--किसी जगह से अगर डिमाण्ड नहीं आई तो क्या सरकार स्वयं ठीक समझते हुए किसी जगह काम पर नहीं भेज सकती ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया--मैं अर्ज करूं कि स्वयं किसी जगह पर भेज देने से कोई मतलब नहीं होता ।

श्री सन्तोषसिंह--डिमान्स्ट्रेशन (प्रदर्शन) के लिए सरकार ऐसे ही भेज दे ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया--डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए एग्जिबिशन (Exhibitions) होती हैं ।

श्री सन्तोषसिंह--क्या इसका किराया भी तय किया गया है और यदि किया गया है तो कितना ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया--मैं अपने उत्तर में यह कह चुका हूं कि ८) रु० के करीब आता है ।

श्री हिम्मतसिंह--जयपुर की एग्जिबिशन में इसका डिमान्स्ट्रेशन किया गया था ?

श्री सन्तोषसिंह--यह आठ रुपया किस हिसाब से लिया जाता है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया--अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किनको उत्तर दूं । एग्जीबिशन में भी दिखाया गया और जो बताया कि 'नो लॉस नो प्रोफिट' के आधार पर चार्जेज किये जाते हैं और यह करीब ८) रु० आता है । उस प्रश्न के उत्तर पर ही आपने ध्यान दिया होता तो आपको दुबारा प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं रहती ।

प्रश्न संख्या १६

श्री जवानसिंह--क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:--

(क) क्या कृषि विभाग के मौजूदा डाइरेक्टर साहब को ही कायमी तौर से नियुक्त किया जा रहा है ?

(ख) अगर हां, तो किस आधार पर ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया--कृषि विभाग के वर्तमान संचालक स्थानापन्न नियुक्ति पर कार्य कर रहे हैं । उनको स्थायी किए जाने का प्रश्न अभी पैदा नहीं हुआ है ।

श्री जवानसिंह--उनके कार्यकाल की अवधि कब समाप्त होती है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया--इसी सितम्बर महीने में, यानि १५ तारीख को ।

श्री जवानसिंह--इसके बाद क्या किया जावेगा ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया--इसके बाद उचित कार्यवाही समय आने पर की जावेगी।

श्री जवानसिंह--समय तो खतम हो रहा है इसी १५ सितम्बर को, तब दूसरा डाइरेक्टर नियुक्त किये जाने के बारे में आपने क्या तय किया है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया--मैंने अर्ज किया कि समय पर कार्यवाही की जावेगी, अभी तो अवधि चल रही है। अवधि समाप्त होने पर कार्यवाही की जावेगी।

श्री जवानसिंह--अवधि तो इसी महीने में समाप्त हो रही है तो क्या इनको ही कायम रक्खेंगे ? अब तो कोई अधिक दिन नहीं है। इस बीच में आपको तय करना होगा। इस मामले को मूव तो कर दिया होगा ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया--मेरा उत्तर स्पष्ट है कि अभी यह प्रश्न विचाराधीन है. समय पर निर्णय किया जावेगा। उनको परमानेन्ट करना या नहीं करना, इसका फैसला अभी नहीं किया है।

श्री सन्तोषसिंह--इसका फैसला तो दो-एक साल में तो हो ही जावेगा, क्यों ?

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १७

श्री जवानसिंह--क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :--

(क) सिरोही जिले में कृष्णावती नदी घाटी योजना के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

(ख) अगर अब तक कुछ नहीं किया गया है, तो क्या भविष्य में इस ओर जल्द ही कार्यवाही की जायगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या (सिंचाई मंत्री)--सिरोही जिले में अभी कृष्णावती घाटी नामकी कोई योजना नहीं है।

इस काम की जांच कराई जायगी और यदि काम लाभदायक सिद्ध हुआ तो लघु सिंचाई योजना में अगले वर्ष यह शामिल कर लिया जायगा।

वैसे आपने यह सुझाव दिया है तो कार्यवाही की जा सकती है। इसमें ४॥ प्रतिशत रिटर्न होगा तो लघु सिंचाई योजना में लिया जा सकेगा।

श्री जवानसिंह--क्या इसके बारे में कोई रिप्रेजेन्टेशन पहले सरकार को नहीं किया गया था ?

Page No.11

श्री भोगीलाल पंड्या--कोई रिप्रेजन्टेशन पहले प्राप्त नहीं हुआ। अगर हुआ होगा तो बराबर कार्यवाही हुई होगी।

श्री जवानसिंह--रिप्रेजन्टेशन किया गया, इसका आपको पता हुआ है या नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या--कृपा करके प्रश्न सही पूछते तो अच्छा था। आपने तो नाम ही गलत दिया पहले तो, क्षमा कीजियेगा।

श्री जवानसिंह--सही नाम क्या है, यह जान सकता हूं ?

श्री भोगीलाल पंड्या--यह कृष्णावती है, कृष्णावनी नहीं।

श्री जवानसिंह--यह तो टाइप की गलती है।

श्री भोगीलाल पंड्या--मैं तो आपकी ही गलती समझा था।

श्री जवानसिंह--पर अब तो आपने यही समझ कर उत्तर दिया है न।

श्री भोगीलाल पंड्या--फिर भी मैंने यही समझकर उत्तर दिया। मुझे विश्वास था कि माननीय सदस्य गलती नहीं किया करते हैं और यह गलती भी आपसे हो हुई होगी तो केवल भूल से ही।

श्री जवानसिंह--क्या इसका कोई सर्वे भी किया है।

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १८

श्री अवनिकुमार मुकर्जी--Will the Chief Minister be pleased to state:--

(*a*) Whether it is a fact that a number of officers posted in the Kotputli sub-division have been transferred during the month of August, 1953.

(*b*) If so, what are the reasons behind such drastic and wholesale transfers of officials from a particular sub-division ?

श्री जयनारायण व्यास--(क) माह अगस्त, १९५३ में किसी भी सब-डिविजनल अफसर, एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, नायब तहसीलदार अथवा पुलिस अफसर को स्थानान्तरित नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

प्रश्न संख्या १९

श्री अवनिकुमार मुकर्जी--Will the Chief Minister be pleased to state the number of I.A.S. Officers who have come from outside Rajasthan and are now serving under the Government of Rajasthan and their respective salaries and deputation allowance etc.

Page No.12

श्री जयनारायण व्यास—Nil,

श्री अवनीकुमार मुकर्जी—How do you say that it is nil. There are some officers who are serving under the Rajasthan Government but who have come from outside Rajasthan.

श्री जयनारायण व्यास—अगर आप अपने प्रश्न को देखेंगे तो इससे साफ जाहिर होगा कि आपने कमिंग फ्राम आउट साइड का अर्थ लिया है कि जो डेपुटेशन पर आये हों और डेपुटेशन अलाउन्स मिलता हो; ऐसा कोई अफसर नहीं आया है।

प्रश्न संख्या २०

श्री जवानसिंह—क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(अ) क्या कृषि विभाग में एग्रीकलचर असिस्टेन्ट को तरक्की देकर उन्हें गजटेड अफसर बना दिया गया है ?

(ब) अगर हां, तो किस आधार पर और पी. एस. सी. की राय ली गई थी क्या ?

(स) क्या उपरोक्त महोदय मुख्य मंत्री महोदय के भूतपूर्व पी. ए. रह चुके हैं ?

(ड) क्या उपरोक्त महोदय के बजाय दूसरे अधिकारियों का इस तरक्की के लिए अव्वल हक नहीं था ?

(ई) अगर हां, तो ऐसा क्यों किया गया।

(फ) क्या यह मामला पी.एस.सी. को भेजा जायगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—(अ) नहीं।

(ब) (स) (ड) प्रश्न (अ) के उत्तर की वजह से पैदा नहीं होता।

श्री जवानसिंह—क्या यह आपने जांच की थी कि वे चीफ मिनिस्टर साहब के भूतपूर्व पी.ए. नहीं थे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—हां, वे पी.ए. का काम करते थे किन्तु एग्रीकलचर असिस्टेन्ट के पद पर नहीं थे।

श्री जवानसिंह—तो फिर उनकी इस प्रकार तरक्की क्यों की गई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जैसा कि मैंने प्रश्न के उत्तर में कहा कि एग्रिकल्चर असिस्टेन्ट को किसी प्रकार की तरक्की नहीं दी गई।

श्री जवानसिंह—तो क्या आप यह मंजूर करते हैं कि इसी सिलसिले में भूतपूर्व पी.ए. टू चीफ मिनिस्टर को तरक्की दी गई ?

Page No.13

श्री सुखाडिया——वैसे तो यह प्रश्न इससे संबन्ध नहीं रखता है फिर भी मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए यह निवेदन कर दूं कि श्री श्यामकृष्ण व्यास जो पहले असिस्टेन्ट टू फूड कमिश्नर थे उनको बाद में तरक्की देकर एग्रीकल्चर असिस्टेन्ट के पद पर एड होक बेसिस पर नियुक्त किया गया; इसलिए इस विषय में पी.एस.सी. को रेफर करने की आवश्यकता नहीं।

श्री जवानसिंह——पी.एस.सी. को रेफर करने की आवश्यकता क्यों नहीं समझी गई ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया——क्योंकि उनका अपोइन्टमेन्ट एडहोक बेसिस पर था।

श्री जसवन्तसिंह——क्या एड होक बेसिस पर नियुक्ति किये जाने के लिए पी.एस.सी. से मंजूरी लेना आवश्यक नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया——पी. एस.सी. से रेफर करने की आवश्यकता नहीं, जैसा कि यह आर्टिकल है,

> "It shall not be necessary for the Commission to be consulted in respect of any matters relating to or arising out of appointments made for the integration of services of the various Covenanting States in the services of the State of Rajasthan and interim appointments made or to be made in the process of such integration."

श्री जवानसिंह——क्या यह सही है कि इस सर्क्युलर के साथ यह भी लिखा हुआ है कि ६ महिने की अवधि के बाद पी.एस.सी. को रेफर करना जरूरी होता है।

श्री अध्यक्ष——It is perhaps the Limitation of Powers.

श्री जवानसिंह——मेरा प्रश्न यह था कि क्या इसके साथ यह रूल नहीं कि अगर छः महिने के बाद किसी अफसर को नियुक्त करना हो तो पी.एस.सी. को अवश्य रेफर करना पडता है ?

श्री भैरूंसिंह——क्या यह सही है कि किसी भी व्यक्ति के चीफ मिनिस्टर या अन्य किसी मिनिस्टर के पी. ए. के तौर पर कार्य करने के बाद उसकी डिसक्वालिफिकेशन रिमूव हो जाती है ?

श्री सुखाडिया (कृषि मन्त्री)——इसमें कोई डिसक्वालिफिकेशन है नहीं जो कि रिमूव कर दी गई हो; चाहे वह चीफ मिनिस्टर या किसी भी मिनिस्टर का पी. ए. रहा हो। इसके साथ यह भी निवेदन है कि किसी भी मिनिस्टर के साथ रहने से यह नहीं मान लिया जाना चाहिये कि वह डिसक्वालीफाइड हो गया।

श्री जवानसिंह——क्या यह सही है कि उनके पास किसी प्रकार की टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं है ?

श्री सुखाड़िया—फूड कमिश्नर के असिस्टेन्ट के लिये कोई टेकनिकल क्वालिफिकेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता ।

राजा श्री हिम्मतसिंह—क्या इसे बेकडोर एन्ट्रेन्स (back door entrance) नहीं कहा जा सकता ?

श्री सुखाड़िया—बिल्कुल नहीं, यह तो फ्रण्ट डोर एण्ट्रेन्स (front door entrance) है ।

प्रश्न संख्या २१

श्री जवानसिंह—क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान सरकार के पास ३१ दिसम्बर, १९५२ तक कितने ट्रेक्टर्स थे ?

(२) ३१ दिसम्बर, १९५२ के बाद में कहां कहां ट्रेक्टर्स खरीदे गये और किस आधार पर ?

श्री सुखाड़िया—(१) राजस्थान सरकार के पास ३१ दिसम्बर, १९५२ तक कुल १० ट्रेक्टर्स थे ।

(२) ३१ दिसम्बर, १९५२ के बाद में कोई ट्रेक्टर्स नहीं खरीद किया गया ।

प्रश्न संख्या २२

श्री अबनिकुमार मुकर्जी—Will the Chief Minister be pleased to state as to why the reports on the working of the Rajasthan Public Service Commission for the year 1950-51 and 1951-52 were not placed before the Legislature in proper time ?

श्री जयनारायण व्यास—The annual report of the Rajasthan Public Service Commission for the period ending March, 1951, was duly submitted to the Rajpramukh who was then functioning as the Legislature of the State under Article 385 of the Constitution. The report for the period ending March, 1952 will be placed before the Legislature in due course.

श्री अबनिकुमार मुकर्जी—My question is quite simple. I just wanted to know why the Reports were not placed before the Assembly in proper time.

श्री जयनारायण व्यास—इसका जवाब दिया जा चुका है ।

श्री अबनिकुमार मुकर्जी—It is not a reply to my question.

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—This is a reply to the Hon'ble Member's question and not to a question of some other Hon'ble Member. The Reports are submitted to the secretariat and examined there. Then they go to the Ministers who examine them. They are then to be submitted in a proper form and not in a crude form.

Page No.15

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—But why this delay ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्यमंत्री)—It is not "very much delay." The Reports are extensive and they are to be examined thoroughly. This delay is, therefore, not a very big delay. Along with it the annual accounts are also submitted and they are also to be examined.

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—Is it in the notice of the Hon'ble Chief Minister that on the floor of the House in the last session an assurance was given that the Report will be placed before the House very soon ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—I do not remember that.

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—Will you look up the proceedings. ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—Surely. Even without your asking me I could have done that.

श्री भैरूसिंह—Probably you were not in a position to.

(विराम)

श्री भैरूसिंह—क्या आप यह भी बता सकते हैं कि सदन में कही गई बातों को आप कितने दिन में भूल सकते हैं ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—माननीय सदस्य से मेरी याददाश्त कम हो सकती है।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—Is it a fact that the Report was not submitted in order to suppress the irregularities ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—Not at all.

श्री अध्यक्ष—The Hon'ble Member should not be impatient about it. There is a provision in the Constitution that the Reports which will be submitted by the Public Service Commission will be placed before the House. If they come at a late stage, then this House has a right to discuss it and ask for explanation as to why they were submitted so late. When they come before the House the question of delay will be examined. This House has a right to examine every delay and very item of that.

प्रश्न संख्या २३

श्री मुक्तिलाल मोदी—क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) तारीख ३-३-५२ से ३०-९-५२ तक के समय में मुख्य मंत्री ने कितने दिन तक दौरे किये और उन पर कितना खर्चा हुआ ?

Page No.16

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

(२) इसके बाद मुख्य मंत्री के दौरों पर तारीख ३१ जुलाई, १९५३ तक कितना खर्चा हुआ ?

(३) इन्हीं दौरों के दौरान में मुख्य मंत्री को प्रदान की गई Escort पर कितना खर्चा हुआ ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)--(१) ६६ दिन और खर्चा २,४६७ रु० ११ आने।

(२) १४४ दिन और खर्चा ८,१३६ रु. ४ आ. ९ पाई।

(३) ३-३-५२ से ३०-९-५२ तक ५१ रुपये। इस रकम में डिस्ट्रिक्ट में खर्च हुई रकम शामिल नहीं है।

१-१०--५२ से ३१-७-५३ तक २,९५४ रु. ६ आने। इस रकम में डिस्ट्रिक्ट में जो खर्चा हुआ वह शरीक है।

श्री मुक्तिलाल मोदी--माननीय मुख्य मंत्री बतायेंगे कि डिस्ट्रिक्ट के अन्दर, जो इसके लिये एसकोर्ट रखा हुआ है वह खर्च भी शामिल है क्या ? डिस्ट्रिक्ट के अन्दर जो पुलिस कर्मचारी हैं वे पुलिस का इन्तजाम करते हैं, वह खर्चा भी शामिल (मिलाकर) बताया गया है क्या ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)--डिस्ट्रिक्ट में अगर चीफ मिनिस्टर जाते हैं, और वे इधर से उधर मूवमेन्ट करते हैं तो उसका खर्चा इसमें शामिल नहीं है। बाकी जो मुख्य मंत्री के साथ खर्च हुआ है वह शामिल है।

श्री मुक्तिलाल मोदी--क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बतायेंगे कि यह खर्चा गवर्नमेण्ट के काम के लिये जाते हुए खर्च हुआ है या इसमें प्राइवेट काम पर जाना भी शामिल है ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)--शुद्ध सरकारी काम के लिये खर्च हुआ है।

श्री भैरूंसिंह--जैसा कि अभी मुख्य मंत्री महोदय ने फरमाया कि इन ६ माह के अरसे में वे ६६ दिन दौरे पर रहे तो इससे यह स्पष्ट है कि वे दफ्तर में १५ दिन से ज्यादा नहीं बैठे।

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २४

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु--क्या राजस्व मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

(अ) समेजा नहर, तहसील रायसिंहनगर, जिला गंगानगर में कितने ऐसे कुटुम्ब आबाद किए गए हैं जो नियमानुसार भूमि पाने के हकदार नहीं थे ?

(ब) वे किस वर्ग और जाति के हैं ?

(स) उनको ऐसी विशेषता देने का क्या कारण है ?

Page No.17

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)——समेजा नहर तहसील रायसिंहनगर में भूमिहीन काश्तकारों को और भारत सरकार द्वारा भेजे गये काश्मीरी शरणार्थियों को वहां बसाया जा रहा है। यह शरणार्थी लोग जो भारत सरकार द्वारा मंजूरशुदा योजना के अनुसार इस इलाके में आबाद किये गये हरिजन शरणार्थी हैं।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु——क्या वे हरिजन शरणार्थी, जिनको वहां बसाया गया है, क्या लेन्डलेस टिनेन्ट्स की डेफिनिशन में आते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया——ये शरणार्थी भारत सरकार द्वारा जो डेफिनिशन कायम है उसके अनुसार ये लेन्डलेस टिनेन्ट्स को डेफिनिशन में आते हैं।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु——क्या वे सब हरिजनों के सिवाय अन्य किसी जाति के नहीं है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया——यह मुझे पता नहीं कि वे किस जाति के हैं किन्तु वे हरिजन थे।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु——क्या चमारों के अलावा दूसरी जाति के कम थे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया——किस जाति के थे और किस जाति के नहीं, यह मुझे पता नहीं।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु——क्या उनके वहां बसाये जाने के बाद वहां से जो उजाड़ दिये गये उनको बसाने का सरकार ने कुछ प्रबन्ध किया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया——लेन्डलेस टिनेन्ट्स को जहां बसाया जा रहा है वहां पर उन्हें भी बसाया जायगा।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु——क्या उनको अपनी जमीन छुड़वाकर दूसरी जगह बसाने से उनके साथ अन्याय नहीं होगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया——अन्याय जैसी कोई बात नहीं।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु——एक गांव के आदमी को दूसरे गांव में बसाने पर क्या उसके साथ यह आप अन्याय नहीं समझते ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया——इस तरह की कोई सूचना मेरे पास नहीं है कि दूसरी जगह बसाने का सवाल हो।

श्री धर्मपाल——इसके अलावा भी जो हरिजन शरणार्थी हैं उनको भी बसाने की कोई स्कीम है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया——अगर वे भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत आते होंगे तो उनको भी बसाया जा सकता है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु——क्या उनमें चमार नहीं होंगे तो भी उनको बसाया जायगा ?

Page No.18

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इसमें जाति का प्रश्न नहीं उठता।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—सारे ही चमारों को क्यों नहीं बसाया गया?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मुझे पता नहीं कि वे किस जाति के हैं।

प्रश्न संख्या २५

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(अ) गंगानगर जिले में मंजूरशुदा बागों पर ज्यादा मालिया क्यों वसूल हो रहा है?

(ब) क्या सरकार वह मालिया जो कि अधिक वसूल किया जा चुका है वापिस करने को तैयार है?

(स) अगर तैयार है, तो कब तक?

(ड) अगर नहीं, तो क्यों?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—(अ) गंग केनाल एरिया में बागों पर मन्जूर शुदा दरों से मालिया वसूल होता है। यह दर सन ४५–४६ के सेटिलमेन्ट के समय मुकर्रर की गई थी।

(ब) दूसरे प्रश्न पैदा नहीं होते।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—वह मन्जूर शुदा शरह क्या है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—वह मेरे पास इस वक्त यहां पर नहीं है। वह सेटिलमेन्ट की दर क्या है, इसकी जानकारी माननीय सदस्य को मुझसे ज्यादा है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या सरकार इसकी जांच करायगी कि वहां पर मन्जूर शुदा शरह से मालिया नहीं लिया जा रहा है, मनमाने तरीके से लिया जा रहा है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अगर उसका कोई उदाहरण दिया जायगा तो जांच कराई जायगी।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २६

श्री मुक्तिलाल मोदी—क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

मुख्य मंत्री के कार्यालय को प्रदत्त की गई सरकारी मोटर पर दैनिक औसत कितना खर्च आता है तथा वह कितने मील रोज चलती है?

श्री भोलानाथ (यातायात मंत्री)—यह सवाल माननीय मुख्य मंत्रीजी से पूछा गया है किन्तु उसका जवाब मैं दे रहा हूं क्योंकि यह मुझसे संबन्ध रखता है।

Page No.19

[श्री भोलानाथ (यातायात मंत्री)]

यदि प्रश्न का संबन्ध उस कार से है जो कि श्री यादराम चतुर्वेदी, ओ. एस. डी., फाइनेंस तथा मुख्य मंत्री के निजी कार्यालय के कर्मचारी आजकल निजी प्रयोग में ला रहे हैं, उससे है तो उत्तर इस प्रकार है:—

पैट्रोल, मोबिल आइल के ६ रु. १४ आ. ९ पा. तथा रिपेयर्स आदि कुल मिलाकर १२ रु. का एवरेज है तथा ५२ मील प्रति दिन चलती है। इसके अतिरिक्त कोई कार स्वतन्त्र रूप से माननीय मुख्य मंत्रीजी के साथ नहीं है।

श्री मुक्तिलाल मोदी—क्या यह ६ रु. १४ आ. जो बताये हैं वह पूरा खर्च लगाकर गवर्नमेन्ट नहीं बता सकती है कि कुल कितना खर्च हुआ और कितनी मोटरें रहती हैं, उसके अन्दर उन मोटरों पर कुल कितना खर्च होता है?

श्री अध्यक्ष—आपके सवाल का जवाब है। आपने दैनिक औसत पूछा है, उसका जवाब है।

श्री मुक्तिलाल मोदी—यह दैनिक औसत एक मोटर की है या दो मोटरों की?

श्री भोलानाथ—दो मोटरें उनके पास नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष—यहां पर कार्यालय मोटर की बात है।

प्रश्न संख्या २७

श्री मुक्तिलाल मोदी—क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

१ जनवरी सन् १९५३ से कोटपूतली से जयपुर कैदियों को लाने और लेजाने में १५ अगस्त, १९५३ तक कितना खर्चा हुआ और शाहपुरा से जयपुर लाने और लेजाने में कितना खर्चा हुआ?

श्री नरसिंह कछवाहा (उप-गृहमंत्री)—कोटपूतली से जयपुर २९४९ रु. ६ आ. कैदियों पर और शाहपुरा से जयपुर ९ रु. ६ आ. इस प्रकार कुल २९५८ रु. १२ आ.।

श्री कपिलदेव—यह खर्चा जो बताया है वह सिपाहियों पर है या कैदियों पर?

श्री नरसिंह कछवाहा—पुलिस गार्ड पर २७६३ रु. ११ आ. और ९ रु. ६ आ. इस प्रकार कुल मिलाकर २७७३ रु. ६ आ. है।

दोनों पर कुल मिलाकर ५७१३ रु. २ आ. और १८ रु. १२ आ.; हैं।

श्री कपिलदेव—यह सिपाहियों पर खर्चा है या कैदियों पर है?

श्री अध्यक्ष—अलग अलग बताया है।

श्री कपिलदेव—सुनाई नहीं दिया।

Page No.20

श्री अध्यक्ष—Because you were not attentive.

प्रश्न संख्या २८

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या हल्का ६२ सी. बी. तहसील अनूपगढ़, डिस्ट्रिक्ट गंगानगर, के पटवारी मंगलसिंह के खिलाफ उस इलाके के लोगों ने शिकायतें की थीं और उन पर वह सस्पैन्ड हुआ था ?

(ख) अब बहाल होने पर उस पटवारी को उसी हल्के में क्यों लगाया गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)—हां, श्री मंगलसिंह पटवारी, हल्का ६२ सी. बी. के खिलाफ कुछ शिकायतें आने पर मौत्तिल कर दिया गया था और उसके विरुद्ध महकमाना जांच करवायें जाने पर वह निर्दोष साबित हुआ, इसलिये उनको अपनी असली जगह पर बहाल कर दिया गया था ?

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या वह शिकायतें उसी इलाके के लोगों ने की थीं ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—इतना मुझे याद नहीं कि उसी इलाके के लोगों ने की थीं या दूसरे इलाके के। शिकायतें आई थीं, उन पर वह सस्पेन्ड (Suspend) किया गया, था और उसकी जांच की गई।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—उसको उसी इलाके मे इसलिये पटवारी रखा गया है कि उसकी कोई शिकायत नहीं करे, क्यों ?

श्री अध्यक्ष—नैक्स्ट

प्रश्न संख्या २९

श्री सज्जनसिंह—Is the Home Minister aware that the villagers of Ralayata village in Shahpura Sub-division are harassed for payment of Chowkidari cess even when there is no Chowkidari ?

श्री नरसिंह कछवाहा (उप-गृह मंत्री)—आरोप सही नहीं हैं। रलायता के ग्रामवासी अथवा शाहपुरा सब-डिविजन के किसी दूसरे ग्राम के निवासी चौकीदारी करके लिए किसी प्रकार भी परेशान नहीं किये जा रहे हैं और न चौकीदारी कर किसी से मांगा ही जा रहा है।

श्री सज्जनसिंह—क्या सरकार इसकी इन्क्वायरी करवाने के लिए तैयार है ?

श्री नरसिंह कछवाहा—प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री सज्जनसिंह—उन लोगों ने ऐसा लिखित प्रार्थना-पत्र दिया कि उनके चौकीदार नहीं होने की हालत में चौकीदारी वसूल की जा रही है। क्या इसकी एन्क्वायरी करने के लिए गवर्नमेन्ट तैयार है ?

Page No.21

श्री नरसिंह कछवाहा--मैंने आपसे अर्ज किया कि यह प्रश्न ही नहीं उठता है।

(हंसी)

श्री सज्जनसिंह--एक आरोप है सरकार के विरुद्ध और सरकार कहती है कि प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री अध्यक्ष–इनके कहने का कन्टेन्शन (Contention) यह है कि क्या आप जांच करवायेंगे।

(हंसी)

श्री नरसिंह कछवाहा--ऐसे आरोप कोई नहीं हैं। अगर कोई होगा तो जांच करायेंगे।

प्रश्न संख्या ३०

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु--क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे--

(अ) क्या पिछले दो माह में कमान्डिंग ऑफिसर, आर.ए.सी., (Commanding Officer R.A.C) रायसिंहनगर के पास से भोजावास पुलिस स्टेशन, जोधपुर से चोरी की हुई भैंसें पकडी गई थी?

(ब) अगर पकडी गई थीं तो सरकार ने सी.ओ. (Comminding Officer) के विरुद्ध क्या कार्रवाई की ?

(स) अगर नहीं, तो सरकार इस मामले की जांच करायेगी ?

श्री नरसिंह कछवाहा (उप-गृहमंत्री)-(अ) नहीं।

(ब) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु--क्या सरकार इस वाकिया की जांच करवायेगी ?

श्री नरसिंह कछवाहा--किस बात की जांच करवायेगी ?

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु--इस चोरी के मामले की, क्यों कि भैंसें पकडी गई थी।

श्री खेतसिंह--डिप्टी होम मिनिस्टर के पास में प्रश्न कब उठता है और कब बैठता है ?

श्री जयनारायण व्यास--जब गवर्नमेन्ट के पास जाच की कोई बुनियाद ही नहीं है तो उसका जवाब तो यही होता है कि प्रश्न ही नहीं उठता है। जब कोई चीज ही नहीं है तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री खेतसिंह--प्रश्न सुनने के बाद में भी प्रश्न ही नहीं उठता है क्या ?

राजा श्री हिम्मतसिंह (वि० सं० ६१)--क्या उन्हें यही पाठ पढ़ाया गया है ?

श्री कपिलदेव--क्या चोरी की भैंसों को पकडने का प्रबन्ध किया जा रहा है ?

श्री नरसिंह कछवाहा--आवाज नहीं आ रही है।

श्री जयनारायण व्यास--मेरे से चोरी नहीं गई है इसलिए प्रश्न ही नहीं उठता है।

प्रश्न संख्या ३१

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु--क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:---

(क) गंगानगर जिले में कितनी ऐसी भूमि है जो अभी तक अलॉट नहीं हो सकी है ?

(ख) सरकार उस जमीन को किस प्रकार अलॉट (Allot) करना चाहती है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मन्त्री)--जिला गंगानगर में (नोहर और भादरा तहसील को छोड कर) कुल १२,००,१८५ नहरी और १७,२९,८९० बीघा बारानी भूमि काबिल काश्त है। इस भूमि में से तकरीबन सारी नहरी भूमि आराजी काश्त पर तकसीम कर दी गई है और बारानी भूमि में सिर्फ सीमा अलॉट नहीं होसकी इस सब भूमि को मुस्तकिल तौर पर भूमि-हीन काश्तकारों को मंजूर शुदा योजना के अनुसार तकसीम किया जायगा।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु--मेरा प्रश्न यह है कि वहां कितनी भूमि का रकबा पड़ा है जो एलॉट नहीं हुआ है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया--सिर्फ बॉर्डर एरिया ऐसा रह गया है। इसके बारे में निश्चित सूचना अभी तक नहीं आई है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु--बॉर्डर के अलावा कितना रकबा एलॉट करना है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया--लगभग सभी नहरी रकबा एलॉट हो चुका है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु--क्या सरकार इसकी फहरिस्त पेश करेगी ? क्या सारा रकबा एलॉट हो गया है और अब कुछ भी बाकी नहीं है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया--जी हां, जानकारी प्राप्त करके सूचना दे सकता हूं।

श्री मोतीराम--जिन किसानों की हालत तीन साल से बदतर हो रही है उनको कोई भूमि एलॉट नहीं हुई है। इस भूमि में से क्या उन किसानों को नहीं दी जायगी ? क्या इस भूमि में से इन किसानों के लिए भी कुछ नियत की गई है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया--नियत ही नहीं बल्कि निश्चित तौर से जो भूमिहीन किसान हैं उनमें से बहुतों को दी गई है और बाकी को दी जायगी।

श्री खेतसिंह--क्या प्रश्नकर्ता को भी दी जायगी या नहीं ?

श्री गुरुदयालसिंह--प्रश्न कर्ता के पास पहले से ही काफी भूमि है।

Page No.23

(स्वीकृत)

एक सदस्य--तब भूदान क्यों नहीं करते।

श्री हिम्मतसिंह (प्रटरू)--ऐसा सीखा ही नहीं।

प्रश्न संख्या ३२

श्री गुरुदयालसिंह--क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:--

रबी १९५२-५३ में गंगानगर फार्म पर कितनी आय और कितना व्यय हुआ ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)--रबी १९५२-५३ में गंगानगर फार्म पर आय १९,१९२ रु० १३ आ० ३ पाई और खर्च १६,४०५ रु० १ आ० हुआ।

श्री गुरुदयालसिंह--१६ हजार रुपया खर्च करके १९ हजार की आय हुई तो क्या सरकार इसे काफी समझती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--मैं अर्ज करूंगा कि इस काम में बराबर बढ़ती हो रही है। सन ५०-५१ में १८ हजार की आय हुई और २२ हजार का खर्चा हुआ। ५१-५२ में २८ हजार का खर्चा और २१ हजार की आय हुई। पिछले सालों के मुकाबले में इस साल आमदनी खर्च से ज्यादा हुई और इसी तरह से हर साल बढ़ती जायगी।

श्री जवानसिंह--क्या यह सही है कि सरकारी फार्म में गधों और ऊंटों से ज्यादा नुकसान होता है?

श्री संतोषसिंह--क्या यह सही है कि इस फार्म में १०० मण बीज बोया जाता है और ९५ मण उपज होती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--ऐसी चर्चा आप करते हैं।

श्री संतोषसिंह--क्या इसका नोटिस सरकार को नहीं दिया गया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--यह भी आपकी जानकारी में है।

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष--सभा की कार्यवाही प्रारंभ होने से पूर्व मुझे सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित सदस्यों ने उनके समक्ष लिखी अवधिकाल के लिये विधान सभा की बैठक से अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिये प्रार्थना की है:--

१.	श्री विजयसिंह (वि० सं० १५८)	२ सितम्बर से ७ सितम्बर तक।
२.	श्री भगवानसिंह तरंगी (वि० सं० ९)	२ सितम्बर से ११ सितम्बर तक।
३.	श्री हरिदत्त (वि० सं० ५४)	३ सितम्बर से ९ सितम्बर तक।

क्या सदन की यह अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय।

श्रीअध्यक्ष-- सर्व सम्मति से आज्ञा प्रदान की गई

अनुपूरक अनुदान-लोन्स एडवान्सेज इत्यादि ६८

श्री अध्यक्ष--Shri Jai Narain Vyas.

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)--Sir, I beg to move that a supplementary sum not exceeding Rs. 39,00,000/- be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st day of March, 1954, in respect of Grant No. XLVIII- Major Head R-Loans and Advances by State Government.

एप्रोप्रियेशन एकाउन्ट्स तथा ऑडिट रिपोर्ट की प्रस्तुति

श्री अध्यक्ष--Before this, you will put in the Appropriation Accounts and Audit Report.

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)--Sir, I lay on the Table a copy of the Appropriation Accounts for the State of Rajasthan for the year 1950-51 and Audit Report for the year 1951-52 under Article 151 of the Constitution of India

श्री अध्यक्ष--A copy will have to be given to the Members.

राजस्थान पशु तथा पक्षी बलिदान (उत्सादन) विधेयक, १९५३ पर याचिका-समिति का प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष--Mr. Lal Singh Saktawat.

श्री लालसिंह शक्तावत (उपाध्यक्ष)--Sir, I present the Report of the Committee on Petitions on the Bill to provide for the prohibition of animal and bird sacrifices in connection with certain places of worship in the name of certain deities or otherwise.

अनुपूरक अनुदानों के हेतु मांगें

अनुपूरक अनुदान-लोन्स एडवान्सेज इत्यादि ६८

श्री अध्यक्ष--Motion moved that a supplementary sum not exceeding Rs. 39,00,000/-be granted to H.H the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st day of March, 1954, in respect of Grant No. XLVIII-Major Head, R-Loans and Advances by State Govenment.

There are two cut motions over this Grant. One is by Shri H.K.Vyas who is absent and the other by Shri Bhairon Singh (Division No. 16).

(विराम)

Yes, Shri Bhairon Singh.

श्री भेरूसिंह (दांता रामगढ)--माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट के सम्बन्ध में मैंने जो अपना कटौती प्रस्ताव रखा है वह यह है:--

"That the Demand No. XLVIII under Head R-Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100/- (to discuss the unsatisfactory way that led to this amount)."

अध्यक्ष महोदय, जब कल फेमिन के सम्बन्ध में मैंने कुछ बातें इस सदन के सामने रखीं तो दूसरे दल की ओर से मुझ पर एक आक्षेप लगाया गया था और वह एक ऐसा आक्षेप था कि इस ओर के कोई माननीय सदस्य द्वारा यदि उनके कहे मुताबिक कार्यवाही की जाय तो शायद वे कहेंगे कि उनकी विचारधारा संकुचित है। मैं उनका नाम नहीं बताना चाहता। मैं समझता हूँ कि वे शायद डूंगरपुर से आये हुए हैं। मैं आज अपनी कांस्टीट्युएन्सी और अपने जिले के बारे में ही ज्यादा सदन का ध्यान आकर्षित कराऊंगा। मैं आज सदन को यह बताने का प्रयत्न करूंगा कि किस तरह की तकावी दी जाती है और उसमें किस तरह से पार्टी पोलिटिक्स चलती है।

मेरी कांस्टिट्युएन्सी में एक गांव है गोर्धनपुरा। उस गांव में बोधिया और काना नाम के दो जाट रहते हैं। उनके नाम से एक कांग्रेसी सदस्य ने कलेक्टर के पास दरख्वास्त की, जिसमें वे अर्ज करते हैं कि एक कुए के लिये ५००० रु० की आवश्यकता है। कलेक्टर ने तहसीलदार से तहकीकात करवाकर एग्रीकल्चर विभाग में वे कागजात तकावी देने के लिये भेज दिये।

श्री अध्यक्ष--It is not a demand on Taccavi. Taccavi is a sparate item.

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)--तकावी भी है।

श्री भेरूसिंह (दांता रामगढ)--मेरा मतलब लोन से है। तकावी शब्द मैं वापिस लेता हूं। वह लोन मंजूर होने के बाद तहसीलदार के पास रकम पहुची। वे कांग्रेसी सदस्य तहसीलदार के पास उन दोनों जाटों के प्रतिनिधि बन कर पहुच गये और उन्होंने वह रकम लेली। दो किश्तें उनको अदा करदीं गई पर तीसरी किश्त का नोटिस किसी तरह से सही व्यक्तियों यानी उन दोनों किसानों के पास पहुंच गया। जब उनके पास नोटिस पहुंचा तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो यह लोन नहीं पहुंचा। यह सुनकर तहसीलदार साहब बड़े असमंजस में पड गये। उन्होंने कहा कि उक्त कांग्रेसी सदस्य जाना-माना आदमी है फिर यह बात कैसे हो गई? उन्होंने नायब तहसीलदार को जांच करने के लिये भेजा। जब नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे तो उन किसानों ने उनसे साफ कहा कि हमने न तो ऐसी कोई दरख्वास्त पेश की है और न कभी पेश करने का इरादा ही है। उन्होंने जांच करके अपनी रिपोर्ट पेश की और कलेक्टर साहब को लिखा कि वे कांग्रेसी महोदय गांव वालों के नाम से झूठी दरख्वास्त देकर और ऊपरकी कार्यवाही किसी तरह से करके उन गांव वालों के नामसे खुद ही रकम ले गये। विरोधी पक्ष की ओर से (शेम शेम)। कलेक्टर साहब से मैंने इसके बारे में पूछा है। उन्होंने बताया कि गवर्नमेन्ट के पास ये कागजात भेजे हैं। इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री से जानकारी करनी की है कि उन्होंने उस पर क्या एक्शन लिया? लोगों में अफवाह है कि माननीय राजस्व मंत्रीजी के पास यह बात पहुची है और वे कागज कलेक्टर के पास

[श्री भैरूंसिंह दांतारामगढ़]

पूरी जांच करने के लिये गये हैं। जो माननीय मित्र खंडेला कांस्टीटयूएन्सी में इलेक्शन के लिये आये थे उन्होंने स्पष्ट लोगों को यह बताते हुए सुना होगा। अभी मैं उन कांग्रेसी महोदय का नाम नहीं बताना चाहता हूं। पर वे इसी सदन के माननीय सदस्य हैं विरोधी पक्ष की ओर से (शेम शेम) और इसी अधिवेशन में उन्होंने शपथ ग्रहण की है।

आज लोगों ने उनका विरोध किया, उनके प्रति अपनी आवाज उठाई, पर्चे छपवाये जिनको आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। अपनी आवाज को बुलन्द करने के लिये हजारों पर्चे छपवाये और मुझे भी एक पर्चा छपा हुआ दिया है और कई सदस्यों के पास भी ये पर्चे पहुंचे होंगे। उसमें सारा हाल लिखा है। मैं सदन का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस प्रकार पक्षपात करना ठीक नहीं होगा ; जब सरकार यह कहती है कि लोगों को अपने ध्यान पार्टीबाजी से दूर रखने चाहियें। मगर यह सदन के सामने चीज है कि कांग्रेस पार्टी के ही लोगों को पार्टी पोलिटिक्स के अनुसार तकाबी दी जाती है और दूसरे लोगों को नहीं दी जाती। कांग्रेस पार्टी को तो अच्छे कार्य करके दूसरों के लिये उदाहरण पेश करना चाहिये, न कि इस प्रकार के कार्य करके दुनियां को धोके में डालना चाहिये। इस प्रकार दुनियां को धोके में डालकर ये लोग तकावी ले लेते हैं, मैं इस बात को सदन में उपस्थित करता हूं इस बात का मुझे बडा दुःख है मगर चूंकि यह अनैतिकता-पूर्ण कार्य है इसलिये इसको सदन के सामने लाया हूं।

अब मैं इस पर ज्यादा न कह कर सीकर डिस्ट्रिक्ट के बारे में, जहां पर पक्षपात की बहुत शिकायतें हैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं कि किस तरह से वहां पर पक्षपात पूर्ण रवैया - सरकारी अधिकारी काम में ला रहे हैं। मैं नहीं कह सकता कि अधिकारी अपने आप इस प्रकार का कार्य करते हैं या मंत्रियों की तरफ से उनको इस प्रकार का पक्षपात करने का आदेश है। इस तरह का कार्य कांग्रेस-सरकार में हो रहा है तकावी देते समय सबसे पहिले उन्हीं लोगों को मुख्यता दी जाती है।

मैं यह कहूंगा कि आज के सरकारी कर्मचारियों और पांच साल पहले के सरकारी कर्मचारियों में काफी अन्तर हो गया है और आज के सरकारी कर्मचारियों में काफी नैतिक पतन हो गया है। सरकारी अधिकारी जो किसी प्रकार का अन्याय नहीं करना चाहते मगर फिर भी उनको मजबूर हो कर बहुत से कार्य करने पड़ते हैं। मगर मैं यह कहूंगा कि इस प्रकार की कार्यवाहियें जो हो रही हैं वे न तो कांग्रेस वालों के लिये अच्छी हैं, न सदन के लिये और न पब्लिक के लिये हितकर हैं। सरकार को इस प्रकार की कार्यवाहियों से दूर रहना चाहियें और दूर रहने का प्रयत्न करना चाहिये। इससे सब का भला होगा। इसके अलावा मैं ज्यादा न कह कर यही अर्ज करूंगा कि इसके बारे में मेरा जो कट मोशन है उस पर सदन गौर करे।

श्री गोपीलाल यादव (वि० सं० ८७)—अध्यक्ष महोदय, आज मुझे अपनी वही पुरानी बात सदन को याद दिलानी पड़ रही है और उसकी याद दिलाने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं जो मैंने जनरल बजट के समय कही थी। जब बजट को बैलेन्स बजट करके दिखाया गया था उस समय मैंने यह कहा था कि यह केवल फिगर्स की जगलेरी थी और आज जो ये सप्लीमेन्टरी

[श्री गोपीलाल यादव]

ग्रान्ट्स आपके सामने आ रही हैं उससे आप समझ गये होंगे कि उस समय सरकार को जो रुपये लेने थे उनको सरकार ने उस समय छोड दिया ताकि उस समय बजट बेलेन्स्ड बजट रहे। पहले भी जब बजट पास हुआ था तो यह कहकर कि फलां जगह ज्यादा फालतू खर्च हो गया सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट ली गई थी और आज भी यही किया जा रहा है और यह नहीं बताया जा रहा है कि जब जनरल बजट पास हुआ था उसके पहले क्या इन बातों पर कमियों का उन्हें पता नहीं था। इसके अलावा मैं समझता हूं कि जब भी सेशन बुलाया जावेगा उस समय भी यही कह दिया जावेगा कि फलां खर्च फालतू हो गया इसलिये ग्रान्ट्स लेने की जरूरत हुई।

पिछले बजट में दो करोड २९ लाख रुपया तकावी लोन के लिये मंजूर किया गया था और अबभी आप ३९ लाख की मंजूरी और मांग रहे हैं। जब जनरल बजट पास हुआ था और हमने मेमोरेन्डम को पढा तो उसमें मंजूरी लेने का कोई कारण नहीं बताया गया था और न अब भी कोई कारण बताया जा रहा है। इसके अलावा जब जनरल बजट पेश हुआ था उस समय यह बतलाया गया था कि पिछले साल से ज्यादा रकम हमने इस मद में रखी है शायद इतनी रकम खर्च न होगी और इसमें बचत हो जावेगी लेकिन आज हम देखते हैं कि ३९ लाख रुपया और मांगा जा रहा है। इसके लिये हमें बडा आश्चर्य हो रहा है कि इतनी बडी रकम की आवश्यकता सरकार को क्यों पड गई, इसका क्या कारण है और इसकी आवश्यकता बजट के समय पर सरकार को क्यों नहीं महसूस हुई? ये आंकडे हमारे सामने नहीं हैं।

एक चीज में यह निवेदन करना चाहता हूं कि ये लोन्स एन्ड एडवान्सेज(Loans & Advances) हैं। यदि हम यह मान कर चलें कि ये लोन्स एन्ड एडवान्सेज गरीब जनता को दिये जावेंगे तो यह तो होने वाला नहीं है। क्योंकि तकावी का समय ज्यादातर निकल चुका है और अब तो यह लोन्स एन्ड एडवान्सेज बडे बडे लोगों को लाखों की तादात में दिये जावेंगे, और जैसा कि आपके सामने आयेगा कि एक एक मिनिस्टर को १५, १५ हजार रुपये मोटर कारों के लिये दिये जावें और मुमकिन हो उनको मकान बनाने के लिये भी लोन्स एन्ड एडवान्सेज की जरूरत हो जावे, दिये जावें। मैं यह निवेदन करूंगा कि जब कि हमारा बजट घाटे का बजट चल रहा है और हमारे पास रुपयों की कमी है तथा पैसे के अभाव से शिक्षा और दूसरे कई पब्लिक यूटिलिटी डिपार्टमेंट्स (Public Utility Departments) सफर कर रहे हैं, गरीब जनता भूखों मर रही है, उस समय मिनिस्टरों को कारें और दूसरी चीजों के लिये धन देकर घाटे के बजट को और घाटे का बजट बना कर घाटे को इन्क्रीज करना होगा। इसके अलावा यह ग्रान्ट ऐसी नहीं जिसको १००) या ५०) रुपये घटा कर पास करदी जाए। मेरी राय यह है कि माननीय मंत्री सदन के सम्मुख यह बात रखेंगे कि उनका काम दो करोड २९ लाख रुपयों से क्यों नहीं चलता और ३९ लाख रुपयों की उनकी आवश्यकता क्यों पड रही है और यदि हाउस उससे सन्तुष्ट हो जाएगा कि इसको पास कर दिया जाना चाहिये तो पास हो जायगा। यदि हाउस को यह इतमिनान हो जावे कि यह गरीबों के लिये नहीं, बडे बडे लोगों के लिये लोन्स दिये जावेंगे तो हाउस से प्रार्थना करूंगा कि इस मांग को आउट राइट रिजेक्ट कर दी जाए। यह उचित नहीं। अभी आपके सामने ५८ हजार की ग्रान्ट

[श्री गोपीलाल यादव]

आ रही है। उसको सप्लीमेन्टरी में ले लिया जावे। ३९ लाख रुपये की मांग है। सरकार ने जो बैलेन्स बजट दिया था वह गलत था। इसके अलावा इस ३९ लाख रुपयों की जो मांग है उससे यह साबित नहीं होता कि जनता के हित में ये किस तरह से खर्च होंगे। ये बड़े बड़े आदमियों को लोन देने में खर्च होंगे। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं कि इसको मंजूर नहीं किया जावे।

श्री दिलीपसिंह (३९)--अध्यक्ष महोदय, मैं, श्री भैरूंसिंहजी ने जो कट मोशन रखा है उसका समर्थन करता हूं। तकावी लोन्स जो दिये जाते हैं उनका कहीं कहीं काफी मिसयूज होता है। जिस प्रकार श्री भैरूंसिंहजी ने अपने सीकर जिले के बारे में बतलाया उसी प्रकार मेवाड़ में भी कई जिलों में ऐसा हुआ है। गत साल एक आदमी को तकावी लोन सरकार ने ३५०) का दिया वह शख्स मेवाड़ का नहीं था और उसका पता भी नहीं कि वह कौन था और कहां गया। इसके अलावा २०-२५ गांवों में इस प्रकार के लोन दिये गये इसमें से चार गांव के लोगों को २५०) रुपयों का लोन दिया गया। उन गांवों के नाम उसान, घोड़च, नेडच और गिगार हैं। इन गांव वालों को २५०) की तकावी दी गई और ज्योंही ये लोग तकावी के रुपये लेकर बाहर निकले कि उनसे २००) कांग्रेस वर्कर्स साहिबानों ने ले लिये। उनके नाम में मिनिस्टर कन्सर्न्ड के पास पेश करूंगा। मैं उनके नाम सदन के सामने नहीं बताना चाहता। इसी प्रकार गोगन्दे के २०-२५ आदमियों को भी २५०) रुपये की तकावी दी गई उसमें से भी उनको सिर्फ ५०) ही मिले और बाकी के कांग्रेस-कार्यकर्ताओं ने उनसे ले लिये और उनको यह बताया कि ये रुपये प्रौढ शिक्षा में खर्च किये जावेंगे। उन लोगों की दरख्वास्तें मौजूद हैं, यह तहसील खमरोज के पास है। मैं इतना ही कह कर सदन से यह प्रार्थना करूंगा कि इस तरह से सरकार का पैसा बरबाद करने से कोई फायदा नहीं।

श्री हरिदेव जोशी (वि० सं० ५३)--अध्यक्ष महोदय, अभी तकाबी के बारे में कुछ मित्रों ने अपनी राय प्रकट की है। हमारे साथी श्री गोपीलालजी यादव ने कुछ शक भी जाहिर किया है कि शायद यह पैसा मिनिस्टरों को कार खरीदने के लिए और उनके बंगले बनाने के लिए अथवा किसी दूसरे काम के लिये भी दिया जा सकता है और दूसरे मित्रों ने दूसरे व्यक्तियों के बारे में रोशनी डाली है। जहां तक इस मांग का सवाल है मैं यह समझता हूं और जहां तक मेरी जानकारी है यह केवल तकाबी लोन्स के बारे में ही है न कि किसी बंगले और कारों के बारे में। एक स्थिति तो साफ है। जहां तक मोटरों का प्रश्न है अगर यह प्रश्न आता तो वह मोटर गेरेज के हेड में आता न कि लोन्स एन्ड एडवान्सेज के हेड में। इसके अलावा व्यक्तिगत तौर पर लोन देने का प्रश्न पैदा ही नहीं होता और न पूंजीपतियों को लोन देने का प्रश्न पैदा होता है। अगर कहने के लिए ही कोई कहना चाहे तो पूंजीपतियों और किसी भी सदस्य के बारे में कहा जा सकता है।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

जहां तक मेरा खयाल है यह ३९ लाख रुपये तकाबी के रूप में पिछले अकाल के समय लोगों को दिए गए हैं। मैं समझता हूं कि मेरे मित्रों ने जिस ढंग से तकावी और अकाल के बारे में चर्चा की है उसको समझने के बाद, मैं नहीं समझता कि ३९ लाख रुपये, जो राजस्थान सरकार ने तकाबी के लिए

Page No.29

[श्री हरिदेव जोशी]

दिए हैं, बेकार खर्च किए गए। एक समय था जब लोग भूखों मर रहे थे, पानी के लिये और काम के लिए इधर उधर फिर रहे थे उस वक्त राजस्थान सरकार ने भारत सरकार की मदद से जनता को खेती के लिए लोन्स दिये। मैं उन मित्रों से अनुरोध करूंगा कि वे, ३९ लाख रुपया जो तकावी के रूप में खर्च किये गये हैं उसको देखें और फिर टीका-टिप्पणी करें। "लोन" शब्द से भ्रम हो सकता है लेकिन जहां तक तकावी लोन का संबन्ध है उन्हीं लोगों को वह दिया जाता है जो कि खेती करते हैं। तकावी भी दो तरह की होती है। एक तो मेकेनाइज्ड फार्म (Machanised farm) की होती है और दूसरी आम लोगों को देनी होती है। अतः हमको इन दोनों में भेद करना पड़ेगा और फिर देखना होगा कि यह तकावी किस प्रकार से दी गई है। जहां तक मेरी धारणा है यह तकावी अकाल में सहायता पहुंचाने की दृष्टि से ही दी गई है।

श्री भैरूसिंहजी ने किसी कांग्रेसमैन की चर्चा की और कहा कि कांग्रेसमेन बेजा ढंग से पैसा पैदा करने की कोशिश करते हैं। मैं इस चीज को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कांग्रेस के अन्दर बुरे आदमी भी है लेकिन इसके साथ साथ मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि कांग्रेस ऐसी जमात है जिसमें कम से कम बुरे आदमी हैं और दूसरी पार्टियों के अन्दर अधिक संख्या में बुरे आदमी हैं। मैं ऐसे लोगों के नाम बता सकता हूं कि जो सभ्य होने का दावा करते हैं किन्तु उनके अन्दर कत्ल करने वाले मौजूद हैं, डाका डालने वाले मौजूद हैं, चोरी करने वाले मौजूद हैं और रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार करने वाले मौजूद हैं।

(सरकारी पक्ष द्वारा करतल ध्वनि)

श्री गोपीलाल यादव—ओन ए पाइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, दूसरी पार्टियों में चोर हैं तो कांग्रेस में भी चोर हैं।

श्री हरिदेव जोशी—मैं उन लोगों की याद दिलाऊं जो सीकर के हैं और जो इस्तीफा देकर अलग बैठे हुए हैं। कांग्रेस तो एक ऐसी जमात है जिसके पीछे उसका शानदार इतिहास है और जिसने आजादी के लिये बलिदान किया, कांग्रेस के साथ त्याग और बलिदान का इतिहास है। इसमें कोई शक नहीं है कि बुरे आदमी कांग्रेस पर कब्जा करना चाहते हैं और वे आकर कांग्रेस को दूषित करना चाहते हैं। किन्तु कांग्रेस का विधान एक तरह का है कि उसके अनुसार हम उनको रोक नहीं सकते। मगर स्थिति यह है कि कांग्रेस के अन्दर ऐसे लोग हैं जो उस पर कब्जा करना चाहते हैं।

श्री हिम्मतसिंह (ग्रटरू)—It is irrelevant.

श्री उपाध्यक्ष (श्री लालसिंह शक्तावत)—You must come direct to the point.

श्री हरिदेव जोशी—मैं उसी बात का जवाब देना चाहता हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि कांग्रेस के अन्दर भी ऐसे लोग हो सकते हैं और वे इसके अन्दर घुसना चाहते हैं। मैं चेलेञ्ज करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, इस बात के लिये कि जिस आदमी द्वारा पेम्फलेट निकालने

[श्री हरिदेव जोशी]

की कोशिश की गई वह झूठा है और केवल कांग्रेस को बदनाम करने की दृष्टि से ही यह किया गया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस इस प्रकार के हथकण्डों से डरने वाली नहीं है और वह तो अपने उद्देश्यों द्वारा आगे बढती जावेगी। इसमें शक नहीं है कि राजनैतिक घटनाओं के आधार पर और अन्य घटनाओं के आधार पर कांग्रेस के ऊपर भी ऐसी चीज आ सकती है। यह एक इण्डीविजुअल (Individual) आदमी के लिये हो सकता है कि वह कांग्रेस के बारे में इतना हल्कापन प्रदर्शित करे।

(सरकारी पक्ष द्वारा करतल ध्वनि)

श्री भैरोंसिंह (डि० नं० १६)--क्या माननीय सदस्य ने मेरे लिए ये बातें कही हैं?

श्री हरिदेव जोशी--मैंने कुछ नहीं कहा है।

श्री भैरूंसिंह (डि० नं० १६)--मेरे लिए यदि नहीं कहा है तो मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री लादूराम चोधरी--श्री भैरूंसिंहजी ने मेरे लिए कहा है उस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं। मैंने कोई तकावी नहीं ली है किन्तु मैंने तकावी दूसरों को दिलवाई है।

ठाकुर दांता रामगढ़ आदि के आदमियों का सारा कुनबा जेल में पडा हुआ है। भैरूंसिंहजी ने ऐसे आदमियों को, ठाकुर दांता रामगढ़ आदि के आदमियों को, ऐसे गुर्गों को दिलवाई जिनका सारा कुनबा जेल में पडा है।

(सरकारी पक्ष द्वारा करतल ध्वनि)

श्री गोपीलाल यादव-- ओन ए पाइन्ट आफ ऑर्डर, सर.......

श्री जवानसिंह--ओन ए पाइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर..
क्या ऐसे व्यक्ति के बारे में एलिगेशन्स किए जारहे हैं जो यहां मौजूद नहीं है?

श्री अवनीकुमार--क्या ऐसे शब्द काम में लाना उचित है?

श्री चन्दनमल वैद--He is explaining, Sir......

श्री उपाध्यक्ष–It is referred to him, as such he is giving personal explanation.

(सदन के सदस्यों द्वारा परस्पर बातचीत)

श्री अवनी कुमार--On a point of order, Sir, ...

श्री जयनारायण व्यास--अगर श्री भैरूंसिंहजी यह मंजूर करलें कि श्री लादूरामजी से सम्बन्धित कोई बात नहीं है तो उनको एक्सप्लेन न करने दिया जाय किन्तु यदि उनसे सम्बन्धित है तो वे उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं।

Page No.31

श्री भैरूंसिंह (डि० नं० १६)--मैंने जो कुछ कहा वह श्री लादूरामजी से सम्बन्धित है।

श्री उपाध्यक्ष--Let him explain.

(सरकारी पक्ष द्वारा करतल ध्वनि)

श्री राजा हिम्मतसिंह (डि० नं० ६१)--The language should be parliamentary.

श्री उपाध्यक्ष--He should use parliamentary language.
आप संसदीय भाषा को ही प्रयोग में लाएंगे।

(विरोधी पक्ष द्वारा करतल ध्वनि)

श्री कपिलदेव--श्री लादूरामजी ने कोई असंसदीय भाषा प्रयोग नहीं की है। उन्होंने गुण्डे नहीं कहा, किन्तु उन्होंने गुर्गे कहा था जो कि अनपार्लियामेन्टरी शब्द नहीं है।

श्री लादूराम चौधरी--मैं आपको बताऊं कि जिन लोगों ने तकावी ली है उनके नाम के पर्चे अब उनके पास हैं जो उन्होंने उनके पास से छीन लिये थे। सौलह आदमियों को बुलाया गया था। उन लोगों ने फिर चुनाव के फेर में पर्चे छपवाए, गलत पर्चे छपवाए।

(सरकारी पक्ष द्वारा "शेम, शेम")

दूसरी बात यह है कि वहां अब भी राजपूतों और ठाकुर दांता द्वारा गुण्डागर्दी जारी है।

श्री भैरूंसिंह (डि० नं० १६)--On a point of Order, Sir, there is no ......

श्री उपाध्यक्ष--आप अपनी बातें ही एक्सप्लेन करेंगे, दूसरी बातें न करें।

श्री विशम्भरनाथ जोशी--It is necessary to refer to any person.........

(अश्रव्य)

श्री लादूराम चौधरी--वहां जो होरहा है वह तो मैं आपको बताऊंगा ही।

वे कोशिश कर रहे थे कि दरख्वास्तें दे दी जायें। उन लोगों ने साफ कहा कि इन लोगों ने बहकाया है। इसकी इन्क्वायरी हो चुकी है। इसकी इन्क्वायरी कलेक्टर साहब ने कर ली है, इसकी इन्क्वायरी सी. आई. डी. से भी करवा ली गई है। यह मामूली बात भी नहीं और छिपी हुई बात भी नहीं है।

तीसरी शिकायत स्कूल के बारे में है। हरिजनों का विरोध किया जाता है। गांव के बनिए बारह महीने तक गांव के मास्टर को रखते हैं किन्तु उनको रहने नहीं दिया जाता, पार्टीबन्दी वहां चल रही है। उनकी बरात आती है, कड़ाई, बर्तन वगैरह उनके पास होते हैं। दूसरों को बहकाया जाता है। जो शख्स पढ़ाता है उसका भतीजा जेल में पड़ा हुआ है।

(सरकारी पक्ष द्वारा "हियर, हियर" की ध्वनि)

श्री भैरूंसिंह (डि० नं० १९)—क्या माननीय सदस्य बतावेंगे कि............

श्री गोपीलाल यादव--पोइन्ट ऑफ सजेशन, सर, दोनों पार्टियों में झगड़ा है यह और दोनों एक दूसरे पर सीरियस एलिगेशन लगा रहे हैं। तो इसे देखते हुए जैसे पालियामेन्ट में मुद्गल एन्क्वायरी कमेटी बैठी थी उसी प्रकार इस मामले में भी जांच करने के लिये एक एन्क्वायरी कमेटी बिठा दी जावे तो ठीक रहे।

(विरोधी पक्ष की ओर से "हियर, हियर" की आवाज)

श्री जयनारायण व्यास--मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अगर हाउस में यह एक मिसाल बन गई तो कोई भी सीरियस एलिगेशन एक दूसरे पर लगा देगा और आप एन्क्वायरी कमेटी बैठाते रहेंगे। कोई भी इस तरह से सीरियस एलिगेशन लगादे और कल चीफ मिनिस्टर के खिलाफ भी और श्री गोपीलाल जी के खिलाफ भी इसी तरह से एन्क्वायरी कमेटी बिठाई जावेगी। सीरियस एलिगेशन लगा देना कोई बडी बात नहीं है।

तो मैं लीडर ऑफ दी हाउस की हैसियत से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस तरह का सीरियस एलीगेशन होगा कोई तो चीफ मिनिस्टर की हैसियत से वह मेरे पास आवेगा और उसका फैसला करने के लिये भी आवेगा। मैं यह कभी परवाह नही करूंगा फिर कि यह एलीगेशन राम राज्य परिषद् का है या कांग्रेस मैन का है या किसी का है।

पर इस तरह से प्रोपोगेन्डा करके इन्क्वायरी करने की बात करना हाउस के माननीय सदस्यों को जो रियायतें मिली हैं, नाजायज फायदा उठाने के लिये लोगों को उकसाना है। मैं यह बता देना चाहता हूं कि सरकार इन मामलों में एलर्ट है और कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी भी दल का हो गुनाह करेगा तो उसे सजा जरूर मिलेगी और प्राइमफेसी केस (Prima facie Case) बनने के बाद एन्क्वायरी हो सकती है पर इस तरह से कोई भी गैरजिम्मेदार बात नहीं हो सकती।

श्री हिम्मतसिंह अटरू--सर, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यहां एक्सप्लेनेशन देने के लिये इजाजत दी गई थी पर इसके विपरीत एक दूसरे पर एलिगेशन लगाये जा रहे हैं, यह आउट ऑफ आर्डर है। हाउस इसे खतम करे।

श्री कानसिंह--Mr. Deputy Speaker, Sir.........

श्री संतोषसिंह--माननीय उपाध्यक्ष जी, यह जो तकावी लोन ३९ लाख रुपयों का मांगा गया है......

श्री जयनारायण व्यास--एक बात मैं थोड़ी साफ करदूं कि ३९ लाख की यह जो लोन की मांग है वह तकावी लोन नहीं है।

श्री संतोष सिंह—शादी का लोन होगा, मोटरों का लोन होगा ; पर लोन है जैसा कि यादवजी ने कहा है। इससे बिजनैस भी हो सकता है। तो यह जो लोन मांगा गया है अगर इसे वाकई में सही तौर पर खर्च करें तो व्यवस्था बहुत अच्छी हो सकती है। इससे राजस्थान के वे किसान जिनके पास कम पैसा है, राहत अच्छी मिल सकती है। पर वास्तव में होता क्या है कि इनका दुरुपयोग होता है और वह सही माने में सही जगह खर्च नहीं किया जाता और न उनको बराबर दिया जाता है। लोन की जो वितरण व्यवस्था बनाई है वह बहुत ही भद्दी और गलत है। इसको सुधारने की जरूरत है।

अगर तकावी में जैसे किसान एक लोन की दरख्वास्त देता है कि उसके पास एक बैल तो है दूसरे बैल के खरीदने के लिये उसे ४००) रुपये चाहियें तो उसकी वह ४००) रुपयों की दरख्वास्त है। वह दरख्वास्त लेकर तहसीलदार के पास जाता है। उसे कहा जाता है कि इतना रुपया तुम्हें तकावी में नहीं मिलेगा—चार सौ रुपया तुम्हें ही दे दें तो फिर दूसरों को क्या देंगे। पचास रुपया मिलेगा। लेना हो तो लो। तो यह कोई तकावी नहीं हुई। इस पचास रुपयों से वह किसान बैल नहीं खरीद सकता और उसका तकावी लेने का मकसद भी हल नहीं हो सकता। अगर वह यह रुपये ले लेता है तो वह तो एक तरह का कर्जा हो जाता है। तो इस तरह से यह तकावी लोन जितना भी किसान को दिया जाता है राइट तरीके से नहीं दिये जाने के कारण किसानों के सिर पर करजे के तौर पर एक भार सा हो जाता है।

किसी ने कुआ बांधने के लिये १२००)रु० तकावी लोन मांगा था। इस पर अधिकारी वर्ग कहता है कि नहीं तुम्हें तो २००) रु० मिलेंगे। तो कुआ खोदने में और बैल खरीदने में तो वाकई १२००) रु० और ४००) रु० लगेंगे, इतना ही खर्च होता है। पर सरकार इसकी जांच नहीं करती कि वाकई कितना रुपया देने से किसान का यह काम हो जावेगा। यह लोन देने का अधूरा जो सिस्टम है बिलकुल ठीक नहीं है। इसलिये इसकी वर्तमान व्यवस्था को ठीक करके ठीक और उचित ढंग से तकावी लोन दिया जावे तो अच्छी बात हो।

दरअसल यह तकावी लोन जिनको दिया गया है वह खास करके सिफारिशियों को दिया गया है। और इसमें भी खास करके हमारे गुण सफेदपोशधारी जो हैं इनकी सिफारिशों पर दिये जाते हैं। अभी इस तकावी लोन पर, हम खराब हैं, चोर हैं और दूसरे नहीं हैं इस पर विवाद हुआ। यह कुल गलत बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्हें नील का रंग लगा है। इसे कोई कितना ही धोएं यह उतरने वाला नहीं, मन मन साबुन से धोए भी उतरने वाला नहीं। केवल दुनियां को दिखाने के लिये सफेद टोपी और सफेद कपड़े पहन कर कोरी सफाई और लच्छेदार बातें कहने से ही तो वे दुनियां में साफ सुथरे नहीं कहलाये जा सकते, इससे काम चल नहीं सकता। वास्तव में अगर आप पब्लिक की सेवा करने के लिये अगर खड़े हुए हैं तो सही माने में सही बात करके बताइये। (घंटी) क्या हुआ साहब ? पांच मिनिट तो बोलने दीजिये कम से कम।

श्री उपाध्यक्ष—रिपिटीशन हो रहा है। अच्छा दो मिनिट और सही।

Page No.34

श्री संतोषसिंह—दो मिनिट ही क्या दिये ? सबके मुकाबले में रख कर तो दीजिये। आपको भी मेरा बोलना अखरा है क्या ?

तो यह जो तकावी लोन सही तरह से दिया जावे तो फायदा हो सकता है । इसलिये में सरकार से निवेदन करूंगा कि आप जो यह लोन मांगते हैं वह तो ठीक है पर इसको फिर एक दफा बिल्कुल सही व्यवस्था करके लोगों में समान रूप से बांटा जावे तो ज्यादा ठीक रहेगा, नहीं तो आपस की इस झिकझिक से कोई फायदा नहीं है। लड़ाई झगडे तो जितने भी करें, थोडे हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री हिम्मतसिंह—मुझको इजाजत है बोलने की, या ये जवाब दे रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—Yes, reply is to be given

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—उपाध्यक्ष महोदय, इन लोन ग्रान्ट्स के बारे में जो सप्लीमेन्टरी डिमान्ड पेश की गई है उसके लिये पहले तो यह अर्ज कर दूं कि इसे सदन के सामने पेश करने का कारण क्या हुआ ?

जो माननीय सदस्य इस बात की जानकारी रखते होंगे और समाचार पत्रों में रात-दिन आने वाले समाचारों से परिचित होंगे तो उन्हें ज्ञात होगा कि भारत सरकार से राजस्थान सरकार ने यहां के अकाल के संबंध में.....

श्री हिम्मतसिंह—पोइन्ट ओफ आर्डर, सर, इसी के लिये में हाउस की तवज्जह दिलाना चाहता था ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—में ही कह दूंगा न ।

श्री हिम्मतसिंह—जो बात आप अब फरमा रहे हैं अगर यही पहले फरमा देते कि आपने ३९ लाख रुपया कहां खर्च किया था तो.....

श्री उपाध्यक्ष—Now he will explain.

श्री हिम्मतसिंह—तो कल भी यही बात पैदा हुई थी। यह जो तरीका बरता जा रहा है इससे पता नहीं चलता कि क्या होने जा रहा है। यह रकम किस में खर्च की जावेगी ? आपने यह रुपया किस में खर्च किया और अब किसलिये मन्जूरी चाहते हैं ? यह पहले ही बता देनी चाहिये। आपका यह प्रोसिजर गलत है। अगर यही बात आप पहले मोशन मूव करते समय ही एक्सप्लेन कर देते कि यह रुपया रिलीफ फण्ड के लिये है, तो बेकार को बहस में हाउस का इतना समय यों ही नहीं बरबाद होता। इससे हाउस का समय बच सकता है। आगे से आप किसी चीज का पहले ही खुलासा कर दिया करें।

श्री उपाध्यक्ष—You mean that at the time of introduction of the Demand there should be some statement explaining the Demand ?

श्री हिम्मतसिंह–Yes Sir,

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मन्त्री)—तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि जिस मांग को यहां पेश किया गया है उसके बारे में समाचार पत्रों में कई बार चर्चायें चली थीं और राजस्थान सरकार और भारत सरकार द्वारा जो मदद दी गई उसकी जानकारी भी सदन के माननीय सदस्यों को निश्चित तौर से मालूम होगी और होनी चाहिये कि राजस्थान के लिये क्या क्या किया जा रहा है और क्या क्या हुआ। इसके अतिरिक्त ३९ लाख रुपयों की मांग पेश की गई इसमें २० लाख रुपये वे हैं जो भारत सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को लोन्स एण्ड एडवान्सेज के रूप में फेमिन एरिया में तकावी देने के लिये ग्रान्ट (स्वीकृत) किये गये। जो कोन्टीजेन्सी फण्ड बजट के अन्दर रखा गया था उसकी कोई मद अपसेट होने वाली नहीं इसलिये इसमें से खर्च किया गया, इस वजह से यह मांग पेश की गई। इसमें भारत सरकार के द्वारा दिये गये ३० लाख रुपये भी शामिल होते हैं। उन सबको रेगुलेराईज (नियमित) करने के लिये यह मांग पेश की गई है। इससे मैं समझता हूं कि यह स्पष्ट हो जायगा कि इस रकम की मांग क्यों की गई। इस रकम की मांग का कारण, पहले फंड्स को देखते हुए तकावी की रकम कम थी। हमारे यहां से तो हम खर्च नहीं कर सकते थे इसलिये भारत सरकार के सामने ज्यादा से ज्यादा मांग पेश की और उन्होंने हमारी मांग को स्वीकार किया और यहां की आवश्यकता को महसूस करते हुए उन्होंने ३० लाख रुपये ग्रान्ट किये। अब इस रकम के खर्च के बारे में यहां पर बहुत वाद-विवाद हुआ, गोकि जिस बारे में यहां ज्यादा चर्चा हुई दुर्भाग्य से उसका इस सप्लीमेंटरी डिमाण्ड से कोई संबंध नहीं है। तकावी लोन का फेमीन से कोई संबंध नहीं, तकावी लोन का संबंध फेमीन के सवाल से कोई मेल नहीं खाता लेकिन फिर भी इस संबंध में जो चर्चा की गई उसके लिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन को सूचित करना चाहता हूं कि कोई भी किसी भी अवसर पर मेरे सामने चाहे कांग्रेस पक्ष का हो, चाहे विरोधी पक्ष का हो कहीं से कोई भी बात आई होगी तो मैंने यह नहीं कहा होगा कि इस बारे में जानकारी प्राप्त न की जाय। श्री लादूरामजी ने अपनी स्थिति आपके सामने स्पष्ट कर दी। उनके स्पष्टीकरण के बाद मुझे उन बातों में जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। मेरे सामने जब यह सवाल लाया गया उस वक्त यह कहा गया कि चाहे कोई हो इस बारे में जानकारी की कार्यवाही करना आवश्यक है, वह कार्यवाही की जानी चाहिये। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार कभी भी इस बात से झिझकने वाली नहीं है कि कौन क्या करता है और कौन क्या।

इसके साथ साथ मुझे एक बात कहना बहुत आवश्यक प्रतीत होता है जो यह कि किसी पर आक्षेप किया जाय उससे पहले उसकी जानकारी प्राप्त कर लेना उपयुक्त होगा। एक दूसरे पर पार्टी की वजह से आक्षेप किया जाना, बगैर जांच किये, मेरी समझ में इस सदन के लिये शोभास्पद नहीं है। यह एक गलत तरीका है, जिसको हमें ठीक करना चाहिये।

लादूरामजी ने अपने भाषण में जो कुछ स्पष्टीकरण दिया उससे आपको वास्तविकता ज्ञात हुई होगी। किन्तु मैं इस वाद-विवाद में न पड कर इतना ही कहना चाहता हूं कि जो बातें सदन में कही गई हैं, माननीय भैरूंसिंहजी और कर्नल दिल्गीरसिंहजी द्वारा, उसके बारे में वे मेरे से कभी

Page No.36

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)]
नहीं मिले और न उन्होंने मेरे सामने इन बातों की चर्चा ही की। अगर माननीय सदस्य इन बातों के बारे में इतने उत्सुक प्रतीत होते हैं तो उनको चाहिये था कि वे इस बारे में पहले मुझ से मिलते और बाद में वे इस बात को सदन के सामने पेश करते तो अधिक श्रेष्ठ रहता।

कर्नल श्री दिलीपसिंह—मैं इन बातों को आपके समक्ष पेश करने ही वाला था, कल मैं आपके समक्ष उनके नाम वगैरह लेकर उपस्थित होऊंगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (कृषि मंत्री)–(अपना भाषण जारी रखते हुए) जैसा कि श्री दिलीपसिंहजी ने फरमाया कि कल वे मेरे सामने रखना चाहते हैं। लेकिन जिस बात को हम सदन में कहना चाहते हैं, जिस बात पर हम सदन में चर्चा करें उसके बारे में कई मौके मिलते हैं, उनको मेरे सामने रखने के। वे दो चार दिन से यहीं हैं, अगर वे चाहते तो इन बातों को वे पहले भी रख सकते थे। श्री भैरूंसिंहजी जो अक्सर यहां आया करते हैं और मुझ से भी मिला करते हैं अगर वे इसमें सार्वजनिक हित का खयाल रखते तो उनको इन बातों को मेरे सामने रखना चाहिये था। इससे तो यही प्रतीत होता है कि उनमें सार्वजनिक हित नजर नहीं आया और इस बारे में उन्होंने मुझसे कभी चर्चा नहीं की। इन बातों से तो यही खयाल होता है कि माननीय सदस्य जो कुछ बातें कहना चाहते हैं वे सिर्फ सदन में ही कहना चाहते हैं इन बातों से पता चलता है कि वे इन बातों में कितने गंभीर हैं! अगर इनका दुरुपयोग हो रहा है तो उनको पहले कहना चाहिये, पहले नोटिस में लाना चाहिये। मैं आज यह कह सकता हूं कि लाखों रुपयों की तकावी बांटी गई, उनके खिलाफ दो भी पत्र मेरे पास नहीं आये। केवल दो रिप्रेजन्टेशन आपको मिलेंगे। इसके अलावा कोई भी शिकायत मेरे पास नहीं आई। कई सदस्य इसमें अच्छा समझते हैं कि जो कुछ भी बातें हों वे यहां सदन में कही जायं ताकि वातावरण को दूषित करने का मौका मिल सके। मैं सोचता हूं कि इन बातों में पड़ने से वे जनता का क्या हित कर सकेंगे, जो जन हित की बातें किया करते हैं। यह बातें तो वक्त पर ही ज्यादा उपयुक्त प्रतीत होती हैं। इस तकावी के बारे में जो सप्लीमेन्टरी मांग रखी गई है उसके बारे में मुझे यकीन है कि इस रकम का ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से अच्छा उपयोग किया गया, कहीं भी ५०), ६०) रुपये से अधिक की तकावी नहीं दी गई ताकि सब जगह जमीन में बीज पड़ सकें। बीकानेर और जोधपुर के इलाके में सारी जमीन पर इस कारण बीज पड़ सका। यह इस तकावी का ही परिणाम है। राजस्थान के अन्दर सरकारी अधिकारियों ने सुबह से रात को ११-११ बजे तक इन तकाबियों को बांटा। महीनों उन्होंने इस काम को किया, जब कहीं जाकर इस तरह से तकावी का वितरण हो सका। गांवों की रिपोर्ट ली गई, गांव के मुखिया से राय ली गई, कमेटियों की राय ली गई और अधिकारियों द्वारा जांच की गई। उसके लिये आपको घूम फिर कर देखना चाहिये कि किस तरह का काम हुआ? आपको इसे एप्रिशियेट करना चाहिये। आज उन क्षेत्रों में जहां तकावी वितरण की गई कोई भी चला जाय, जहां अकाल का काम हुआ, उस क्षेत्र में सदन के सदस्य जायं और उस इलाके के अन्दर जांच करें और देखें कि राजस्थान की ओर से जो काम हुआ है वह संतोषजनक है या नहीं। मुझे आशा है कि उनको वहां काम देख कर अवश्य संतुष्टि होगी। जिस समय पार्लियामेन्ट में बहस हो रही थी उस वक्त भी मैंने आपसे

Page No.37

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)

प्रार्थना की थी कि आप वहां जाय और परिस्थिति की जांच करें। इस समय भी मैं विरोधी पक्ष से और इस पक्ष के लोगों से अर्ज करूंगा कि वे वहां जाकर जांच करें कि दर असल लोगों को लाभ पहुंचा हैं या नहीं ? कल भी आप इस विषय पर काफी चर्चा कर चुके हैं। आपसे मेरा निवेदन है कि आप सही बातों को पकड़िये, जिससे हजारों नहीं बल्कि लाखों आदमियों को लाभ पहुंचा है और उस चीज की जब आपके सामने मांग पेश की जाती है तो जिस तरह की सहानुभूति आपके द्वारा प्रदर्शित की गई है वह इस सदन के लिये तो शोभास्पद नहीं और जनता का भी इससे कोई बडा हित होने वाला नहीं। माननीय सदस्यों को ऐसी ही बातें करनी चाहिये और कहनी चाहिये जिससे जनता का और सदन का हित होता हो।

राजा श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—उपदेश तो आपका बहुत सुन चुके और भी कुछ आप फरमा सकते हैं तो फरमाइये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (कृषि मंत्री) (अपना भाषण जारी रखते हुए)—उपदेश की तो कोई बात नहीं कह रहा हूं किन्तु इतना अवश्य कहूंगा माननीय सदस्य कि मुझे क्षमा करें जो कुछ वे बोले वह उपयुक्त नहीं था, अच्छा नहीं था। चाहे जिस तरीके से लिया जाय कांग्रेस के लोग अकाल के जमाने में गांव-गांव फिरे और जनता के अन्दर उन्होंने काम किया। उनको उसका श्रेय न मिले, यह कभी भी अच्छा नहीं कहा जा सकता। उन बातों को हम यहां सदन में आकर चर्चा करें, जिनको आपने जानकारी तक प्राप्त नहीं की, यह सदन के लिये उपयुक्त नहीं। ये उपदेश की बातें नहीं जो वास्तविक तथ्य हैं वे मैंने आपके सामने रखे हैं। दूसरी बातें तो आप बहुत करते हैं किन्तु मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके पक्ष के लोगों में से सिर्फ खेतसिंहजी के सिवाय किसी ने भी अकालग्रसित क्षेत्र में जाने की कोशिश नहीं की। श्री खेतसिंहजी ने जानकारी प्राप्त की। गांवों में जाकर आपने वहां के लोगों की हालत देखी। बगैर कुछ देखे किसी भी बात के लिये कहना उपयुक्त नहीं लगता। इस स्पष्टीकरण के साथ मेरा यह निवेदन है कि जो मांग मुख्य मंत्री महोदय ने आपकी स्वीकृति के लिये सदन के सामने रखी उसको स्वीकृत करेंगे और अपने कट मोशन वापिस लेंगे।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, थोडे से शब्द में भी इसके साथ और जोड़ देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं इस भ्रम को दूर कर देना चाहता हूं जो माननीय गोपीलालजी यादव ने पैदा करने की कोशिश की। हमने जो बजट बनाया था, जो फिगर्स थे उसमें कम ज्यादा रकम उठाने के लिये यह मांग की गई है। हम ज्यादा रकम नहीं मांग सकते। बजट बनाते वक्त ऐसी भी मदें हो सकती हैं उसमें से जो कुछ खर्च करना पडता है उन मदों की रकम हम कोन्टिन्जेन्सी में रख लेते हैं। इस कोन्टिन्जेन्सी में से कुछ रुपया खर्च किया गया, वह रुपया जिस जगह जाना चाहिये, किस मद में होना चाहिये। जो रकम हमने लोन्स एण्ड एडवान्सेज में से ली है उसकी मंजूरी की दरख्वास्त आपसे की जा रही है।

फेमिन के सिलसिले में सदन ने ३० लाख रुपये मंजूर किये थे और हमने भी तीस लाख रुपये ही मांगे थे। हमको खयाल नहीं था कि हमको ज्यादा रकम खर्च करनी पडेगी, और वाकई अल्ला

[श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)]

मियां का क्या इरादा है, उसका खयाल होता भी कैसे ? शायद हमारे मित्र श्री गोपीलालजी यादव को खयाल हो जाता हो, तो बात अलग है। आप बडे बुद्धिमान हैं, लेकिन हम तो कम से कम अल्ला-मियां के इरादे को एण्डवान्स में जानने वाले नहीं हैं, लेकिन बाद में कम से कम फेमिन (अकाल) का रूप बडा उग्र हो गया इसलिये हमें ३० लाख रुपये और भी भारत सरकार से लेने पडे।......

राजा श्री हिम्मतसिंह (वि० सं० ६१)—बजट बनाया तब तो कहतसाली थी।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—बजट बनाया तब तो कहतसाली थी, लेकिन इतनी भयंकर कहतसाली नहीं थी। बजट बनाते वक्त अगर कहतसाली का ही खयाल करते तो मेरे खयाल से आप यही कहते कि अकाल ही अकाल की बात करते हैं। यह जो कल्पना थी कि इतनी कहतसाली हो जायगी और पानी बिल्कुल ही नहीं बरसेगा माननीय सदस्य की ही बुद्धि में आ सकता है, मेरी जैसी तुच्छबुद्धि वाले की समझ में आना मुश्किल है। यह तो पहले से ही कल्पना कर लेनी चाहिये, बरसात की कल्पना तो पहले से ही कर लेनी चाहिये, लेकिन आपको बताता हूं कि नागौर में जहां कि अकाल था वहां ३१ इंच बरसात हो गई है और एक दिन में ९ इंच की बरसात हो गई। उसका नतीजा यह हुआ कि चारों तरफ पानी ही पानी पड़ा हुआ है, और अब वहां हजारों नहीं लाखों रुपये भेजने पड़ेंगे।

बजट के अन्दर अल्ला-मियां का कोई प्रतिनिधि नहीं था। अपोजिशन (विरोधी दल) की तरफ से चुन कर भेज देते तो शायद वे हमको सुझाव भी दे देते। इस किस्म की जो चीज है उनको बहुत ही जिम्मेदारी के साथ समझना चाहिये।........

राजा श्री हिम्मतसिंह (वि० सं० ६१)—क्या आपका खयाल है कि यह फसल भी खराब हो जायगी ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—मैं समझता हूं कि आपके मुंह में गुड़ शक्कर।

अभी ३५ लाख रुपये जो फेमिन के अन्दर खर्च हुए हैं उसके संबंध में आपसे अर्ज करना चाहता हूं। साथ ही साथ यह मामूली तकावी है वह सिर्फ डेढ लाख रुपये की दी गई है। जहां बीज देने की बात थी वहां ऐसी और तकावी ढाई लाख रुपये की दी गई है। इस तरह यह मिला कर ३९ लाख रुपये होते हैं, बहुत घबराने की बात नहीं है।

एक बात जो है वह यह कि आपने जो फरमाया था कि पहले से स्वप्न हो जाता तो बहुत अच्छा होता। बदकिस्मती से मैं कल दूसरे सिलसिले में फंसा हुआ था। पहले डिमान्ड वाली बात में लग गया, लेकिन इस सिलसिले में कि पहले वाली डिमान्ड की ऑडिट रिपोर्ट आनी चाहिये तो पहले ऑडिट रिपोर्ट और फिर बाद में डिमान्ड की बात कर दूं और थोडी देर बाद में भैरूंसिहजी खड़े हो गये। मैंने सोचा था कि बाद में मुकर्रर करें तो एक्सप्लेन (Explain) कर दूंगा।

दो एक बातें में फिर अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि जैसा इसी.....

Page No.39

श्री राजा हिम्मतसिंह (वि० सं० ६१)—अब भविष्य के लिये जो अर्ज किया था वह प्रोसीजर एडॉप्ट (Procedure adopt) हो ।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—मैं ऐसा समझता हूं कि डिमाण्ड के साथ एक्सप्लेनेशन रख दिया जायगा कि वह इस तरह से है ।

राजा श्री हिम्मतसिंह (वि सं० ६१)—बड़ी महरबानी होगी ।

श्री जयनारायण व्यास—धन्यवाद है ।

अब मैं दो तीन बातों पर और अर्ज करना चाहता हूं। श्री सुखाड़ियाजी ने कुछ बात कहीं और आप लोगों ने कह दिया कि 'अब उपदेश बहुत होगया'। लेकिन एक अर्ज तो मैं करूंगा कि हम लोग यहां पर सदस्य हैं सदन के और जिम्मेवार व्यक्ति हैं, और जिम्मेवार व्यक्ति का काम है कि बात को सोचें और ठीक हो तो ताइद करें, और कोई गलती हो चाहे वह अपोजिशन (विरोधी दल) की तरफ से हो या इधर (सरकारी पक्ष) से हो,मैं तो कई बार अर्ज कर चुका हूं कि अगर कोई बात हमको सुझाई जाय तो हम बराबर उस पर गंभीरता से सोचेंगे। यह पहले से सूचना नहीं थी कि जो यहां कहा गया कि २५०) रु. में २००)रु. तो खुद ने ले लिये और ५०)रु. दूसरे को दे दिये। और उस पर यही होता है कि "शेम शेम" की आवाज कर देते हैं। यह भी कहा गया कि एक एम. एल. ए. साहब हैं जिन्होंने तकाबी तो ले ली और अपने घर में रख ली। पता नहीं इस प्रकार की कई कई बातें यहां कही गई। ऐसी बातें हैं तो वह मिनिस्टर इंचार्ज के सामने लाई जायं, या कोई चोरी चकारी की बात हो तो मैं आपकी सेवा में मौजूद हूं। मैं उसकी जांच पडताल करूंगा। और एम. एल. ए. महोदयों से आशा करता हूँ कि वे इस हाउस के अन्दर जो बात बिना मिनिस्टर के ध्यान में लाया करते हैं उसे केवल प्रोपेगण्डा की बात समझेंगे और उसके साथ ही "शेम शेम" कराकर उस बात की उपयुक्तता सिद्ध करने की कोशिश करें तो वह और भी ज्यादा प्रोपेगण्डा (प्रचार) है। प्रोपेगण्डा से ज्यादा वास्तविक चीज ही काम करती है। वास्तविकता और सच्चाई का असर उस झूठे प्रचार से ज्यादा होता है। मैं अर्ज कर देना चाहता हूं......

राजा श्री हिम्मतसिंह—जगाना भी चाहिये ।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—जगाना चाहिये, लेकिन जगाने के लिये भी वक्त होता है। रात के १२ बजे काम हो या नहीं हो और थाली बजा कर जगा दें तो जगाना ठीक नहीं होता। (करतलध्वनि)

इसलिए मैं अफवाहों के बारे में कहता हूं। कांग्रेस के प्रति आपको अगर प्रेम नहीं है तो कोई बात नहीं है। कांग्रेस ने थोडी बहुत सेवा की होगी। कांग्रेस के बारे में मैं आपको कह दूं कि कांग्रेस एक बडी लंबी-चौडी संस्था है और उस संस्था पर हमारे माननीय महार जो अभी नहीं आये हैं, उनको भी तबियत आ गई और सफेद टोपी उन्होंने पहन ली। किसी जमाने में साधु हमारे यहां बहुत ऊंचे समझे जाते थे तो चोर डाकू भी साधु बन जाते थे इसी तरह कांग्रेस के नाम का कोई भी दुरुपयोग कर सकता है।

[श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)]

अगर उस दुरुपयोग करने में पुराने कांग्रेसमेन भी हों तो वह भी नहीं छोडे जायेंगे। दूसरे भी कांग्रेस को बदनाम करने के लिए सफेद टोपी पहन पहन कर आ सकते हैं। इसलिए यह चीज इतनी में आपको बता दूं कि वे कांग्रेस को बदनाम करते हैं तो आपकी महरबानी है, लेकिन कांग्रेस को ऐसी कोई हिदायत नहीं हो सकती है कि तकावी के लिए २५०) रु० दें तो २००) रु० खुद रख लो या एडल्ट एजुकेशन (प्रौढ शिक्षा) का काम करते हो, इसलिए रुपये ले लो। यह बात कभी नहीं होती है, यह कभी बरदाश्त नहीं की जा सकती है। जहां तक सरकार का ताल्लुक है कांग्रेस और विपक्षी दल दोनों उसके लिए बराबर हैं, लेकिन कांग्रेसमेन के नाते मुझ से पूछें तो मैं यह कह देना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति कांग्रेस के नाम पर इस तरह की हरकत करेगा तो मैं वादा करता हूं कि कांग्रेस उसको सजा देगी। (करतल ध्वनी)

लेकिन यह सदन ऐसा है कि इसमें जो कुछ भी कहा जायगा उसका असर अदालतों में नहीं हो सकता इसलिए जो कुछ भी चाहें आप कह देते हैं।

कुछ तहसीलदारों के बारे में भी कहा गया था। हमारे मित्र संतोषसिहजी ने भी कुछ कहा था। संतोषसिहजी काफी छोटे थे, लडके थे, वे शायद मेरे पास पढे भी होंगे, लेकिन आज सफेद मूछें देखकर ध्यान आया कि वे शायद बजुर्ग हो गये हैं। मैं उनसे आशा करता हूं कि वे शायद सफेद मूछों की तो लाज अवश्य रखेंगे।

श्री हिम्मतसिंह--वे इस समय यहां हैं नहीं, इस लिये क्षमा करें।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—क्षमा करने का कोई सवाल नहीं है। यदि किसी तहसीलदार ने रुपये लिये हैं तो उसे जरूर सजा मिलेगी। यह नहीं है कि सारे ही तहसीलदार दूध के धोये हुए ही हों। कई लोग तकावी आदि के मामले में गडबड करते हैं और कइयों को सजा भी मिलती है। लेकिन सजा तब मिलती है जब कोई रिश्वत खाते या चोरी करते पकड़ा जाय। यदि आप उनके बारे में वेग डिस्कशन्स (निरर्थक वाद-विवाद) न करके कोई कांक्रीट (ठोस) बातें रखें तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो रिश्वतखोर हैं उनको अवश्य सजा दिलवाई जायगी। मुझे और अधिक कुछ नहीं कहना है, सिर्फ गोपीलालजी से यह अर्ज करना है कि वे वकील हैं और मिनिस्टर रह चुके हैं। यह नया बजट नहीं है और हम जगलरी ऑफ फिगर्स (आंकडों की जादूगरी) नहीं कर रहे हैं। मैं उनसे यही कहूंगा कि आप जगलरी ओफ वर्डस (शब्दों की जादूगरी) न करें। यह रकम कोन्टिजेन्सी आदि से लेकर खर्च की गई है इसलिये आप इसको जमा खर्च करने की स्वीकृति दे दें।

श्री उपाध्यक्ष (श्री लालसिंह शक्तावत)-क्या श्री भंरूसिंह अपना कटमोशन विद्ड्रा करना चाहते हैं?

श्री भंरूसिंह—मैं सदन से कुछ अर्ज करना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मैंने अपना कटौती प्रस्ताव रखा था उस पर जैसा कि श्री गोपीलालजी यादव ने फरमाया था कि यदि एक्सप्लेनेटरी नोट पहले दे दिया जाता तो सुविधा होती, फेमिन की डिमान्ड अकाल की मांग के समय ही ले लिया जाता। लेकिन एक्सप्लेनेटरी नोट नहीं होने के कारण ऐसा समझ लिया जा सकता है। माननीय मित्र ने आज मुझ पर झूठा इलजाम लगाने का प्रयत्न किया और उस पर दूसरे पक्ष की ओर से काफी गर्मागर्म बहस की गई लेकिन किसी की यह हिम्मत नहीं हुई कि साफ तौर से उसे गलत बताते।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—साफ तौर से कहा गया था।

श्री भैंरूंसिह—मेरे ख्याल से ऐसे कागजात चल रहे हैं, उसमें बयान भी हुए हैं तथा सुखाड़िया साहब ने भी ऐसा कहा है। उन्होंने मंजूर किया है कि ऐसी बात तहसील में हुई है। यह प्रारम्भिक मामला है इसमें एक माननीय सदस्य के खिलाफ इन्क्वायरी की गुंजायश है। मुझे यह कहना है कि······

श्री उपाध्यक्ष—रिपिटिशन न करें।

श्री भैंरूंसिह—मैं चाहता हूं कि जिस तरह से मुझे राजस्व मंत्रीजी ने फरमाया कि किसी सदस्य के ऊपर आरोप जिम्मेदारी के साथ लगाया जाना चाहिये, मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि तहसील में ये कागजात चल रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से ऐसे कागजात देखे हैं।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—जिम्मेदाराना तरीका काम में लिया जाय, ऐसा कहा गया था।

श्री भैंरूंसिह—"जिम्मेदारी से या जिम्मेदाराना तरीके से" में कोई फर्क नहीं समझता। माननीय मंत्रीजी ने यह फरमाया था कि ऐसे कागजात आये हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—मेरे सामने ऐसे कोई कागजात नहीं आये।

श्री भैंरूंसिह—यदि मैं भूला नहीं हूं तो आपने ऐसा फरमाया था और अगर नहीं फरमाया था तो मैं इस पोइन्ट पर बहस नहीं करना चाहता। ये सारे कागजात कलेक्टर के ऑफिस में पड़े हैं।

श्री मथुरादास माथुर—माननीय भैंरूंसिहजी ने जो मुद्दा उठाया था उसका जवाब दे देने के बाद भी क्या उनको बोलने का अधिकार है और यदि है तो मैं कहना चाहता हूं कि·········

श्री उपाध्यक्ष—यह तो बात हो गई।

श्री मथुरादास माथुर—यदि उनको बोलने का हक है तो मैं उत्तर देने को तैयार हूं।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—उसका उत्तर वे खुद दे सकते हैं।

श्री हिम्मतसिंह—Has he got a right of reply.

श्री उपाध्यक्ष—(श्री भैंरूंसिहजी को संकेत करते हुए) Are there any new points?

श्री भैंरूंसिह—जो बात मैंने कही है, वह वापिस नहीं लेना चाहता; लेकिन इसका संबन्ध फेमिन से होने के कारण मैं अपना कट मोशन वापिस लेना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—Is it the leave of the House to allow Shri Bhairon Singh to withdraw his Cut motion?

(आज्ञा प्रदान हुई)

You can withdraw your Cut motion.

Page No.42

श्री भैरोंसिंह—मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—The question is: "that a supplementary sum not exceeding Rs. 39,00,000/- be granted to H.H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1954, in respect of Grant No. XLVIII, Major Head, R-Loans & Advances by State Government".

(स्वीकृत)

The demand is granted.

अनुपूरक अनुदान–कृषि ४४

श्री मोहनलाल सुखाडिया (कृषि मंत्री)–Sir, I beg to move: "that a supplementary sum not exceeding Rs. 3,37,000/- be granted to H.H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1954, in respect of Grant No. XLIV, Major Head - 40 - Agriculture."

मैं समझता हूं कि इसको पहले थोड़ा एक्सप्लेन करदूं ताकि इससे कभी कभी जो शक पैदा होता है उसके लिए गुंजायश नहीं रहे। यह जो डिमान्ड पेश की गई है उसको पेश करने के दो कारण हैं। एक तो यह कि इस साल जो अनप्रिसिडेन्टेड लोकस्ट का अटेक (भयंकर टिड्डियों का आक्रमण) हुआ उसकी वजह से यह डिमान्ड पेश करनी पडी। एन्टीलोकस्ट ऑपरेशन (टिड्डी विरोधी कार्यवाही) के लिये बजट में १ लाख ५० हजार रुपये रखे गये थे जब कि आवश्यकता इससे कहीं अधिक प्रतीत होती है। इस कारण से २ लाख ४४ हजार रुपये ज्यादा एन्टी लोकस्ट ऑपरेशन के लिये मांगे गये। इस साल ३०० टन के बी०एस०ए० डस्क जो होप्स को मारने के लिये काम आते हैं २५ हजार रुपयों का एडिशनल प्रोविजन (अतिरिक्त व्यवस्था) रखना पडा। १२ सेपर्स के लिये २४००० रुपये रखे गये। ५०० हेन्ड डस्कस और दूसरे सामान के लिये ४८००० रु० रखे गये। इसके अलावा ९३ हजार रुपये, जो पिछले साल ही सेन्टर के आधार पर ट्रेनिंग सेन्टर खोला गया, उसके लिए भारत सरकार के लिए मंजूरी ली जाती थी और पिछले बजट में (५२-५३ में) १,७४,०९२) रुपये रखे गये थे पर क्योंकि मंजूरी देरी से आई थी इसलिये ९३ हजार रुपये पिछले साल खर्च नहीं कर सके। इस रकम को इस साल खर्च करने की भारत सरकार से स्वीकृति आ गई है। इसकी स्वीकृति समय पर नहीं आने के कारण पहले के बजट में इसे नहीं रख सके थे। इसके अलावा और भी कई तरह का खर्चा है।

इस प्रकार कुल ९३ हजार रुपया खर्च होने का प्रश्न है। जब मैंने डिटेल्स आपके सामने रखी तब मैं यह समझता हूं कि इसके साथ साथ लोकस्ट की वजह से जो स्थिति इस साल हो गई है उसके बारे में कुछ संक्षेप में बता दूं।

राजस्थान के डेजर्ट एरिया (रेगिस्तान क्षेत्र) में तो भारत सरकार द्वारा लोकस्ट का काम किया जाता है और उसके अलावा जो कल्टीवेटेड एरिया है उसमें राजस्थान सरकार द्वारा सारा का

[श्री मोहनलाल सुखाडिया]

सारा काम चलाया जाता है। इस एरिया में पिछले साल जो अकाल की स्थिति थी-उससे ज्यादा लोकस्ट से इनफेक्शन है। इसके आंकड़े म आपके सामने रखना चाहता हूं जिससे इस मांग को स्वीकार करने में आपको ज्यादा दिक्कत न होः—

सन् १९५१ में राजस्थान में कुल ४६१ गांव लोकस्ट से प्रभावित हुए थे।
सन् १९५२ में राजस्थान में कुल ९३३ गांवों में लोकस्ट का असर हुआ था।
सन् १९५३ में राजस्थान में कुल २,१९२ गांवों में लोकस्ट का असर हुआ है।

और जहां तक एरिया का प्रश्न हैः—

सन् १९५१ में	४३० वर्ग मील
सन् १९५२ में	६००० वर्ग मील
सन् १९५३ में	१३९१० वर्ग मील।

जो लोग राजस्थान के विविध स्थानों से यहां पर आये हुए हैं वे इस बात को भली-भांति जानते हैं कि राजस्थान में किस प्रकार लोकस्ट का हमला हुआ है। कोटा और उदयपुर के कुछ जिलों को छोड़ कर अधिकांश राजस्थान में टिड्डी का भयंकर प्रकोप और आक्रमण हुआ है।

मुझे इस संबंध में जो इत्तिला मिली और मैंने इत्तिला मिलने पर सरकार की तरफ से जो जांच करवाई उससे भी यही प्रतीत हुआ है। मैंने खुद ने भी वहां जाकर देखा है जहां इस प्रकार लोकस्ट के व्यापक हमले हुए हैं। लेकिन जो सरकार की तरफ से प्रबंध किया गया है वह, मैं समझता हूं कि काफी संतोषजनक है।

कल बिलाड़ा के बारे में बोलते हुए श्री संतोषसिंहजी कछवाहा ने सदन में कुछ बातें लोकस्ट के बारे में कही थीं; उसके बाद तत्काल ही मैंने इस विषय में कलक्टर से जानकारी प्राप्त की और जो तार कलक्टर से कल ही आया उसको पेश करूंगा जिसमें उन्होंने बताया है कि ९८ गांव इससे प्रभावित थे और वे ज्यादातर साफ कर दी गई हैं और इस वक्त भी लोकस्ट को साफ करने का काम जारी है। १० गांवों में होप्स हैं। १० गांव के होप्स साफ कर दिये गये हैं और ८ गांवों में पड़ी हुई टिड्डी को भी साफ कर दिया जावेगा। इस सिलसिले में ठीक काम किया जा रहा है। सरकार के पास लोकस्ट को साफ करने के लिये इक्विपमेन्ट्स की कमी थी, इसलिये उसको पूरा करने के लिये यह मांग पेश की गई है।

श्री जवानसिंह (९७)—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव इस प्रकार है :—

"That the Demand for a Supplementary Grant No. XLIV for a sum of Rs. 3,37,000/- in respect of Major Head No 40 - Agriculture be reduced by Rs. 100/- (to discuss the waste in this Department)."

इस अमेन्डमेन्ट के सिलसिले में जो कटौती का प्रस्ताव मैंने पेश किया है इससे यह न समझा जावे कि मेरा इस कटौती प्रस्ताव के जरिये इस रकम में किसी प्रकार की कमी करने का विचार हो।

[श्री जवानसिंह]

इस सिलसिले में अभी माननीय मन्त्रीजी ने जो बातें पेश कीं उनको ठीक तरह से समझते हुए मैं इसके साथ साथ एक और सुझाव देना चाहता हूं और वह यह है कि जिस प्रकार मौजूदा साल के बजट (जनरल बजट) में ऐसा प्रोविजन रखा गया है कि राजस्थान में हर दो-तीन साल के बाद अकाल पड़ता रहता है इसलिये उस समय उत्पन्न होने वाली स्थिति को अच्छी तरह रोकने के लिये, अकाल को दूर करने के लिये इस बजट में अलग फण्ड कायम कर दिया है जिसमें सालाना ३० लाख की रकम रखी गई है। जिससे दो-तीन साल में पड़ने वाले दुर्भिक्ष का मुकाबला किया जा सके।

अकाल की तरह से टिड्डी की समस्या भी बड़ी जटिल है। इसलिये इसके साथ साथ इस मसले को भी राजस्थान सरकार को किसी न किसी तरह सुलझाना चाहिये और मेरा इस संबंध में यह सुझाव है कि अगर हमारे बजट में उसी तरह का कोई प्रोविजन रख दिया जाता तो बहुत अच्छा होता क्योंकि टिड्डी राजस्थान में हमेशा आती रहती है और आती रही है। इसलिये इसके लिये एक अलग फण्ड खोल दिया जावे ताकि उस मद के नीचे सालों साल रकम रख दी जावे और वह रकम इसी काम के लिये काम में लाई जा सके।

टिड्डी का प्रश्न केवल राजस्थान तक ही नहीं या हिन्दुस्तान तक ही सीमित नहीं रहा पर दूसरे देशों में भी है। यह प्रश्न दूसरे देशों में भी विचाराधीन है यहां तक कि यू०एन०ओ० में भी इस प्रश्न को रखा है और इस मसले को हल किया जावेगा।

हमारे लिये यह एक बहुत इम्पोर्टेन्ट फैक्टर है और मेरा इस संबंध में यह सुझाव है कि इसके लिये अलग फण्ड कायम किया जावे ताकि इसका ठीक तरह से मुकाबला किया जा सके। जो इतनी रकम खर्च की गई और की जा रही है उस सिलसिले में मुझे यह अर्ज करना है कि हमारी सरकार ने किस तरह से अपूर्ण इसका मुकाबला ठीक तरह से नहीं किया है। मुझे मालूम हुआ है कि कुछ दिन पहले केन्द्रीय सरकार की तरफ से यह सुझाव आया था कि अगर राजस्थान सरकार अपनी तरफ से कुछ जीप गाड़ी रखे तो वह उनसे दुगनी जीप गाड़ियें उनको देने के लिये तैयार है। जहां तक मुझे इस सिलसिले में मालूम हुआ है हमारी सरकार ने जो सुझाव केन्द्रीय सरकार की तरफ से आया था उसको ठीक नहीं माना और उन्होंने कहा कि हम जीपें नहीं रख सकते।

श्री जयनारायण व्यास—आपकी इनफोर्मेशन गलत है।

श्री जवानसिंह—यदि मेरी जानकारी गलत हो तो आप सही सही बात बतादें।

अगर केन्द्रीय सरकार की तरफ से कोई इस प्रकार का सुझाव नहीं आया तो हमें अपने पास जो मोटर कारें और जीपें हैं उनको इस कार्य के लिये हर समय तैयार रखना चाहिये। अभी दो महीने पहले जब टिड्डियों का आक्रमण हुआ था उस समय कृषि विभाग में काफी कारें और जीपों के होते हुए भी एक भी कार ऐसी नहीं थी जिससे वक्त पर काम लिया जा सकता था। जब हमारे इस विभाग में ६८ इस प्रकार की गाड़ियें मौजूद हैं तो सरकार को उन्हें मेन्टेन करनी चाहिये; चाहे उसका गेरेज

[श्री जवानसिंह]

भरतपुर में हो, चाहे जयपुर में। गाडियों को तो मेन्टेन कराना ही चाहिये। यह तो विदित ही है कि टिड्डियों का आक्रमण हमारे यहां हर साल होता रहता है। तब हमको हमारा सामान तो ठीक तरह से रखना चाहिये, ताकि समय पर मदद मिल सके। मगर इस वर्ष जब आक्रमण हुआ तो कारों के लिये इधर से उधर भागना पडा और अपने कृषि विभाग का खुद का मोटर गेरेज होते हुए भी जरूरत से ज्यादा पैसा दूसरों को दे कर गाडियों की मरम्मत का प्रबंध करना पडा। यह बेकार सा खर्च था और अगर सरकार ठीक तरह से काम करती तो यह खर्च बचाया जा सकता था।

इस सिलसिले में मैं दो-चार शब्द और कहना चाहता हूं कि जिस तरह से टिड्डी का मुकाबला हमारी सरकार को करना चाहिये था, उस तरह से नहीं किया जा रहा है। मुझे जहां तक मालूम हुआ है हमारे कृषि विभाग के डाईरेक्टर साहब के दफ्तर के आगे लाल बत्ती लगी हुई है और जब वह लाल बत्ती लग जाती है तो उसके बाद में कोई भी व्यक्ति उनके आफिस में नहीं जा सकता, चाहे वह कितनी भी मुसीबत की कहानी कहना चाहता हो। दूसरी एक चीज और नजर आई कि हमारे डाईरेक्टर साहब ने एक दिन बुधवार को ऐसा रखा है जिस रोज वे चिंतन करते हैं। उस दिन कोई भी व्यक्ति उनसे मिल नहीं सकता। क्योंकि उनके चिंतन में किसी तरह की बाधा नहीं पडनी चाहिये। चाहे कोई भी व्यक्ति टिड्डियों के बारे में ही क्यों नहीं खबर देने आया हो।

तो ये कुछ असुविधायें हैं जो जनता को भी और कर्मचारियों को भी हो सकती हैं। ये असुविधायें जल्दी से जल्दी दूर करदी जाय तो अच्छा होगा, ताकि काम में भी किसी तरह की गड़बडी न हो। जहां तक टिड्डियों के आक्रमण के वक्त मोटरों की रिपेयर्स का सवाल है, यह पाया गया है कि जयपुर के बाजार में कृषि विभाग को एक पैसा भी कोई उधार देने के लिये तैयार नहीं है। इतने क्रेडिट बिल्स कृषि विभाग के ऊपर पडे हुए हैं कि कोई कम्पनी उनको उधार कोई सामान देने के लिये तैयार नहीं है। मैं आशा करता हूं कि हमारे मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे और इन मुश्किलातों का जल्दी से जल्दी निवारण करने की कोशिश करेंगे।

जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि इस संबंध में मुझे कोई शिकायत नहीं है कि आप इतना पैसा इस सप्लीमेन्टरी डिमान्ड के जरिये क्यों चाहते हैं, किन्तु इन बातों को आप तक पहुंचाने के लिये ही, सुधार के लिये मैंने यह कट मोशन पेश किया था।

श्री राज हिम्मतसिंह (अटरू)—उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री मोहनलाल सुखाडिया (कृषि मंत्री)—आपके यहां तो टिड्डियां नहीं आई।

श्री राज हिम्मतसिंह (अटरू)—उसके लिये भी अर्ज करूंगा।

(हंसी)

उपाध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चर के विषय में डिमान्ड मांगी गई है। उस विषय में जैसा कि श्री जवानसिंहजी ने कहा उसके समर्थन में मुझे भी अर्ज करना है। मिनिस्टर महोदय ने वैसे ही

[श्री राजा हिम्मतसिंह अटरू]

विषय को साफ कर दिया है। बहुत सारा मामला साफ हो गया है और जो शंकायें ऊट-पटांग पैदा हो गई थीं, वे दूर हो गई हैं। लेकिन आपके सुझाव के लिये कुछ बातें अवश्य ही अर्ज करूंगा।

टिड्डियां अधिकतर मारवाड और रेगिस्तान में अधिक पैदा होती हैं और वहां ज्यादा रहती हैं। कहीं और जगह भी रहती हैं।

श्री जयनारायण व्यास—टिड्डियां तो ईरान से आती हैं।

श्री राज हिम्मतसिंह—आपका देश भी उससे मिला हुआ है। भाग्य से कोटा इलाका इससे अलग है। इसकी हमें जरूरत भी नहीं है। यह तोफा तो वहीं रहे। अर्ज करने का मेरा मतलब यह है कि इस हाउस को मालूम होगा कि पंजाब में बन्दरों को मारने का एक प्रोग्राम चला था। सैकड़ों और हजारों की तादाद में बन्दर मारे गये। महात्मा गांधी का उद्देश्य यह था कि अहिंसात्मक तरीके से काम होना चाहिये। बन्दर मारे गये और करोड़ों की तादाद में टिड्डियां मारी जा रही हैं। अब अहिंसात्मक तरीका नहीं रहा किन्तु हिंसात्मक तरीका रह गया है। हो सकता है कि यह करना पडता हो। आपको इसके संबंध में कोई दूसरा तरीका पसन्द नहीं आता। मैं एक ऐसे तरीके की ओर, जो वर्षों से और सदियों से चला आ रहा है ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कोटे में 'टिड्डी टाल' के नाम से हजारों बीघा माफियां मौजूद हैं। उनका सिर्फ इतना ही काम है कि जब देश में टिड्डी का आक्रमण होता है, जिस इलाके में आक्रमण होता है, उसका उनसे बचाव करें। गांव वालों का, उस इलाके वालों का और ग्रामीण जनता का उन पर विश्वास भी है। वे सदियों से काम करते चले आ रहे हैं तथा आज भी काम कर रहे हैं और माफियां पा रहे हैं। मेरा ऐसा खयाल है कि उनमें लोगों का विश्वास जरूर है और उनका काबू भी है, जिसके सबब से कोटा का इलाका इन टिड्डियों के आक्रमण से बचा हुआ है। मैं इस बात की सिफारिश करूंगा कि बीकानेर और जोधपुर में लाखों बीघा जमीन पडी हुई है उसको आबाद करने में रुपया खर्च किया जाय न कि मोटरों में और टिड्डियों को मारने के पाउडर बाहर से मंगाने में खर्च किया जावें। यह कार्य तो उन लोगों से ही लिया जा सकता है जो कि माफियां पा रहे हैं। एक्सपेरीमेन्ट (प्रयोग) के तौर पर ही यह काम उनके सुपुर्द तो किया जाय। अगर टिड्डियों के झुण्ड उनके द्वारा भाग जावेंगे तो हमारी सरकार इस खर्च से बच जावेगी।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—यज्ञ भी करवाया जाय।

श्री राज हिम्मतसिंह—बडी खुशी की बात है। आप भी ब्राम्हण है और आपको भी विश्वास होना चाहिये। यज्ञ जितना करवावेंगे उतना ही अच्छा है। सेकुलर स्टेट की मजबूरी की वजह से भले ही न करायें।

श्री जयनारायण व्यास—मजबूरी का सवाल नहीं है, बल्कि टिड्डियों का सवाल है।

श्री राज हिम्मतसिंह—जैसा कि मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि दो लाख रुपये एण्टी लोकस्ट के लिये खर्च करने की मंजूरी चाहते हैं। मेरा खयाल है कि और भी खर्चा करना पडेगा। उसके लिये भी तो प्रोविजन रखा जाना चाहिये था।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (कृषि मंत्री)--जरूरत होती तो रख लेते ।

श्री राज हिम्मतसिंह--जरूरत तो होगी ही, क्योंकि टिडियों ने अण्डे देने शुरू कर दिये हैं । अतः आप ज्यादा रकम क्यों नहीं मांगते है? दो लाख ४४ हजार में ही क्यों सब्र करते हैं? अगर आप देखें और जैसा कि हमको परसों पता चला है कि पहले १५० स्वॉर्मस् नजर आये किन्तु अब २२७ Swarms नजर आ रहे हैं; दुगुने से कुछ कम। मेरे खयाल से तो ज्यादा ही मांग करनी चाहिये थी। मैं समझता हूं और सदन का ध्यान दिलाऊंगा कि अगर ज्यादा रकम भी मांगी जाती तो भी मंजूरी दे दी जाती। यह हिंसा का यज्ञ हुआ है सो तो पूरा होगा ही ।

दूसरी बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूं वह है फोर्ड फाउन्डेशन के बारे में। यह हमारे भाग्य की बात है कि हमारे कोटा में ट्रेनिंग हो रही है। छः महीने में लडके तैयार हो जाते हैं। वेटरनरी, होर्टिकल्चर और न जाने क्या क्या साइन्सेज उनको सिखाई जाती है । छः छः महीने के क्रम से लडके तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार के इन्स्टीट्यूशन्स यहां खोले जाने चाहियें क्योंकि वैसे भी अनएम्प्लोयमेन्ट है। और अनएम्प्लोयमेण्ट हल करने की भी एक समस्या है। वास्तव में इसका परिणाम क्या है, यह मैं आपके सामने प्रगट करूंगा। इसका परिणाम यही है कि सौ फी सदी लडकों में से दस फी सदी लडके ही ऐसे निकलते हैं जो कि गांवों में जाकर सर्विसेज करते हैं अन्यथा नव्वे फी सदी ऐसे हैं कि जो अपना यह कर्तव्य नहीं समझते हैं कि उन्हें गांवों में जाकर वहां की सर्विसेज को करना है। उनको ट्रेनिंग भी इसी खयाल से दी जा रही है कि वे गांवों में जाकर काम करें लेकिन उनका ध्येय तो वास्तव में यही रहता है कि कहीं ८०) रुपये की तनख्वाह मिल गई तो आयन्दा किसी न किसी महकमे में घुस जायेंगे। यह (Stepping stone) समझ कर घुसते हैं। अगर हम इस तरह के लड़के ट्रेन्ड करते हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि क्यों रकम को बिगाडा जाय ?

तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह है मकानात के विषय में। आप मकानात की रिपेयर्स के लिये भी यह रकम खर्च करना चाहते हैं। मैं सब इलाकों में तो घूमा नहीं हूं किन्तु कोटा रियासत के बारे में अर्ज कर सकता हूं कि एग्रीकल्चर के सिलसिले में कोटा की हर निजामत में पटवारियों,कानूनगों के लिये मकानात थे जो अब बेशुमार हो गये हैं। लाखों रुपयों की संपत्ति नष्ट हो चुकी है। अब रुपये मांगे जा रहे हैं जब "का वर्षा जब कृषि सुखानी"। मकान पड चुके हैं। आप रुपये मांग रहे हैं, उनकी मरम्मत के लिये। रुपये लगा भी दीजिये किन्तु जो मकान वर्षा से पडे हुए हैं उनकी इतने से रुपयों में मरम्मत कैसे हो सकेगी? मिनिस्टर साहब से, जो मैंने अर्ज किया है उस ओर ध्यान देने का अनुरोध करूंगा और उन्हें अर्ज करूंगा कि वे इस प्रकार रुपया बचाने की कोशिश करें, अन्यथा आप मांगते चले जाइयेगा और हम देते जावेंगे ।

ठाकुर श्री भीमसिंह--श्री जवानसिंहजी ने जो कटोती प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करते हुए लोकस्ट डिपार्टमेन्ट द्वारा टिड्डियों के मारे जाने के वक्त किस तरह से रुपया बरबाद किया जाता है, अर्ज करूंगा। टिड्डियों के लिये रकम और दी जाने में मुझे कोई एतराज नहीं है किन्तु वह पैसा लोकस्ट डिपार्टमेन्ट की खामियों की वजह से बरबाद होता है, जिस पर मुझे एतराज है। मैं मिनिस्टर महोदय को जानकारी के लिये कह देना चाहता हूं कि जब कभी लोकस्ट का सवाल आया किसी भी तरह

[ठाकुर श्री भीमसिंह]

से मांग मंजूर की गई। जब टिड्डियों के झुण्ड के झुण्ड जयपुर और दूसरे इलाकों में आये तो वहां के पटवारियों की तरफ से इस प्रकार की लापरवाही रही कि उनकी पूरी की पूरी रिपोर्ट डाइरेक्टर के पास न पहुंच सकी और इसका नतीजा यह हुआ कि जो भी इन्फारमेशन लोकस्ट डिपार्टमेन्ट के पास थी उसके अनुसार उन्होंने अपनी पाउडर और मशीनरी अलग अलग जगह डिस्ट्रिब्यूट कर दियें और फाके के विरुद्ध उनके सदुपयोग की पूरी पूरी तैयारी कर ली। वे इस उम्मीद में थे कि दस-बारह दिन में अंडों से फाकों के निकलते ही हम हमारी मशीनरियों और पाउडर से उन पर काबू पा लेंगे। पर दस-बारह दिन बाद जब अंडों से फाके निकले तो पटवारियों की दी हुई इत्तला से विपरीत बात निकली। जहां फाका निकलने की संभावना थी वहां के लिये पटवारियों ने इत्तला नहीं दी और निकलने पर भी तुरन्त इत्तला नहीं दी गई। नतीजा यह पहुंचा कि लोकस्ट डिपार्टमेन्ट जहां के लिये उम्मीद नहीं करता था वहां पर भी फाके निकले और पटवारियों की रिपोर्ट तो इतनी गलत निकली कि जिसकी हद नहीं। जब यह स्थिति लोकस्ट विभाग के नोटिस में आई तो उनका पाउडर और मशीनरी तो और जगह हैल्ड अप हो गये। परिणाम स्वरूप इमर्जेंसी के कारण पाउडर कोटा और उदयपुर आदि शहरों से बहुत ज्यादा पैसा देकर खरीदा गया। अगर पहले से ही पटवारियों द्वारा सही सूचना मिल गई होती तो लोकस्ट विभाग को इतना खर्च बरदाश्त नहीं करना पड़ता। वह अपनी वैहिकिल्स से ही वहां पर आवश्यक स्टॉक सस्ते दामों पर इकट्ठा कर सकता था। पर बाद में वैहिकल्स किराये पर लेनी पडी और उनका किराया भी ज्यादा दियां गया। इसलिये यह जो खर्चा हुआ वह नावाजिब हुआ।

इसी तरह झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में भी यह देखने को मिला कि रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट के पटवारियों आदि द्वारा पाउडर देहातियों में बांटने के लिये लोकस्ट विभाग की ओर से दिया गया। वह पाउडर उन पटवारियों द्वारा उन्हीं काश्तकारों में बांटा गया जिन्होंने उनकी बकाया रकम दे दी। यहां तक भी देखा गया कि पाउडर की कमी के कारण या और किसी कारण लोकस्ट विभाग ने उनको इत्तला दी कि इस पाउडर में दुगुनी या तिगुनी राख मिला कर दी जाय। पर इन पटवारियों ने उसमें छः छः और आठ आठ गुना राख मिला कर दी। ज्यादा राख इसलिये मिलाई गई कि ज्यादा काश्तकारों को पाउडर देकर ज्यादा पैसे ऐंठ सकें और जिन काश्तकारों ने कोई पैसा नहीं दिया उन्हें पाउडर नहीं दिया गया।

इसी तरह एक-एक गांव के लिये एक-एक हैंड डस्ट देने के लिये लोकस्ट विभाग ने इनको दिये। तो इसमें भी जिन-जिन गांव वालों ने कुछ दे दिया उन्हीं को हैंड डस्ट भी दिये गये, दूसरों को नहीं। यह हालत इस रेवेन्यू डिपार्टमेण्ट के कोऑपरेशन की लोकस्ट डिपार्टमेन्ट के साथ रही।

साथ ही साथ वैहिकल्स के बारे में भी मुझे कुछ कहना है। किसी विभाग ने, पुलिस विभाग तक ने अपनी वैहिकल्स लोकस्ट के काम के लिये लोकस्ट विभाग को नहीं दी। अगर लोकस्ट विभाग को ये वैहिकल्स दी गई होतीं तो नागोर और नांवा जैसे इलाके में पाउडर ज्यादा तादाद में भेजा जा सकता था।

[ठाकुर श्री भीमसिंह]

जब कि जयपुर में म्युनीसिपैलिटी का आन्दोलन चल रहा है उसमें तो एग्रीकल्चर विभाग की वैहिकल्स पुलिस के काम में लियं जाने में कोई हिचकिचाहट नहीं समझी जाती फिर क्या कारण था कि पुलिस विभाग को और अन्य विभागों की वैहिकल्स लोकस्ट विभाग के काम के लिये, जो पूरी की पूरी जनहित के काम में लगती, नहीं दी गई ? परसों जब में स्टेशन (जयपुर) पर उतरा तो एग्रीकल्चर विभाग की एक लॉरी पर लाउड स्पीकर लगा हुआ था और वह कुछ एलान कर रही थी और शहर में घूम रही थी। मैंने समझा शायद एग्रीकल्चर विभाग अपने कृषि के बारे में कुछ सूचनायें दे रहा होगा। मैंने सुनने के लिये अपनी मोटर रोकी। देखा तो मालूम हुआ कि वे अनाउन्स करने वाले पुलिस के आदमी थे और म्युनिसिपैलिटी के आन्दोलन के बारे में प्रचार कर रहे थे। वह लारी भी टूटी हुई हालत में थी, पर फिर भी एग्रीकल्चर विभाग ने दी। इस आन्दोलन को इम्पोर्टेन्स दिया गया पर इमर्जेंसी (Emergency) के काम में भी लोकस्ट जैसे किसानों की भलाई करने वाले महकमें को किसी विभाग की लॉरी नहीं दी गई, यह क्यों ?

साथ ही साथ दूसरी ओर एक तमाशा देखने में आया, डिस्ट्रिक्ट कलक्टर का। जब कि एक तरफ लोकस्ट विभाग के हैड श्री कोहली और उनके सहयोगी तो रात-दिन इस प्रयास में लग रहे थे कि लोगों को लोकस्ट का मुकाबला करने के लिये आवश्यक मात्रा में पाउडर और मशीनरी डिस्ट्रिब्यूट की जावे वहां दूसरी तरफ जिले के एक जिम्मेदार व्यक्ति, कलक्टर की हैसियत का अफसर लोगों को, काश्तकारों को ऊट-पटांग बातें कहता फिरे, इससे ज्यादा दुःख की बात क्या हो सकती है ? एक-दो कलक्टर को यह कहते सुना गया कि आजकल के इन नये तरीकों से कुछ नहीं होने जाने का है। ये कलक्टर साहब फरमाते हैं कि यह फालतू बातें हैं, तुम तो अपने पुराने तरीकों से ही काम लो, खाइयां खोदो और उनसे काम लो। इसका परिणाम यह हुआ कि पाउडर जब डिस्ट्रिब्यूट हुआ तो चूंकि तहसीलदार साहब की तरफ से दबाव था इसलिये किसानों ने ले तो लिया पर वह उनकी हांडियों में ही रखा रह गया क्योंकि उनको यह कहा गया था, कलक्टर साहब कह गये थे कि यह तो फालतू है। उस पाउडर का इस तरह काश्तकारों के पास कोई उपयोग नहीं हुआ।

इसलिये मेरा निवेदन है कि रेवेन्यू मिनिस्टर साहब यह देखें कि लोकस्ट विभाग को सहयोग देने के काम को केवल कागजी भुगतान पूरा करके ही पूरा न मानलें। पुरानी लकीर को पीट देने से ही कुछ नहीं बनने का है बल्कि ज्यादा से ज्यादा सहयोग दें, हार्दिक सहयोग दें और ज्यादा सहयोग न दे सकें तो कम से कम इस लोकस्ट विभाग को बदनाम तो न करें और अन्ध विश्वास काश्तकारों में फैला कर मोडर्न मशीनरी जो है उसके बारे में उनमें भ्रान्ति फैला कर इस विभाग के कार्य में बाधा न डालें। यह मेरा निवेदन है। इसलिये मैं सांकेतिक रूप में रखे गये सांकेतिक प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री करणीसिंह—यह जो सांकेतिक प्रस्ताव हमारे सामने है उसके बारे में अभी रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने हमारे सामने यह कहा कि काम को सुचारु रूप से चलाने के लिये उन्होंने उसके दो विभाग कर दिये। एक का तो सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट जिम्मेदार है, जो डैजर्ट एरिया है। तथा दूसरा जो कल्टिवेटेड एरिया है उसके लिये राजस्थान सरकार जिम्मेदार है। जहां तक मैं समझा हूं यही फरमाया होगा।

[श्री कानसिंह]

इस विषय में मैं यह सुझाव के तौर पर कहना चाहूंगा कि कल्टिवेटेड एरिया और डेजर्ट एरिया, इस तरह से जो दो एरिये किये गये हैं, जहां तक टिड्डी या फाके का ताल्लुक है अलग अलग नहीं समझे जा सकते। कल्टिवेटेड एरिया में जो अंडे देंगे और टिड्डी होगी वह डेजर्ट एरिया में चली आयगी और जो डेजर्ट एरिया में अंडे या टिड्डी होगी तो उसे कल्टिवेटेड एरिया में आने से कोई रोकने वाला नहीं। तो अगर डेजर्ट एरिया को महज गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया पर छोड़ दिया जावेगा और राजस्थान सरकार उसमें कोई दिलचस्पी नहीं लेगी तो मेरा खयाल है कि इससे बहुत बड़ा महान नुकसान होने वाला है।

यही कारण है कि हमारी तरफ के कुछ हिस्से में इस कदर टिड्डियां हैं और इस कदर इसमें अंडों से फाके निकले हैं कि उसकी खबर भी राजस्थान सरकार को नहीं मिली होगी क्योंकि यह हिस्सा जैसलमेर की तरफ का है और हमारी तरफ का है जो डेजर्ट एरिया होने से गवर्नमेण्ट ऑफ इंडिया के जिम्मे है और राजस्थान सरकार ने जिम्मा लेना बन्द कर दिया है। राजस्थान सरकार यह भी नहीं जानती होगी कि ये फाके कितने लंबे-चौड़े एरिया में और कितने गांवों में फैले हुए हैं और शायद राजस्थान में सबसे ज्यादा ये टिड्डियां और फाके जैसलमेर और बीकानेर के इसी हल्के में हैं जिसकी राजस्थान सरकार को खबर भी नहीं है। जैसलमेर के इलाके में तो यह मीलों में हैं। वहां के लोग मेरे पास आये और उन्होंने यह सब मुझे बताया। इसको न केन्द्रीय सरकार के अफसर देखते हैं और न गांव वाले ही रिपोर्ट करते हैं क्योंकि जंगल के जंगल पडे हैं और गांव वाले देखते हैं कि इतना होने पर भी सरकार का ध्यान नहीं, तो हमारे कहने से क्या होगा और जंगल होने से उनका कोई नुकसान नहीं पर वे यह नहीं जानते कि बड़े होकर उड़ने पर ये सब जगह जा सकते हैं और जब वह उड़कर आवेंगे तो कल्टिवेटेड और अनकल्टिवेटेड सब एरियों में फैल जावेंगे और सब को हानि पहुंचायेंगे।

इसलिये मेरी यह अर्ज है कि महज गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया पर ही इसलिये नहीं छोड दिया जावे कि क्योंकि यह काम उनके जिम्मे है। इसमें भी राजस्थान सरकार को दिलचस्पी लेनी चाहिये और वहां के जो रेवेन्यू अफसर हैं उनको इस बारे में पूरी पूरी हिदायतें होनी चाहिये और यह भी सख्त हिदायत होनी चाहिये कि वे वक्तन-फवक्तन रिपोर्ट करें सरकार को और गवर्नमेण्ट ऑफ इंडिया के अफसर अगर वहां नहीं घूमते हैं और पाउडर नहीं वितरण करते हैं या और कोई रोकने का उपाय नहीं करते हैं तो गवर्नमेण्ट ऑफ इंडिया को हमारी सरकार की तरफ से इसकी ओर पूरी तवज्जह दिलाई जानी चाहिये कि इतना एरिया जो आपके जिम्मे है निग्लेक्टेड है और इसकी वजह से इसके परिणाम तमाम कल्टिवेटेड एरिया को भी भुगतने पड़ेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं कहूंगा कि क्योंकि ये दोनों एरिया एक दूसरे पर आश्रित हैं, अतः इन दोनों पर समान रूप से सरकार को ध्यान देना चाहिये, यह मेरा सुझाव है।

श्री संतोषसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, यह जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट के लिये ३ लाख ३७ हजार रुपये की मांग रक्खी गई है उसके लिये मेरा यह कहना है कि इस डिपार्टमेन्ट में फिजूल खर्च

[श्री मनोप सिंह]

बहुत होता है। इस डिपार्टमेन्ट के अन्दर उप-विभाग हैं उनका जो विभाजन किया हुआ है वह बिल्कुल गलत तरीके से किया हुआ है। खासतौर से टिड्डियों के मुतल्लिक यह अर्ज करूंगा कि टिड्डियों का जो महकमा है उस में उनका टिड्डी-मार महकमा अलग है और सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट का टिड्डी मार महकमा अलग है। गत सैशन में जब मैं यहां अप्रेल के मास में आया था तब मैंने देखा कि जोधपुर के इलाके में जो टिड्डियों के मारने का इन्तजाम सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट की तरफ से है उसका तरीका यह बहुत वैल इक्विप्ड (W equipped) तरीका है उनके पास हापर्स थे जिनके जरिये वे टिड्डियों का नाश कर रहे थे। इस वक्त भी मैं बिलाड़ा से यहां आ रहा हूं बिलाड़ा के अन्दर टिड्डियों का फाका पैदा हुआ है जो आगे चलकर बहुत बड़ी तादाद में टिड्डी का रूप धारण कर सकता है। इसकी इत्तिला मैंने सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट के दफ्तर को दी है कि बिलाड़ा में बहुत फाका पड़ गया है। अगर वहां कोई इन्तजाम नहीं किया गया तो वहां बहुत नुकसान होने का अन्देशा है। तो वहां के दफ्तर वालों ने कहा कि यह इलाका हमारे अन्दर में नहीं है, यह राजस्थान गवर्नमेन्ट के डिपार्टमेन्ट वालों के अन्दर में है, वे इसका प्रबन्ध करेंगे। अध्यक्ष महोदय, टिड्डी-मार के दो महकमें हमारे राजस्थान में काम कर रहे हैं जिसमें से जो महकमा राजस्थान गवर्नमेन्ट के अन्दर में है वह वैल इक्विप्ड यानी टिड्डी-मार के साधनों से पूर्णतया सुसज्जित नहीं है और भारत सरकार का जो महकमा हमारे राजस्थान में है उसके पास टिड्डी मारने के पूरे साधन हैं इसलिये यहां का महकमा वैल इक्विप्ड न होने की वजह से लाखों रुपया जो इस काम के लिये इस महकमें द्वारा खर्च किये जाते हैं वे व्यर्थ जाते हैं। आज जो बिलाड़ा में फाका पड़ा हुआ है वह टिड्डियों का रूप धारण कर लेगा और इससे वहां की फसल को बहुत हानि होने की संभावना है। इसलिये राजस्थान सरकार को यह सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट का जो डिपार्टमेन्ट है उसको सौंप देना चाहिये क्योंकि ये टिड्डियां हैं वे एक जगह तो रहती नहीं, आज जोधपुर में हैं तो कल राजस्थान के अन्य हिस्सों में भी जा सकती हैं और उसके बाद मध्यप्रदेश या दिल्ली तक भी जा सकती हैं। इसलिये यह काम सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट का जो महकमा है, उसको सौंप दिया जाय। उनके पास लारियां भी काफी हैं, हर किस्म के साधन और सामान भी उनके पास काफी हैं अतः भारत सरकार का डिपार्टमेन्ट इस कार्य को अच्छी तरह कर सकता है। राजस्थान के लिए जो यह डिमान्ड रखी गई है वह डिमान्ड नहीं के बराबर है। शायद यह रकम तो आपने खर्च कर दी है और अभी बहुत सा क्षेत्र इन टिड्डियों से भरा हुआ है। गवर्नमेन्ट के पास अगर इसकी रोकथाम के लिये पैसा नहीं है तो टिड्डियां बढ़ती जायेंगी और वे फसल का नुकसान करती जायेंगी। इसलिये जो यह खतरनाक रूप धारण करने वाला मामला है उसके लिये भारत सरकार के डिपार्टमेन्ट से इस बारे में पनाह लेनी चाहिये अगर वह नहीं लेगा तो अपने यहां का डिपार्टमेन्ट इसमें कुछ नहीं कर सकेगा।

कुछ डिपार्टमेन्ट्स जो कि इसी एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट के मातहत हैं, जैसे कि एनिमल हस्बेन्डरी डिपार्टमेन्ट आदि उनके बारे में मेरा निवेदन है कि जब राजस्थान बना उसके लिए पहले और अब जो ग्रान्ट थी वह तीन लाख रुपये कम कर दी ~~गई और एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट~~ डिपार्टमेन्ट के अन्दर तीन लाख

Page No.52

[श्री संतोष सिंह]

रुपये बढा दिये गये। एस्टेब्लिशमेन्ट के अन्दर वह रुपया दे देने से सब रुपया तनख्वाह आदि में ही खर्च हो जाता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एनिमल हस्बैन्डरी और वेटरनरी डिपार्टमैन्ट जो इसी डिपार्टमैन्ट के एक अंग हैं इसलिये मुझे इनके खर्च के बारे में कुछ अर्ज करना है।

श्री उपाध्यक्ष—आपके द्वारा दिये गये कट मोशन्स में से पहला कट मोशन अलाउ किया गया और बाकी के दो कट मोशन्स डिस-अलाउ किये गये इसलिये आप अपने पहले कट मोशन तक ही अपने को सीमित रखें।

श्री संतोष सिंह—मुझे सिर्फ यह बतलाना है कि किसी तरह से फिजूल खर्ची हो रही है, इस लिये मुझे इन विभागों के बारे में कुछ कहना जरूरी है।

श्री उपाध्यक्ष—आप अपने को, जो डिमान्ड चल रही है, उसी तक सीमित रखिए।

श्री संतोष सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, एनिमल हस्बैन्डरी और वेटरनरी हास्पिटल्स ये दोनों इसी डिपार्टमैन्ट के अंग हैं, इसी लिये मुझे इनके बारे में भी कुछ कहना है।

श्री उपाध्यक्ष—लोकस्ट की सप्लीमैन्टरी ग्रान्ट चल रही है, उसी पर बोलिये।

श्री संतोष सिंह—(जारी रखते हुए) सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट जो मांगी गई है उसी के अन्दर जो फिजूल खर्ची हो रही है, इसी लिये मुझे कुछ निवेदन करना है कि उसमें किस तरह से बचत की जा सकती है?

श्री उपाध्यक्ष—You must confine yourself to this demand only.

श्री संतोष सिंह—(अपना भाषण जारी रखते हुए) मेरी यह अर्ज है कि टिड्डी का महकमा जो राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा है वह वैल इक्विप्ड नहीं है गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया अगर इसके लिये कुछ इन्तजाम नहीं करेगी तो जनता का भारी नुकसान होने का अन्देशा है। इस गौर करके काम किया जाय। सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट जो मांगी गई है वह तो खर्च हो ही चुकी अब आगे किस प्रकार काम चलेगा, इसका डर है। इस विषय में बस मैं इतना ही निवेदन करता हूं।

श्री भोपाल सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा राजस्व मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, कर्मचारियों के मुतालिक। मेडता तहसील में ३०७ गांवों के अन्दर टिड्डियां दिखाई दी थीं, मगर वहां की तहसील के कर्मचारियों ने, हलकारों ने, सबने मिलकर अपने अपने हलके में गांव बांट लिये, और वहां जाकर टिड्डियां का नाश कर दिया है। उसी के मुताबिक अगर आप सब जगह करें तो इस काम में सिर्फ पेट्रोल का ही खर्च लगेगा और बाकी के खर्च में कमी होगी।

Page No.53

(श्री मोहनलाल सुखाडिया बोलने के लिये खड़े होते हैं)

श्री उपाध्यक्ष—(श्री लालसिंह शक्तावत)—श्री भैरुंसिंह अपना कट मोशन प्रस्तुत करें।

(अनुपस्थित)

श्री उपाध्यक्ष—श्री अबनिकुमार मुकर्जी अपना कट मोशन प्रस्तुत करें।

(अनुपस्थित)

अब कृषि मंत्री जवाब दें

श्री मोहनलाल सुखाडिया—उपाध्यक्ष महोदय, टिड्डियों के संबन्ध में, मैं समझता हूं कि जो अब तक यहां पर भाषण दिये गये हैं उनसे इतना तो स्पष्ट जाहिर होता है कि जो रकम मांगी गई है उस रकम के बारे में एतराज नहीं है, लेकिन खर्च और व्यवस्था के बारे में अलग अलग इस मामले में सम्मतियें दी गई हैं।

माननीय जवानसिंहजी ने व्हिकिल्स (गाड़ियों) के बारे में कहा कि वो पहले से तैयार रखी जायं और ठीक व्यवस्था की जाय इस सम्बन्ध में भी आपका ध्यान आकर्षित किया है कि महकमे के सब अधिकारियों के लिये भी यह हिदायत जारी की जावे कि वे तैयार रहें। मैं आपके उस सुझाव का स्वागत करता हूं। वास्तव में टिड्डियों का प्रकोप जितना अधिक हुआ है इस साल उसको देखते हुए कुछ दिक्कतें जरूर हुई शुरू में व्यवस्था करने में, लेकिन बाद में जाकर, सारी व्यवस्था के अन्दर हम कामयाब हो सके हैं और ठीक तौर से काम चला सके हैं यह मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं; लेकिन फिर भी पहले से तैयारी रहे इस बारे में आपके सुझाव से मैं सहमत हूं। आपने बजट में इसके बारे में रखने वाली बात कही उसके लिए बजट के समय आपकी राय को खयाल में रखते हुए अवश्य विचार करेंगे।

आगे श्री भीमसिंहजी ने कहा कि लोकस्ट डिपार्टमेन्ट (टिड्डी विभाग) तो काफी सचेत था लेकिन रेवन्यु डिपार्टमेन्ट (राजस्व विभाग) ने पूरा सहयोग नहीं दिया। श्री संतोषसिंहजी ने कहा कि लोकस्ट डिपार्टमेन्ट ने कुछ नहीं किया, और काम ठीक तरह से नहीं किया और श्री भोपालसिंहजी ने कहा कि मंडता के अन्दर, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं सूचना देना चाहता हूं कि ३०७ गांव हैं उनके अन्दर टिड्डियों का आक्रमण था, उसमें ठीक व्यवस्था हुई। श्री भोपालसिंहजी ने जो कहा उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन मैं यह अर्ज करदूं इस बारे में कि यह कहना कि रेवन्यु डिपार्टमेन्ट ने इसमें सहयोग नहीं दिया, मैं समझता हूं, कि उपयुक्त नहीं है। सारे रेवन्यु डिपार्टमेन्ट के अन्दर मैं स्वय जानता हूं कि सहयोग की भावना थी इस बारे में ज्यादा से ज्यादा सहयोग और सफलता का कारण केवल रेवन्यु डिपार्टमेन्ट है। वहां का प्रत्येक कर्मचारी इसमें एक्टिव रहा है। जनता का भी इसमें काफी कोऑपरेशन (सहयोग) रहा है, मगर सफलता का एक बहुत बड़ा कारण यह डिपार्टमेन्ट ही है। कलैक्टर्स, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पटवारी सब के सब इस काम में पूरी तरह से लगे हैं। नायब तहसीलदारों को खास तौर से इस टिड्डी के काम पर लगाया गया था कि वे लोग जहां कहीं भी टिड्डियों का आक्रमण हो और हॉपर्स जहां पर भी पैदा होते हों वहां पर मजबूती के साथ काम लें। कलैक्टर्स के दफ्तरों में कई जगह टिड्डियों की वजह से बहुत से काम

[श्री मोहनलाल सुखाडिया]

काज रुके हैं, डे टू डे वर्किंग (दिन प्रति दिन का काम) भी रुक गया है। वे स्वयं सब जगह घूमते रहते हैं और न केवल यह बल्कि आपसे और अर्ज करूंगा कि जो इलाके भारत सरकार के तहत में आते हैं, जैसे सीकर और झुन्झुनू के इलाके हैं वह भारत सरकार की डेजर्ट एरिया में आते हैं, बीकानेर डिवीजन के इलाके और जोधपुर डिवीजन के इलाके इन सब में जो कुछ भी काम चल रहा है वह सुपरवीजन (देख रेख) भारत सरकार की डेजर्ट एरिया (desert area) स्कीम के तहत व्यवस्था करती है लेकिन जो लोग काम काज वहां पर करते हैं वह सब सारा का सारा, रेवन्यु डिपार्टमैन्ट काम कर रहा है। हर जगह पास में रेवन्यू डिपार्टमैन्ट है। एग्रिकल्चर डिपार्टमैन्ट के टैक्निकल असिस्टैन्ट्स (technical assistants) गाइडेंन्स (guidance) देते हैं उस मामले में इक्विपमैन्ट (equipment) वगैरह और ज्यादा से ज्यादा जितना स्टॉफ उपलब्ध हो सकता है एग्रीकल्चर डिपार्टमैन्ट का इसमें लगाया जाता है। लेकिन सब होते हुए भी रेवन्यु डिपार्टमैन्ट उनसे हर तरह से सहयोग करता है और उन्होंने सहयोग किया उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर यह सारा नहीं किया जाता तो राजस्थान का कल्टिवेटेड एरिया (cultivated area) जो कि ९ लाख से ज्यादा इलाका है उन पर जो टिडिड्यों का आक्रमण हुआ और सैंकड़ों स्वार्मस (Swarms) वहां पर इकट्ठे और डेवलप (develop) होते, और हॉपर्स को किल (मार) नहीं कर देते तो वह राजस्थान ही नहीं भारतवर्ष के लिए बहुत बड़ी जोखम हो जाती। उपाध्यक्ष महोदय, टिड्डियों का एक जोड़ा अपने जीवन काल के अन्दर अगर नहीं मारा जाय तो क्योंकि वह १,२५,००० टिड्डियां पैदा करता है, और जो लाखों की तादाद में टिड्डियां आई वह नहीं मारी जातीं, अगर वे स्वार्मस खत्म नहीं किये जाते तो १,२५,००० के हिसाब से कितना बड़ा भय उत्पन्न हो सकता था इसका हम नतीजा लगा सकते हैं कि उन्होंने लाखों हॉपर्स को किल करके उनके स्वार्मस को डेवलप नहीं होने दिया। खेती के बारे में पूछा जाय तो कह सकता हूं कि हजारों लाखों टन अनाज की बचत की गई है, नहीं तो राजस्थान में ही नहीं सारे भारतवर्ष में देश व्यापी संकट आता उसको रोकने में राजस्थान कामयाब हुआ है। यहां उसके लिए सारी सर्विसेज ने काम किया है। उसको सबने देखा है।

एक प्रस्ताव श्री हिम्मतसिंहजी ने प्रस्तुत किया है कि कोटा में टिड्डी भगाने वालों को माफी की जमीनें दी गई हैं इसलिये राजस्थान के अन्य भागों में भी ऐसा ही किया जाय इसके लिए मैं कहूंगा कि कोटा में टिड्डियों का आक्रमण नहीं हुआ इसलिये उनको भगाने में वे कामयाब हुए। माफी के लिए जोधपुर और बीकानेर डिवीजन में अगर वे कामयाब होते तो मैं आपके सजेशन का स्वागत करता हूं। उनको लाना चाहिये मेरे पास कि कौन जाने को तैयार है वहां पर। उनको बीकानेर और जोधपुर डिवीजन के इलाके में माफी की जमीन भी दी जा सकती है, उनको वहां बसाया जा सकता है। अगले वर्ष भी ऐसा किया जा सकता है क्योंकि और आक्रमण होने वाला है, क्योंकि एक साइक्लिक टर्न (Cyclic turn) उनका होता है उसके अनुसार अगले साल भी वे आ सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा कि एक प्रयोग, एक एक्सपेरिमेंट (experiment) हो जायगा और उसके लाभ भी मिलेंगे। उनको माफी जो मिली है वह उपयुक्त तौर से दी गई है या नहीं; यह प्रूफ भी सामने आ जायगा।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

मैं आशा करता हूं कि ऐसे व्यक्तियों के बारे में मुझे सूचित कोजिये जो कि जाने के लिए तैयार हो सकते हैं लेकिन मैं समझता हूं कि वे कामयाब होने वाले नहीं हैं कि टिड्डियों को जाकर मार सकें। यह संभव नहीं है। अगर यह हो सकता है तो लाखों रुपयों का खर्चा नहीं होगा। कोटे में टिड्डियां नहीं पहुंचती हैं और यह अन्दाजा हो सकता है कि इन्हीं की वजह से नहीं आ रही हैं। टिड्डियां आती हैं पश्चिम की तरफ से। पहले पाकिस्तान पडता है और फिर जोधपुर डिवीजन का इलाका पडता है। वे सीकर और झुन्झुनू में सबसे पहले सेटल होती हैं। कोटा तक पहुंचने में उन्हें समय लगता है। पहले असर ज्यादा से ज्यादा वहां होता है। दरअसल में गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट जो टिड्डियों को मार देता है उसके कारण वे वहां नहीं पहुंचती हैं और वे वहां बैठकर समझते हैं कि वे नहीं आती हैं उनके कारण, तो वह गलत बात है।......................

श्री राज हिम्मतसिंह (वि. सं० ६१)—अगर गवर्नमेंट की तरफ से इस बात का नोटिफिकेशन निकाला जाय कि टिड्डी टालने वाले अपने कुटुम्ब में से जो कोई मारवाड में सेटल होना चाहते हैं और राज्य माफी से उनको सेटल करने को तैयार हैं तो मेरा ऐसा खयाल है कि ऐसी व्यवस्था करने के लिए कई आदमी खडे हो जायेंगे और उसकी जांच भी हो जायगी। आपका यह कहना कि वहां टिड्डियां नहीं आती हैं तो इसके लिये मैं अर्ज कर दूं कि टिड्डी मारने का काम तो अब आपने शुरू किया है, संसार तो बरसों से कायम है और पहले भी टिड्डियां आती थीं और जाती थीं। उस समय तो नहीं मारी जाती थीं, इस तरह से।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यही आश्चर्य है कि जहां टिड्डियां नहीं आती हैं वहां माफीदार मौजूद हैं और जहां टिड्डियां आती थी वहां माफी किसी ने नहीं दी। खैर।

आगे दूसरी बात यह है। एक बात और कही गई कि सूचना कई जगह समय पर प्राप्त नहीं हुई। मैं आपसे कहता हूं कि आम तौर से सूचना प्राप्त होती हैं कभी यदि कोई जगह दूर होती है तो उसमें देर हो सकती है। पटवारियों और दूसरे लोगों को इन्स्ट्रक्शन्स (आज्ञाएं) दी गई हैं कि यदि सूचना समय पर नहीं दी जायगी तो सख्त से सख्त कार्यवाही उनके खिलाफ की जायगी। रेवेन्यू डिपार्टमेंट सारी चीज से बाहर नहीं है। सारे डिपार्टमेंट मिलकर इसमें कोऑपरेट करते हैं।

व्हिकल्स के बारे में कहा गया है कि पुलिस को व्हिकल्स क्यों नहीं ली गई। मैं कहता हूं कि पुलिस की सारी व्हिकल्स ली गई हैं उसी की वजह से, यहां एग्रिकल्चर की बची हुई जितनी व्हिकल्स थीं उनका पुलिस डिपार्टमेंट को उपयोग करना पडा। इस काम में उनकी व्हिकल्स ली गई हैं। हमेशा १७ व्हिकल्स से काम लिया जाता था उसके मुकाबले में ६८ व्हिकल्स काम करती थीं जोकि अलग अलग इलाके के अन्दर भेजी गई हैं। उनकी मदद से ही सारा कामकाज चलाया गया है।

मैं समझता हूं और कोई बात ऐसी नहीं कही गई थी जिसके बारे में ज्यादा कहने की आवश्यकता है। बिलाडा के बारे में जो बात कही उसके बारे में मुझे यह कहना है कि वहां बडी मुस्तैदी के साथ काम हो रहा है। वहां की क्रोप डेमेज होने से बचाई जा रही है। सब जगह इस मामले में बडी

Page No.56

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

मुस्तैदी के साथ काम किया जा रहा है। जो डिमान्ड पेश की गई है उसके बारे में आप लोग ज्यादा उत्सुक थे और चाहते थे कि और ज्यादा रकम मांगी जाय। ज्यादा की जरूरत होगी तो अवश्य मांगी जायगी। इस समय जो डिमांड है उसे स्वीकार किया जाय और मैं प्रार्थना करूंगा कि जो कट मोशन्स हैं उन्हें वापिस ले लिया जाय।

श्री जवानसिंह—क्योंकि माननीय मंत्री महोदय ने ध्यान देकर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है अतः मैंने जो कट मोशन पेश किया है उसे वापिस लेने की आज्ञा देने की सदन से प्रार्थना करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—The question is that leave be granted to Shri Jawan Singh to withdraw his cut motion.

(आज्ञा प्रदान हुई)

The leave is granted.

श्री जवानसिंह—I withdraw my cut motion.

श्री संतोषसिंह—जैसा कि मंत्रीजी ने बताया कि बिलाड़ा परगने में काफी मुस्तैदी के साथ काम किया जा रहा है और उन्होंने जो आश्वासन दिया है उसके लिये मैं आभारी हूं। मैं तो यह चाहता हूं कि काम होजाना चाहिये। अतः मैं अपना कट मोशन वापिस लेने की इजाजत चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—Is it the leave of the House to Sllow Shri Santosh Singh to withdraw his cut motion?

(स्वीकृत)

The leave is granted.

श्री संतोषसिंह—I withdraw my cut motion.

श्री उपाध्यक्ष—The question is "That a supplementary sum not exceeding Rs. 3,37,000/- be granted to H.H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March 1954, in respect of Grant No. XLIV, Major Head - 40-Agriculture."

(स्वीकृत)

डिमान्ड स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदान--सार्वजनिक निर्माण कार्य : ४५

श्री भोलानाथ--Sir I beg to move that "a supplementary sum not exceeding Rs. 45,000/- be granted to H.H. the Rajparmukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1954 in respect of Grant No XLV, Major Head, 50-Civil Works."

उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा इस डिमान्ड के संबंध में स्पष्टीकरण करूंगा ताकि इस पर विशेष रूप से वाद विवाद न चले। यह जो ग्रान्ट रखी गई है उसके मुख्य दो कारण हैं। एक तो महारानी साहिबा का समाधि स्थल बनाना है और दूसरी रकम एक बिल्डिंग में डिपार्टमेंटस बदलने के लिये उसकी कुछ रिपेयर्स की जाने वाली हैं। इस पर कुछ कट मोशन्स भी आये हैं। उनसे मालूम होता है कि महारानी साहिबा की समाधि के लिये जो रुपये मांगे गये हैं उसका हमारे कम्युनिस्ट भाई ने विरोध किया है। उनका शायद यह ख्याल हो कि आज के जमाने में भी महारानी साहिबा की समाधि के लिये रुपयों की मांग क्यों की जाती है ? मैं यह बतलाना चाहता हूं कि यह कोई नया प्रोविजन नहीं है। बीकानेर के भूतपूर्व महाराजा सार्दूलसिंह जी साहब ने अपनी माताजी की समाधि बनाने के लिये मंजूरी देदी थी और वह काम शुरू होने वाला था। एस्टीमेटस में कुछ चेन्ज करना था कि मरजर हो गया. इसलिये वह काम यों ही पड़ा रह गया। उन लोगों ने फिर स्टेट्स मिनिस्ट्री में लिखा पढ़ी की। इस काम के लिये मेटीरियल पड़ा हुआ है और २५ हजार रुपया इस काम में खर्च कर दिया जाय तो कोई बुरा काम नहीं होगा।

दूसरा काम २० हजार रुपयों का है। पहले यह बिल्डिंग रेलवे के पास थी। अब उसमें कुछ दफ्तर शिफ्ट करने हैं। अभी जिन मकानों में वे दफ्तर हैं उनका किराया देना पड़ता है। यह रकम १॥ साल या पौने दो साल में उन दफ्तरों के किराये में वसूल हो जायगी। इसलिये यह मामूली रकम है। ये दोनों ही काम पहले सामने नहीं आये थे इसलिये मूल बजट में इनको शामिल नहीं किया जा सका। अब इसकी मंजूरी दे दी जाय।

श्री लालसिंह (उपाध्यक्ष)--श्री एच.के. व्यास का कट मोशन है और वे गैर हाजिर हैं।

(विराम)

श्री भवानीसिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं पहिले निवेदन कर चुका हूं उसी प्रकार का यह कटौती प्रस्ताव भी पेश किया गया है। इसके पहिले पॉइन्ट पर तो मुझे कुछ नहीं कहना है पर दूसरा पाइन्ट जो २० हजार रुपया खर्च करने का है उस पर मुझे कुछ कहना है। दफ्तरों की अदला-बदली में यह रकम खर्च करने के बारे में जो कहा गया है, उस सिलसिले में मैं खासतौर से निवेदन करना चाहता हूं। जैसा सर्वविदित है कि हमारा राजस्थान कई रियासतों को मिला कर बनाया गया है और उसकी पुरानी कई राजधानियां हैं। जिस समय वे रियासतें कायम थीं उस वक्त उन राजधानियों का विशेष ध्यान रखा जाता था। उन रियासतों के माफिक हर तरह के दफ्तर और विभाग हुआ करते थे और किसी भी डिपार्टमेन्ट को चलाने के लिये हर तरह के बिल्डिंग मौजूद थे। राजस्थान होने और इन रियासतों का विलिनीकरण होने के पश्चात उन तमाम बिल्डिंग्स का वहां उपयोग नहीं

श्री जवानसिंह

हो रहा है जैसा कि पहले हुआ करता था। राजस्थान सरकार के पास इन बिल्डिंग्स के जाने के पश्चात उनका वह उपयोग नहीं हुआ जो होना चाहिये था। मेरा माननीय मंत्रीजी से सुझाव है कि क्या ही अच्छा होता यदि उन पुरानी राजधानियों में जो बिल्डिंग्स हर प्रकार से उपयोगी हैं उनका उपयोग किया जाता। जयपुर में डिपार्टमेन्टस का कंजेशन हो रहा है और उनके लिये मकान किराये पर लिये जा रहे हैं। इसके बजाय यदि इन डिपार्टमेन्ट्स को पुरानी राजधानियों में ट्रान्सफर कर दिया जाय तो वे बिल्डिंग्स भी काम में आजावें और वहां के नजदीक की जनता को भी कुछ सहूलियत हो जायगी और सरकार को जयपुर में प्राइवेट इन्डीवीजुअल्स को मकानों का किराया देना पड़ता है वह किराया सरकार का बच जायगा और पुरानी बिल्डिंग्स की देखभाल भी हो सकेगी और उनकी हालत अच्छी बनी रहेगी। पुरानी राजधानियों को उनकी पुरानी इम्पार्टेन्स कायम रखने के लिय एक कमीशन भी बिठाया गया था पर उसका भी कुछ नहीं हुआ। मेरा सुझाव माननीय मंत्री जी स्वीकार करें और इस ओर कदम उठावें तो पुरानी राजधानियों की हालत ठीक तरह से बनी रहे, मैं इतना ही कहकर आसन ग्रहण करता हूं।

श्री संतोषसिंह—माननीय उपाध्यक्षजी, सार्वजनिक निर्माण विभाग की तरफ से जो डिमान्ड पेश हुई है उसके बारे में यादगार के मुतल्लिक जो बात मंत्रीजी ने बताई है उस सम्बन्ध में मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन जो दूसरी बातें हैं उनके बारे में मुझे कुछ अर्ज करना है।

श्री उपाध्यक्ष—You will please confine yourself to this demand.

श्री संतोषसिंह (जारी रखते हुए)—उसी के मुतल्लिक में कहता हूं। सार्वजनिक निर्माण विभाग जो है वह बहुत अच्छा डिपार्टमेन्ट है और इस डिपार्टमेन्ट को बेजोड का करने और सुव्यवस्थित करने के सारे साधन जुटाये जाते हैं इसलिये इस डिपार्टमेन्ट के खिलाफ मुझे कुछ नहीं कहना है। इसकी जितनी तारीफ की जाय वह थोडी है क्यों कि इस सदन का निर्माण भी इस विभाग ने किया है। लेकिन इस निर्माण विभाग में जो अव्यवस्था हो रही है उसका कारण यह है कि वहां पर लोगों की छंटनी करदी गई है। अच्छे, काम के और दिमाग रखने वाले लोगों की छंटनी करदी गई है और नये आदमियों को रखा गया है, जो उचित नहीं है। इसकी वजह से निर्माण विभाग में शिकायत का मौका दिया है। मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इस ओर ध्यान देकर पुराने आदमियों को, जिनकी छंटनी हुई है उनमें से छांट छांट कर आदमी रखें ताकि पहिले की तरह व्यवस्था चलती रहे। फेमिन विभाग की तरफ से २५-३० सेन्टर्स खोले गये थे जोधपुर में, लेकिन कोई भी आदमी पी. डब्ल्यू. डी. की तरफ से नहीं पहुंचा। उस डिपार्टमेन्ट के कुछ अधिकारी जैसे एग्जीक्युटिव इंजीनियर, एसिस्टेन्ट इंजीनियर या ओवरसियर ये तो कभी कभी चले जाते थे। लेकिन उसके ऊपर परमानेन्ट काम करने वाले कोई नहीं थे। इसलिये इस डिपार्टमेन्ट का जो फर्ज है वह यह है कि दिमाग वाले आदमियों कि छंटनी नहीं की जानी चाहिये।

दूसरी बात यह है कि इस विभाग में पूरे इन्स्ट्रूमेन्टस नहीं हैं, इस वजह से जो नये प्लान्स भेजे जाते हैं उन पर वक्त पर कार्यवाही नहीं की जाती। उनके पास पूरे टाइप राइटर्स भी नहीं हैं। जोधपुर

[श्री संतोषसिंह]

में तीन टाइप राइटरों कैसे से काम चल सकता है ? फाईलों का ढेर लगा रहता है और काम नहीं निकलता। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि सबसे पहिले व्यवस्था का ख्याल किया जाय। व्यवस्था के मामले में किसी चीज की कमी रहने से उस दफ्तर का काम अच्छी तरह से नहीं चल सकता।

इस बदनामी को टालने के लिये इन्स्टरूमेन्टों का होना बहुत जरूरी है। एक फौज होती है वह मान लो हजार आदमियों की फौज है और यदि उस फौज के पास बन्दूकें नहीं, तो वह फौज बिल्कुल बेकार है उसी तरह जब उनके पास पूरे औजार ही नहीं तो वह किसी काम के नहीं। इसलिये मैं यह कहूंगा कि उनको इन्स्ट्रुमेन्ट पूरी तरह दिये जावें।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

जो औजारों के लिये मांग है उसको मंजूर की जावे।

श्री राज हिम्मतसिंह (६१)—उपाध्यक्ष महोदय, यह कट मोशन जो पेश किया गया है उसके समर्थन में मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। बहुत मामूली सी बात है। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि वह पी. डब्ल्यू. डी. डिपार्टमेन्ट जहां लाखों और करोड़ों रुपया खर्च होता है उसके लिये सिर्फ ४५ हजार की मांग की जा रही है। बड़ी एक हंसी की बात है, समझ में नहीं आता ऐसी मांग करने की क्यों आवश्यकता पैदा हुई। जहां १६४८ में मंजूर हुई रकम लेप्स हुई, काम नहीं हुआ। इसी प्रकार कितनी ही रकमें लेप्स हो जाती हैं जो लाखों और हजारों की होती हैं। पी. डब्ल्यू. डी. की तरफ से मांग की जाती है ४५ हजार रुपयों की, क्या यह डिपार्टमेन्ट इतनी छोटी रकम की मांग को अपने आप कहीं एडजस्ट नहीं कर सकती है या किसी डिपार्टमेन्ट से ले नहीं लेती।

श्री भोलानाथ (निर्माण मंत्री)—ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिये तो यह मांग की गई है।

श्री राज हिम्मतसिंह—एप्रोप्रिएशन आप द्वारा नहीं ले सकते हैं तो शायद राजप्रमुख की मंजूरी से हो सकता है।

श्री भोलानाथ—आपकी मंजूरी के लिये लाना पड़ता है, आपकी मंजूरी बगैर ए. जी. पास नहीं करता।

श्री राज हिम्मतसिंह—यह आटे में नमक जैसी मांग है। करोड़ों रुपये जहां खर्च होते हैं वहां ४५ हजार की मांग क्या है, यह तो एक तमाशा है।

श्री भोलानाथ—कम मांग हो चाहे ज्यादा, आपके पास लानी पड़ती है।

श्री लालसिंह (उपाध्यक्ष)—श्री भैरूंसिंह अपना कट मोशन पेश करें।

(अनुपस्थित)

श्री अबनि कुमार अपना कट मोशन पेश करें।

(अनुपस्थित)

Page No.60

श्री भोलानाथ—उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी सदस्य ने ऐसी बात नहीं कही जो इस से संबन्ध रखती हो। पुरानी राजधानियों और डिपार्टमेन्टों की बहबूदी के बारे में सुझाव आए हैं। श्री जवानसिंह जी ने यह कहा है कि पुरानी राजधानियों में जो इमारतें हैं उनका भी उपयोग किया जावे और उनका ध्यान रखा जाना चाहिये।

कोई न कोई डिपार्टमेन्ट वहां पर भी वहां की बहबूदी को कायम रखने के लिये रखा जाना चाहिये। इस संबन्ध में मैं यह कहूंगा कि यह हो भी रहा है और पुरानी राजधानियों में जहां इमारतें हैं उनका उपयोग भी किया जाता है। जहां इस प्रकार की बिल्डिंग्स हैं वहां पर हाई स्कूल और कॉलेजेज खोले गये हैं मगर वे अच्छी तरह से नहीं चल रहे हैं। अगर कोई भी इमारत हो तो हम उसका उपयोग करने की कोशिश करेंगे लेकिन जहां संतोषजनक इमारत नहीं हो वहां मजबूरी है। इसके अलावा जो पुरानी राजधानियों की रौनक को कायम रखने के लिये जो कमेटी बनी थी उसका जिक्र किया गया है। उसके लिये मैं निवेदन कर दूं कि उसकी रिपोर्ट आ गई है और उसकी रिपोर्ट के अनुसार अमल होगा। उस पर विचार किया जावेगा और उसमें यदि संशोधन की आवश्यकता होगी तो उस पर भी विचार किया जावेगा।

श्री संतोषसिंह जी ने कहा कि पुराने दिमाग वालों को सरकार ने नहीं रखा। आप भी एम. एल. ए. बन गये हैं और इन्जीनियरिंग डिपार्टमेन्ट को छोड़ दिया है। हम तो जहां तक हो सकता है पुराने दिमाग वालों को ही रखना चाहते हैं मगर कानून कायदे भी ऐसे हैं कि वे ५५ साल के बाद रिटायर कर दिये जाते हैं और हमें कानून कायदों को मानना पड़ता है। आपने भी अपने टैलेन्ट्स का फायदा नहीं पहुंचाया।

श्री संतोषसिंह—६० साल वालों को सरकार ने लिया है।

श्री राज हुक्मतसिंह—लेप्स का सवाल नहीं है। एप्रोप्रियेशन से ले सकते हैं।

श्री भोलानाथ—यह भी आपके हुक्म के बगैर नहीं हो सकता। नये काम में ए. जी. को ऑब्जेक्शन होता है और जब तक यहां से मंजूरी न हो बड़ी मुश्किल हो जाती है। आज के कानून पुराने कानून के माफिक नहीं है कि जहां से चाहा रुपये ले लिये जायं। आज तो यह होता है कि एक डिपार्टमेन्ट में भी किसी दूसरे हेड में रुपया होते हुये भी अगर उसके लिये मंजूरी नहीं ली तो उसमें से नहीं ले सकते। आपको आथोरिटी है इसलिये आपके सामने हाउस में लाने की आवश्यकता हुई है। आशा है आप इसको मंजूर करेंगे और कट मोशन वापिस लेंगे।

श्री जवानसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जो जो आश्वासन सरकार की तरफ से मिले हैं उनको देखते हुये मैं अपने कट मोशन को वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—Is it the leave of the House to allow Shri Jawan Singh to withdraw his cut motion.

(स्वीकृत) आज्ञा प्रदान की गई।

Page No.61

श्री अचलसिंह—मैं अपना कट मोशन वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—श्री संतोषसिंह के कट मोशन डिस एलाउड (Disallowed) कर दिये गये थे इसलिये मैं उन पर कोई वोट नहीं लेता हूं।

(विराम)

The question is :

"That a supplementary sum not exceeding Rs. 45,000/- be granted to H.H. the Rajpramukh to defray the Charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1954, in respect of Grant No. XLV, Major Head, 50-Civil Works".

(स्वीकृत)

The demand and is granted.

(विराम)

एक सूचना विधान सभा सचिवालय की तरफ से यह है कि जो कागजात सदस्यों को कल के लिये भेजने हैं वे नोटिस आफिस में भेज दिये गये हैं। मेहरबानी करके वहां से आप हासिल कर लेवें। यह सेक्रेट्रिएट की तरफ की बात है जो आप के नोटिस में लाई गई है।

श्री राज हिम्मतसिंह—हम भी बरसाती वगैरह लेकर नहीं आये हैं इसलिये कागज भीग जावेंगे, कृपा कर वे हमारे स्थानों पर ही भिजवा दिये जावें।

श्री उपाध्यक्ष—सेक्रेट्री साहब अपनी यह मजबूरी बता रहे हैं कि वे थोड़े समय के लिए पूरा स्टाफ (engage) नहीं कर सक रहे हैं। बरसात हो रही है इसलिए आप लोग नोटिस बोर्ड से मेटीरियल लेलें।

श्री राज हिम्मतसिंह (अटरू)—बरसातियों की रकम मंजूरी के लिए मांग लें तो अच्छा है।

श्री उपाध्यक्ष—रकम तो है, किन्तु आदमी अवेलेबल नहीं हो रहे हैं।

(विराम)

अनुपूरक अनुदान—शिक्षा: ४३

श्री भोलानाथ (शिक्षा मंत्री)—Sir, I beg to move that: "a supplementary sum not exceeding Rs. 74,500/- be granted to H.H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1954, in respect of Grant No. XLIII, Major Head, 37-Education."

इस सम्बन्ध में मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूं। ७४ हजार की रकम कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। भारत सरकार की स्कीम है कि बेसिक एजुकेशन के आधार पर इस योजना को

[श्री भोलानाथ]

कार्यान्वित किया जाय । इस योजना की स्वीकृति भारत सरकार से अप्रैल में आई थी । इस योजना के लिए खर्चा पहले ही दे दिया गया था किन्तु मंजूरी हमारे पास वक्त पर नहीं आई और इस रकम को हमने एक्सपेन्डीचर में नहीं डाला । ए. जी. ने इस रकम को जमा कर लिया । जब हमने स्कीम मंजूर कर ली तो काम करना आवश्यक हो गया । अब कोन्टिजेन्सी से मंजूरी मांगी जा रही है । जैसा कि मैंने आपसे कहा यह रकम भारत सरकार से मंजूर हुई है और उसके अगेन्स्ट हम मांग रहे हैं ।

श्री राज हिम्मतसिंह (अजरू)---खर्चा क्या हुआ और स्कीम क्या है ?

श्री भोलानाथ---स्कीम यह है कि उदयपुर के गिरवा जिले में स्कीम को इन्टेन्सिव तौर पर लागू किया जाय । इस स्कीम के अनुसार तीन तरह से काम होगा । कालेजज में ऐसे लोग तैयार किये जावेंगे जो गांव वालों को एग्रिकल्चर, वेटेरनरी और सफाई के सम्बन्ध में बता सकेंगे और वे नये तरीके से काम करेंगे । एक तरह से इस स्कीम के अनुसार ग्राम-नेता तैयार किए जा सकेंगे । ऐसे पांच सेन्टर्स खोले जा रहे हैं । इसके अलावा विद्याभवन बेसिक स्कूल में अध्यापक ट्रेन्ड किए जा रहे हैं । उदयपुर विद्यापीठ में भी जनता-कालेज खोला गया है । मिडिल तक की योग्यता वालों को इसमें सम्मिलित किया जावेगा । गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया इस स्कीम के द्वारा क्या चाहती है यह उनको बताया जावेगा । उन्हें बताया जावेगा कि सड़कें बनाने में, स्कूल्स की बिल्डिंग बनाने में और उन लोगों को किस तरह से जनता के पास एप्रोच करना है उसमें किस प्रकार उनके श्रम को काम में लेना है । इस तरीके पर सौ गांवों में एक्सपेरिमेन्ट के तौर पर किया जा रहा है । अगर यह स्कीम अच्छी लगी तो सौ गांवों से इसे आगे बढ़ाया जावेगा । इसका खर्चा ६७ पर्सेन्ट तो भारत सरकार देगी और ३३ पर्सेन्ट राजस्थान सरकार को देना होगा । यह स्कीम एक तरीके से बेसिक एजुकेशन के तरीके पर ही है । नए वातावरण में किस प्रकार से आज की तालीम हो, यही इस स्कीम का उद्देश्य है । इस स्कीम का यही मतलब है कि इसके द्वारा जो विद्यार्थी तैयार हों वे इस बात की कोशिश करें कि गांव वालों के कोआँपरेशन से गांवों की उन्नति हो । यह एक तरीके से एडल्ट एज्युकेशन के के आधार पर है । एडल्ट एज्युकेशन में तो लोगों को शिक्षित करना होता है किन्तु इस स्कीम का मतलब यह है कि गांवों की उन्नति में लोगों को किस प्रकार से कोशिश करना है, यह उनको बतलाया जावे । यह कार्य सारे हिन्दुस्तान में हो रहा है । हमने भी इस स्कीम को शुरू किया है । यह भी विचार हुआ था कि इस स्कीम को कम्युनिटी प्रोजेक्ट के साथ साथ शुरू किया जाय और इसका परिणाम लिया जाय कि आज की शिक्षा प्रणाली में क्या परिवर्तन होना आवश्यक है ।

(११ बज कर ४२ मिनिट पर श्री अध्यक्ष पुनः पदासीन)

श्री अध्यक्ष---Motion moved. Shri Abani Kumar.

श्री अवनिकुमार---अभी माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने जो एक्सप्लेनेशन दिया है उससे मुझे संतोष है ।

श्री अध्यक्ष---You do not want to move it?

श्री अवनिकुमार---No, Sir.

श्री अध्यक्ष—श्री संतोषसिंह ।

श्री संतोषसिंह—माननीय अध्यक्ष, यह जो ग्रान्ट मांगी गई है वह एक्सपेरिमेन्टल बेसिस पर मांगी गई है । इसके लिए मुझे यह कहना है कि जब कि राजस्थान काफी लम्बा-चौड़ा है और हमारे यहां प्राइमरी स्कूलों का अभाव है क्योंकि एक एक स्कूल पांच-पांच और छः छः मील के अन्तर पर है, वैसी हालत में एक्सपेरिमेन्टल बेसिस पर इस स्कीम को चालू करने के बजाय मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से यह रिक्वेस्ट करे कि वह प्राइमरी स्कूल्स को बढ़ावे । वे जब पूरी हो जाय तब इस स्कीम को काम में लिया जाय । यह तो एक फालतू खर्चा है जो बाद में करने का है । सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट द्वारा जो रुपया मिला है उसको किस तरह से किस किस में फालतू खर्च किया गया है आप चाहें और आप इजाजत दें तो मैं उस सम्बन्ध में नामावली पढ़ दूं ।

श्री अध्यक्ष—No Shri Yadav.

श्री गोपीलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, मेरे मित्र श्री भोलानाथजी ने ७४ हजार रुपयों की ग्रान्ट मांगी है । वह न दी जाय, इस बारे में मैं कहने के लिए तैयार नहीं हूं; बल्कि मैं तो यह शिकायत लेकर खड़ा हुआ हूं कि वे एक ऐसे आदमी हैं जिनकी शिक्षा से हमेशा रुचि रही है और शिक्षा पर जितना खर्चा होना चाहिए और जो नीति हमारी शिक्षा के लिए इस वक्त निर्धारित होनी चाहिए वह राजस्थान सरकार द्वारा नहीं की जा रही है ।

मैं अब आपका ध्यान एक और बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । सबसे पहले शिकायत मुझे यह है कि हमारे स्कूल्स और कालेजेज से जो विद्यार्थी निकल रहे हैं उनके लिए हम यह नहीं सोच रहे हैं कि वे थोड़ा बहुत काम सीख कर निकलें । वे तो ऐसे निकल रहे हैं कि जैसा कि हुल्लड़बाजों द्वारा हुल्लड़बाजी पिछले तीन दिनों से हमने देखी । उनको कहीं सर्विसेज मिलती नहीं । चारों तरफ से उनके लिए दरवाजे बन्द हैं । गवर्नमेन्ट को इस प्रकार की शिक्षा-नीति को बदल देना चाहिए । अगर कोरे क्लर्क्स निकालना चाहते हैं तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है । इनको तो लाजमी शिक्षा कालेजेज में कर देनी चाहिए जिससे कि वे लोग एक रुपया, दो रुपया, पांच रुपया प्रति दिन कमा सकें ।

इसके अलावा दूसरी शिकायत मुझे है वह यह है कि कॉलेजों तथा स्कूलों के अन्दर विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने से तीन तीन, चार-चार शिफ्ट की जाती हैं । ठीक है, इसमें मुझे शिकायत नहीं । पर वे इस तरह से की जावें कि एक सब्जेक्ट को पढ़ाने में हफ्ते में ६ पीरियड लाजमी होने चाहियें पर इनको काट कर तीन कर दिये जावें तो यह कोई शिफ्ट बनाने का तरीका नहीं है । आप जितने पीरियड आवश्यक होने चाहियें उतने रखिये, फिर भले ही कॉलेज और स्कूल रात के दस बजे तक चलाया करें । पीरियड ही कम कर देने से बच्चों को कुछ नहीं आवेगा, उनकी पढ़ाई कमजोर होगी और जैसी भी शिक्षा मिलने जा रही है वह कुछ नहीं मिलेगी । इसके लिये आप अधिक बिल्डिंगों और अध्यापकों का प्रबन्ध करिये । अगर आपके पास मकान नहीं है तो बनवाइये या बहुत से मकानात जो शहरों में यों ही पड़े हैं उन्हें रिक्विजिशन करिये या प्लेट जो पड़े हैं बड़ी तादाद में सरकार उन्हें लगावे । कुछ भी करिये पर करिये ऐसा कि करिकुलम के मुताबिक ठीक शिक्षा उन्हें मिले ।

Page No.64

[श्री गोपीलाल यादव]

एक शिकायत यह थी कि बैकवर्ड क्लासेज और सरकारी गरीब मुलाजिम जो हैं उनके बच्चों को शिक्षा देने के लिये उचित साधन देन का प्रयत्न नहीं किया जा रहा है। फीस भी जो है वह सबके लिए एक सी है। मालदारों के बच्चे भी उतनी ही फीस देते हैं, सौ रुपये पाने वालों के बच्चे भी उतनी ही फीस देते हैं और तीस रुपये कमाने वाले किसान के बच्चे को भी उतनी ही फीस देनी पड़ती है। मैं अपने सरकारी दोस्तों को यह राय देना चाहता हूं कि मालदारों के लड़कों पर फीस रहे बल्कि उन पर और अधिक कर दी जावे, किसान जो फीस देने की स्थिति में हों वे दें लेकिन बैकवर्ड क्लास जिसमें शिक्षा बहुत कम है, मुश्किल से दो तीन फी सदी हैं, उनकी फीस माफ कर दी जावें बल्कि एम.ए. तक माफ रक्खी जावे। जो मुलाजिम ऐसे हैं और मजदूर वगैरह भी, जिनकी आमदनी १००) रुपये माहवार से कम है उनके बच्चों से भी आप किसी तरह की फीस नहीं लीजीए। इसके अलावा अगर कोई हजार रुपये माहवार तनख्वाह पाता है तो उन पर दूनी फीस लगा दीजिए। इस समय अगर तीन रुपया ले रहे हैं तो ६) रुपया फीस उनके लिये कर दीजिये, चार रुपये ले रहे हैं तो ८ रुपये कर दीजिए, लेकिन गरीबों के बच्चों को सुविधा दीजिए। देहातों में गरीबों के लाखों ऐसे बच्चे हैं जिनको अगर शिक्षा के समुचित साधन मिलें तो देश के लिए वे होनहार साबित हो सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं। आज अगर जवाहरलाल नेहरू इतने ऊंचे बन गये तो उनको समुचित साधन और मौके मिले थे, व मोतीलाल जी के घर में जन्मे थे। अगर वे भी सीकर या शेखावाटी के किसी गरीब किसान के बच्चे होते तो कोई उनको जानता भी नहीं। आप देश के इन बच्चों के लिये शिक्षा की समुचित व्यवस्था कीजिए इस वक्त आप १८।। प्रतिशत शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं। आप अच्छे लड़ाकू हैं, हिम्मत वाले हैं, आप इसे २५ प्रतिशत कर लीजिए। इससे कम में काम नहीं चलने वाला है।

श्री अध्यक्ष—मैं माननीय सदस्यों को यह बतला दूं कि ये पूरक मांगें जो हैं उनका एक दायरा है और जिस उद्देश्य के लिए ये मांग रक्खी जाती हैं उन्हीं पर अपनी समालोचना आप करें या अपने कट मोशन रक्खें। इनके अतिरिक्त न रक्खें।

श्री भैरूसिंह (बि.सं. १३)—अध्यक्ष महोदय, जो ये मांगे रक्खी गई हैं वे स्कूलें खोलने के विषय में हैं। मेरे डिविजन में उदयपुर में भी इस तरह की स्कूलें कायम हुई हैं। पर ये जनता-स्कूलें कुछ काम नहीं कर रही हैं, सिवाय इसके कि ये पार्टी प्रोपेगेन्डा के साधन बनी रहें। वही लड़के जो मेट्रिक में फेल हो जाते हैं अथवा जिन्हें और किसी संस्था में नहीं लिया जाता उनको इन स्कूलों में रख लिया जाता है। उनको यह आश्वासन दिया जाता है कि उनको भी कहीं न कहीं स्थान मिल जावेगा। इस तरह जनता की ये स्कूलें कायम हुई हैं। आस पास के लड़कों को भी पकड़ कर इनमें भर्ती कर लेते हैं। वहां कोई ट्रेनिंग ये नहीं पाते सिर्फ पार्टी ट्रेनिंग यहां दी जाती है।

इसलिये नई स्कूलें खोलने के बजाय जो मौजूदा स्कूलें हैं वे ही अच्छी तरह से चलाई जावें। लोगों की मांग है कि हमारे यहां स्कूल बढ़ाई जावे या उनकी बिल्डिंग बढ़ाई जावे जो मैं भी माननीय मंत्री जी का इस ओर ध्यान दिलाऊंगा। मावली में एक हाईस्कूल के लिए कई बार राजस्थान के मंत्री जी को और यहां तक कि केन्द्र के मंत्री जी को भी बताया गया। वे वहां गये भी और आश्वासन दिया कि

Page No.65

[श्री भैरूंसिंह]

आपके यहां हाई स्कूल खोली जावेगी। पर वह नहीं खोली गई और सारा मामला खंटाई में डाल दिया गया। इसके अतिरिक्त एक शर्त लगाई जाती है कि जो लोग अपने घर में या सामूहिक रूप से अपने यहां स्कूल की बिल्डिंग बनालेंगे उनके लिए टीचर्स सरकार की ओर से भेज दिये जावेंगे। स्कूल बिल्डिंग जनता को अपने आप बनानी पड़ेगी। मैं कहूंगा कि यह गलत नीति है सरकार की।

बहुत से एरिया ऐसे हैं जहां के लोग स्कूल की बिल्डिंग बनाने का खर्चा अपनी अत्यन्त गरीबी के कारण बर्दाश्त नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते और इसके विपरीत कई एरिया में बड़े २ मालदार लोग हैं, व्यापारी वर्ग हैं, वे स्कूल के लिये अफोर्ड कर सकते हैं। इस तरह जिनका हक पहले ड्यू है उनके यहां सरकार स्कूलें नहीं खोल सकती पर उन एरियाओं में जहां मालदार लोग हैं, अधिकारी वर्ग ऊंचे तबके के हों या ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं वहां और भी स्कूलें कायम कर दी जाती हैं। यह सिद्धान्त बिल्कुल गलत है। ऐसी स्कूलें जनता के नाम से खोली जाना जनतन्त्रीय सरकार के लिये शोभा की बात नहीं है।

मैं अर्ज करूंगा कि आलरैडी मौजूदा जो स्कूलें हैं उनकी तो हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, उनकी तो बिल्डिंगें भी चार चार, पांच पांच साल हो गये अभी तक नहीं बनी और दूसरी ओर आप नई नई स्कूलों के लिये अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। एक तरफ उन पुरानी स्कूलों के लिये अच्छा प्रबन्ध करना छोड़कर महज अपनी पार्टी प्रोपेगन्डा के लिये नई नई स्कूलें आप खोल रहे हैं। मुझे व्यक्तिगत रूपसे मालूम है कि प्रतापनगर, उदयपुर, में जो स्कूल खोली गई है वहां यही काम होता है। मैं जनता-स्कूलें खोलने की आवश्यकता को नहीं मानता हूं। मैं निवेदन करूंगा कि आलरैडी जो स्कूलें हैं सरकार उनकी हालत पहले सुधार और फिर अधिक पैसा हो तो फीस कम कर दी जावे। मैं समझता हूं कि फीस कम करने का तो सवाल ही नहीं आवेगा। अभी पुरानी स्कूलों की स्थिति ही सरकार सुधार ले। मेरा निवेदन यही है कि इन जनता-स्कूलों के जनता के नाम पर पार्टीबाजों के लिए दो तीन महीनों के लिये ट्रेनिंग देने के लिये खोलने से कोई प्रयोजन सर्व नहीं होगा। आलरैडी जो स्कूलें हैं उन्हीं की मदद दी जावे और उनका स्टेन्डर्ड और ऊंचा किया जावे।

श्री शम्भूसिंह--अध्यक्ष महोदय, इन्टेन्सिव एज्युकेशन डेवलपमेन्ट पर जो कटौती प्रस्ताव आया है उस पर मैं भी दो शब्द अर्ज करना चाहता हूं सांकेतिक कटौती प्रस्ताव का मतलब यह है कि इस बहाने पॉलिसी के ऊपर अपने विचार व्यक्त कर सकें। मेरे पूर्व वक्ता माननीय श्री भैरूंसिंहजी ने जो विचार इस बारे में प्रगट किये हैं मैं उनके विचारों से पूर्णतया सहमत हूं।

मैं इन्टेन्सिव एज्युकेशन के डेवलपमेन्ट का विरोधी नहीं लेकिन जो एरिया इसके लिये चुना गया है उससे मेरा मतभेद है। मैं अपने वक्तव्य को एज्युकेशन तक ही कनफ़ाइन रखूंगा, यदि मैं उससे कुछ बाहर भी हो जाऊं तो आशा है क्षमा प्रदान की जायगी। यही रुपया, जो अभी स्कूलें विद्यमान हैं उन पर खर्च किया जाता तो जनता का ज्यादा हित हो सकता था। इसलिये अभी जो स्कूलें हैं उन पर ज्यादा ध्यान न देकर, जहां रुपया लगाने की जरूरत है वहां रुपया न लगा कर उसके लिये नया एरिया

[श्री शम्भूसिंह]

सिलैक्ट किया जाता है तो इसको मैं वाजिब नहीं समझता। मैं आपके सामने इस विषय में दो-एक उदाहरण पेश करूंगा। भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अन्दर रायपुर और गंगापुर ऐसे दो कस्बे हैं जहां पर हाई स्कूल होना अत्यन्त आवश्यक है और सरकार के आश्वासन पर वहां के लोगों ने हाई-स्कूल के लिये बिल्डिंग भी बनवा कर दे दी है ताकि वहां पर हाई स्कूल खोल दी जावे। जब कि सरकार ने एज्युकेशन डेवलपमेन्ट का कार्य शुरू किया है तो यह भी उपयुक्त होगा कि वहां पर भी हाईस्कूल कायम कर दी जावे। माननीय शिक्षा मंत्री ने भी इन स्थानों का दौरा किया है और उन्होंने इन स्कूलों को देख कर सन्तोष भी प्रगट किया है इससे हमें पूर्ण आशा थी कि गंगापुर और रायपुर में हाई-स्कूल खोल दिया जायगा। जब हमें यह मालूम हुआ कि बजट में हाई स्कूलों की जितनी तादाद मुकर्रर हुई थी उससे बहुत कम हाई स्कूल खोल गये तो बड़ा दुःख हुआ। भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अन्दर हाई स्कूल खोला गया वह भी ऐसी जगह खोला गया जहां पर कि हाई स्कूल की बिल्डिंग सम्पूर्ण होने से पूर्व ही गिर गई और इस वक्त भी वह बिल्डिंग हाई स्कूल के लिये उपयुक्त नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है कि गंगापुर और रायपुर में जहां हाई स्कूल के लिये बिल्डिंग्स बना दी गई हैं वहां इन्टेन्सिव एज्युकेशन डेवलपमैन्ट के प्रोग्राम के मुताबिक हाई स्कूल का न खोलना कहां तक उपयुक्त है। मुझे मालूम हुआ कि शिक्षा मंत्री वहां पर हाई स्कूल खोलने के पक्षपाती थे, दूसरे मंत्री भी इसके पक्षपाती थे, मगर कांग्रेस के माने हुए एक नेता ने इसके विरुद्ध इच्छा प्रकट की और उनकी इच्छा की अवहेलना शिक्षा मंत्री जी कदापि नहीं कर सकते थे इसलिये उनकी इच्छा को ध्यान में रखते हुए गंगापुर और रायपुर में हाई स्कूल नहीं खोला गया और ऐसे स्थान पर स्कूल खोला गया जहां से कि वे चुनाव में खड़े होने वाले हैं। इस तरह से राजनैतिक पार्टी बाजी से स्कूल खोल जावेंगे तो मैं समझता हूं कि ऐसा करना कदापि उपयुक्त नहीं होगा। इसके अलावा नये प्राइमरी स्कूलों के बारे में मेरी भी अर्ज है कि गंगापुर और रायपुर तहसीलों में कोई भी नया प्राइमरी स्कूल नहीं खोला गया, वहां यदि प्राइमरी स्कूल खोले जाते तो वहां पर इन्टेन्सिव एज्युकेशन डेवलपमेण्ट का अच्छा स्कोप था। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिये जो ७४ हजार की मांग की गई है वह बहुत कम है; इससे बहुत ज्यादा रकम की मांग की जानी चाहिये थी। शिक्षा राष्ट्र निर्माण का कार्य है। इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा मांग की जानी चाहिये। हमें उसे देने में कदापि ऐतराज नहीं हो सकता मगर इसके लिये जो एरिया सिलेक्ट किया जाता है वह उचित होना चाहिये।

श्री खेतसिंह— माननीय अध्यक्ष, यह जो ७४ हजार रुपयों की मांग शिक्षा मंत्रीजी ने रखी है मैं उसका विरोध करते हुए कुछ शब्द कहना चाहता हूं। प्रथमतया यह जो एरिया इसके लिये सिलेक्ट किया गया है वह किस बेसिस पर किया गया है, यह कुछ भी नहीं बताया गया है। उदयपुर को क्योंकि पहले भी डेवलपमेण्ट प्रोजेक्ट आदि के लिये भी चुना गया था क्या शिक्षा के क्षेत्र में भी उसे बेकवर्ड समझा गया है इसलिये वह क्षेत्र चुना गया है? क्या सारे राजस्थान में उदयपुर ही एक बेकवर्ड इलाका है? यह देखना जरूरी है? अक्सर मंत्री महोदय प्लानिंग और एज्युकेशन के लिये उदयपुर को इसलिये बेकवर्ड समझ लेते हैं कि वहां पर बेकवर्ड कॉम्युनिटीज ज्यादा रहती हैं। केवल बेकवर्ड क्लास के वहां रहने से किसी क्षेत्र को बेकवर्ड नहीं समझा जाना चाहिये। एज्युकेशन के पाइन्ट ऑफ व्यू से इस क्षेत्र

[श्री खेतसिंह]

से भी कहीं अधिक दूसरे क्षेत्र ज्यादा बैकवर्ड है। उदाहरण के लिये जैसलमेर और शेरगढ़ के इलाकों के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि जहां पर दो प्राइमरी स्कूल हैं और एक मिडिल स्कूल है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ऐसे इलाके पर ध्यान नहीं दिया जाता, यह बड़े खेद की बात है। गत डेढ़ साल से मैं बराबर यह कहता आया हूं कि इन इलाकों में ज्यादा से ज्यादा प्राइमरी स्कूलें खोली जानी चाहियें। वह भी राजस्थान राज्य का हिस्सा है, वहां के लोग भी रेवेन्यू देते हैं, वह हिस्सा भी आपकी मातहत है। उन्होंने ऐसा क्या जुल्म किया कि आप वहां के लोगों पर कुछ भी तवज्जुह न दें? जितनी भी स्कीम्स होती है उदयपुर में ही चालू करें? जितनी भी प्रकार से आपको सहायता देनी है आप उस इलाके को ज्यादा दें, जो उससे भी ज्यादा बैकवर्ड है। उस इलाके के लिये, जो उदयपुर इलाके से भी ज्यादा बैकवर्ड है उस पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया जाना न्याय संगत नहीं है। इसलिये मेरी अर्ज यह है कि जिस इलाके से ज्यादा बैकवर्ड इलाका है वहां भी एज्युकेशन के डेवलपमेण्ट की कोशिश करें। जो आपने अखबारों के जरिये यह एलान किया था कि ८० हजार प्राइमरी स्कूल खोले जायेंगे तो वे कब खोले जा रहे हैं? उसके बारे में भी हमें भ्रम सा प्रतीत हो रहा है। बाड़मेर के इलाके में, जहां तक मुझे जानकारी प्राप्त हुई है एक भी स्कूल नहीं खोला गया है। एक बार फिर मैं शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे जोधपुर डिविजन के बाड़मेर इलाके पर भी जरूर ध्यान दें और एक्स्पेरीमेण्टल स्कीम्स की तहत भी वहां प्राइमरी स्कूल्स खोलें जावें।

श्री भोपालसिंह--अध्यक्ष महोदय, इस मांग के खिलाफ में भी कुछ अर्ज करना चाहता हूं। एज्युकेशन का कार्य ऐसी जगह किया जाता है और यह पैसा ऐसी जगह खर्च किया जाता है जहां पर आवश्यकता नहीं होती और जहां जरूरत होती है वहां पर एक भी पैसा खर्च नहीं किया जाता। जैसे एक जाट बोर्डिंग हाउस मेड़ता तहसील में अच्छा बना हुआ है उसके लिये तो सरकार द्वारा २५ हजार रुपया दे दिया गया किन्तु हाई स्कूल के कमरे के लिये सरकार के पास पैसा नहीं है। वहां पर एक गर्ल्स स्कूल भी है जो किराये की बिल्डिंग में चलती है, उसके लिये बिल्डिंग सरकार से नहीं बनती है। उसके लिये कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है और जनता से वोटों के लिये वायदे पर २५ हजार रुपया दे दिया गया है किन्तु बिल्डिंग बनाने के लिये कुछ भी पैसा नहीं दिया जाता। इसके लिये जो रुपया २५ हजार मेड़ता के किसान बोर्डिंग सभा के खाते में जमा है वह वापिस जमा कराने की कोशिश की जावे बस मैं इतना ही कह कर बैठ जाता हूं।

श्री रूपनारायण शास्त्री--अध्यक्ष महोदय, मुझे केवल संस्कृत भाषा के संबन्ध में कुछ कहना है। यह तो ठीक है कि शिक्षा के लिए जितना अधिक व्यय किया जाय उतना ही अच्छा है और यह सरकार के लिए शोभा की बात भी है। यह भी नहीं कहा जा सकता है कि शिक्षा में प्रगति नहीं हुई है। जगह जगह स्कूल खोले गये हैं। ऐसे स्थान पर भी स्कूल खोले गये हैं जहां पहले स्कूल का बिल्कुल नामोनिशान नहीं था, परन्तु इतना सब कुछ होते हुए भी संस्कृत भाषा के लिए कोई भी नया बजट नहीं होता है और न कोई नई संस्कृत पाठशालाएं ही खोली जाती हैं। इसलिए मेरा यह कहना है कि संस्कृत भाषा की इस तरह अवहेलना करना कदापि ठीक नहीं है, क्योंकि संस्कृत भाषा हमारी तमाम भाषाओं की जननी

Page No.68

[श्री रूपनारायण शास्त्री]

है, विशेषकर हिन्दी भाषा जो भारत की राष्ट्रभाषा है उसके भंडार को जिन शब्दों से भरना चाहते हैं उस संस्कृत भाषा के लिए कोई भी रकम विशेष नहीं निकाली गई है। एक भी संस्कृत पाठशाला राजस्थान बनने के बाद में नहीं खोली गई है। जब तक जयपुर स्टेट थी उस वक्त तक तो यहां १०,५ पाठशालायें नई खुला करती थीं। यहां पर एक कालेज भी था जो कि बडा सम्मानीय कॉलेज था। लेकिन आज युनिवर्सिटी हो जाने के बाद, राजपूताना विश्वविद्यालय होने के कारण और संस्कृत कॉलेज को उसके द्वारा मान्यता नहीं देने के कारण उस कॉलेज की आज वह स्थिति नहीं है जो कि पहले थी। पहले जितना सम्मान होता था यहां से निकले हुए स्नातकों का उतना नहीं। श्री चन्द्रधर गुलेरी इसके प्रमाण हैं। जयपुर कॉलेज के स्नातक अच्छे २ कॉलेजों में मुख्याध्यापक रहे हैं। आज जयपुर कॉलेज का वह सम्मान नहीं है; अगर कुछ है भी तो वह एक साधारण पाठशाला व कॉलेज के रूप में ही।

माननीय शिक्षा मंत्रीजी को विशेष ध्यान देना होगा कि जयपुर कॉलेज का विश्वविद्यालय से संबन्ध करना होगा। उसके लिए जितने भी जो कुछ प्रयत्न हों वह काम में लायें।

अगर संस्कृत भाषा नहीं होती तो आज जो आप विविध शब्द प्रयोग में लाते हैं, वे कहां से लाते। 'अनुपूरक' और 'अनुदान' आदि जितने भी नये नये शब्द आप विधान में काम में लाते हैं वह कहां से लाते। यह सब उसके साहित्य और व्याकरण से ही हमें प्राप्त हैं। उसके अस्तित्व को मिटाने की अगर आप कोशिश करते हैं तो यह अच्छा नहीं है। उसकी अभिवृद्धि के लिए बहुत कुछ होना चाहिये।

आपने एक नियम बनाया है कि एक स्थान के लिए मिडिल स्कूल की शिक्षा अनिवार्य है तो मिडिल स्कूल की शिक्षा के बराबर जो संस्कृत की शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी हैं उनको नहीं लेते हैं। अभी सीकर इलाके में जिन संस्कृत पास लोगों ने दरख्वास्तें दी हैं तो उनका चुनाव नहीं हुआ है और दूसरे लोगों का हो गया। कम से कम इस बात का ध्यान होना चाहिए कि जो संस्कृत की प्रथमा पास हैं उनको मिडिल पास के बराबर स्थान मत दो लेकिन उसका कुछ अनुपात तो होना चाहिये। उस अनुपात से उनको भी लिया जाना चाहिए। २० मिडिल पास की दरख्वास्तें हों और १० संस्कृत पास की हों तो उन १० संस्कृत वालों को उस अनुपात से लेने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। मगर यदि ऐसा नहीं करते हैं तो संस्कृत की अभिवृद्धि नहीं हो सकती और जब तक संस्कृत की अभिवृद्धि नहीं होती है तब तक हमारे राष्ट्र की उन्नति नहीं हो सकती है। संस्कृत भाषा इतनी पुरानी होते हुए भी उसका साहित्य आज सब से ऊंचा है। उसका अपने ढंग का साहित्य है और उसके कारण ही वह भाषा आज तक अमर है। (समय समाप्ति सूचक घंटी), उस भाषा की अभिवृद्धि के लिए प्रयत्न करना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, आपके आदेशानुसार मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

मेजर आपजी श्री रघुराजसिंह——जो डिमान्ड शिक्षा के विषय में है उसमें वैसे तो मंत्री महोदय ने जो एक्स्प्लेनेशन दिया है उससे मुझे संतोष है, लेकिन थोडी सी बात जो इस विषय में उठाना चाहूंगा वह यह कि एज्युकेशन की जो रकम खर्च की जाती है, वैसे तो जहां स्कूल वगैरह खोले जायेंगे उसी जगह पर फायदा है, लेकिन खास बात देखने की यह है कि जहां पर पिछडी हुई जगह है, जो कि एज्युकेशन के

Page No.69

[श्री रघुराजसिंह]

हिसाब से खासतौर से बैकवर्ड एरिया माने जाते हैं उन पर विशेष ध्यान देना चाहिये। इस विषय में थोडी तवज्जह आपको दिलाना चाहता हूं।

कोटा डिविजन में जो शाहबाद है वह बैकवर्ड एरिया है। वह डूंगरपुर जो है उसमें किसी हालत में एडवान्स नहीं है। वहां पर जो स्कीम रखी गई है उसमें एक भी नये प्राइमरी स्कूल की मंजूरी नहीं दी गई है। तो मैं आशा करता हूं कि आप ऐसे स्थानों का विशेष ध्यान रखेंगे और इस पर विचार करेंगे। बस इतना ही कहना है।

श्री भोलानाथ (निर्माण मंत्री)–अध्यक्ष महोदय, वैसे आपका आदेश हो चुका था कि ग्रान्ट के संबन्ध में ही कुछ भाषण हों, लेकिन कुछ विषय बहस के सिलसिले में ऐसे भी आगये हैं कि उसका भी थोड़ा उत्तर दे दूं तो मुझे आज्ञा देंगे।

माननीय श्री यादवजी ने बहुत सी बातें कहीं। लेकिन वे यह जानते होंगे कि शिक्षा की जो स्कीम चली है वह इसी बेकारी को दूर करने की ओर एक कोशिश है। यह हम देखेंगे कि गावों में अधिक से अधिक शिक्षाप्रद सदस्यों का उपयोग किया जा सकेगा, जिससे कि फिर वे शहरों की तरफ से केवल नौकरी के लिए नहीं भागेंगे। भारत सरकार इस पर काफी ध्यान दे रही है और इसीलिये वह कोशिश करेगी कि गांवों के लोगों को बताया जाय कि आधुनिक जो वैज्ञानिक साधन हैं उनको वह अपने काम में किस प्रकार लगा सकते है। इसके लिये जनता कॉलेज यानी प्राथमिक शिक्षा की तरह थोड़ी बहुत एज्युकेशन वहां रखने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यह ऐसी शिक्षा है कि एक प्रान्त से ही उसका ताल्लुक नहीं है लेकिन सारे हिन्दुस्तान की शिक्षा पद्धति से वह ताल्लुक रखता है। जहां तक प्राइमरी तालीम का सवाल है भारत सरकार अपने मामले में दखल नहीं देती है। जहां सेकेन्डरी तालीम का सवाल है उन्होंने सेकेन्डरी एज्युकेशन कमीशन बिठाया था। उसने अपनी रिपोर्ट पेश की है, और वह बराबर इस बात की कोशिश में है कि सेकेन्डरी एज्युकेशन इस प्रकार की देनी चाहिये कि जिससे पढ़ने वाले पूरी तालीम हासिल करके, जिससे वे आगे किसी लाइन में जा सकें या स्वतन्त्र होकर कोई रोजगार आदि कर सकें. जीवन संग्राम में अग्रसर हो सकें। इस बारे में भारत सरकार बहुत चिन्तित है। ३३ पर्सेंट खर्च करने से भारत सरकार के निकट आते हैं। उससे हम इस एज्युकेशन स्कीम से महरूम नहीं रहते हैं। एक छोटी सी चीज से बड़ी चीज अपने पास आती है तो अपन भी थोड़ा खर्च करके अनुभव प्राप्त कर ले। यदि उससे कुछ फायदा होता है तो अच्छा रहेगा।

प्राइमरी एज्युकेशन का जहां तक सवाल है जितना पैसा हम इस साल खर्च कर रहे हैं उतना खर्च कभी नहीं हुआ। चार हजार स्कूलों में से ८०० स्कूलें इस साल खुल रही हैं। एक लाख की आबादी पर ४–५ स्कूल खोले जा रहे हैं। कहीं थोड़ी बहुत कमी होगी तो ठीक करने की कोशिश करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आयेगी। मेरा तो यह खयाल है कि जनसंख्या के आधार पर पैसा दिया जाना चाहिये और उसके मुताबिक दिया भी जाता है. और ८०० स्कूलों में से करीब करीब ४–४, ५–५ आते हैं। हरेक जिले में पापुलेशन के मुताबिक आ जाते हैं। यह हो सकता है कि किसी तहसील या किसी गांव में

Page No.70

[श्री भोलानाथ (निर्माण मंत्री)]

विशेष सुविधा नहीं होने से वहां नहीं खोला गया हो । मैं खास तौर से भैरूसिंहजी से कहना चाहता हूं, जो कि नाराज हो गये हैं कि सरकार स्कूल के लिये बिल्डिंग मांगती है मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है । कच्चा मकान, बड़ या पीपल बताते जिसके नीचे बच्चों को बैठा दें, तो मुझे कोई ऐतराज नहीं हो सकता । वह कच्चा मकान लिपा हुआ हो, साफ हो, उसके ऊपर छप्पर भी हो सकता है पत्तरों का छप्पर भी हो सकता है । अगर पक्का बना हुआ हो तो आपको मेहरबानी है । कहीं स्कूल खुलने में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है तो आप लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन अगर पब्लिक का मकान आदि के विषय में जरा भी कोआँपरेशन हो तो इस स्कीम के मुताबिक वे स्कूल खोले जा सकेंगे । अगले साल भी खोलने का विचार है । प्राइमरी एज्युकेशन के लिए भारत सरकार से भी काफी रुपया लेने की कोशिश की जा रही है । और वे रुपया देने के लिए तैयार भी हैं । लेकिन एक तरह कि जो तालीम चली आ रही हो उसको ही चलने दिया जाय और दूसरा अनुभव नहीं किया जाय यह ठीक नहीं है । इसलिए नये अनुभव करनाचाहिये और इस शिक्षा-पद्धति में परिवर्तन करना चाहिए, जिसके लिए हमारे बड़े बड़े नेताओं का तथा हरेक प्रांत की सरकार का पूरा ध्यान है ।

प्राइमरी स्कूल जो खोले गये हैं उनमें भी इसी बात का ध्यान रखा गया है कि जहां मकान चाहिये अगर वह मिले जायं तो वे खोले जायं । श्री शम्भूसिंहजी ने यह कहा कि जहाजपुर और गंगापुर में अच्छे मकान होने पर भी वहां हाई स्कूल नहीं खोला गया है और मांडलगढ में खोला गया है, तो उसके लिए मेरा यह कहना है कि युनिवर्सिटी पहले से ही मांडलगढ़ को मन्जूर कर चुकी थी, और मांडलगढ के लोगों ने चन्दा भी काफी इकट्ठा किया ।

वहां के लोगों ने १०-१२हजार रुपया चन्दा करके इकट्ठा किया और उस पर खर्च भी किया । उस वर्ष वर्षा ज्यादा होने के कारण मकान गिर गया तो उनको सजा नहीं दी जा सकती वह इलाका गंगापुर की बनिस्पत काफी अच्छा है । युनिवर्सिटी ने भी मंजूरी दे दी थी । उसने पिछले साल ही मंजूरी देदी थी । उन्होंने कहा कि आप भी मंजूर कर लीजिये । ऐसी हालत में मांडलगढ की स्कूल के लिये मंजूरी देनी पड़ी । वहां पर न किसी नेता का चुनाव होने वाला है और न कोई जगह ही वहां से खाली हुई है । मैं उनके काम की प्रशंसा करता हूं ।

सारे राजस्थान में इस वर्ष १० ही हाई स्कूल खोले गये हैं । २५ जिलों में से १० का ही नम्बर आ सका है । जहां कि पब्लिक कोआँपरेशन था, जहां पर मकान या भवन तैयार थे तथा जहां पर नजदीक में कोई हाई स्कूल नहीं था वहां पर हाई स्कूल पहले खोली गई । हमारे पास ज्यादा पैसा होता तो ज्यादा से ज्यादा हाई स्कूलें खुल सकती थीं । ज्यादा हाई स्कूलें भी कहां तक खोलते चले जायं, यह भी प्रश्न सामने आता है । कुछ एग्रीकल्चरल स्कूलें खोली जा सकें, कुछ सेकेन्ड्री एज्युकेशन का नया केरिकुलम आया है उसके मुताबिक परिवर्तन किया जा सके, तो ज्यादा अच्छा हो । इसमें शक नहीं कि पब्लिक की डिमान्ड ज्यादा स्कूलों के लिये है । वे कहते हैं कि बिल्डिंग नहीं है तो टेन्टस में ही खोल दीजिये । पर टेन्टों में यह चीज ज्यादा चलनेवाली चीज नहीं है । एक दो सेशन तक भले ही चला सकते हैं जहां पर

Page No.71

[श्री भोलानाथ (निर्माण मंत्री)]

बिल्डिंग्स हैं वहां पर अधिक से अधिक सुविधा दी जाने की कोशिश की जाती है। डबल शिफ्ट में स्कूलें चलाई जाती हैं। नाइट क्लासेज चलाई जा रही हैं। हम हर तरह से लोगों को संतोष देने की कोशिश करते हैं। जो हायर एज्युकेशन लेना चाहते हैं उनको भी हम महरूम नहीं करना चाहते। जो लोग रात्रि में पढना चाहते हैं उनको भी सुविधायें हैं। Backward classes की फीस माफ है और हम वजीफा देने का प्रबन्ध करते हैं। अच्छे मेरिट से पास होने वाला छात्र, चाहे वह किसी भी कॉम्युनिटी का हो, स्कॉलरशिप पाता है। आजकल कुछ लोगों को एडमिशन इसलिये नहीं मिलता कि वे अच्छे मेरिट से पास नहीं होते। अच्छे मेरिट से जो पास होते हैं उनको स्कॉलरशिप दी जाती है और दूसरी सुविधाएं भी दी जाती हैं। जहां तक सरकार का सवाल है उसके पास सब तरह का प्रोविजन है। ज्यादा से ज्यादा गरीब छात्र आते हैं तो उनको फ्री शिप देने को तैयार हैं। वे मेरिट पर आते हैं तो स्कालरशिप देने को तैयार हैं, गरीबों की फीस माफ है। यह कहना कि बेकवर्ड क्लासेज की ओर ध्यान नहीं देते हैं, गलत है। ऐसी बात नहीं है। यदि आप की कोई इंडिविज्युअल शिकायत है तो उसे सामने लायेंगे तब दूर करने की कोशिश की जायगी।

गांव वालों को सोशियल एज्युकेशन देकर उनका उपयोग किया जा सकता है या नहीं, इसके लिये भारत सरकार स्वयं भी अनुभव करेगी। इसके लिये अलग कमेटियें बनाई गई हैं। सारे देश का जो नतीजा आयगा उसी के अनुसार आगे स्कीम चलाई जायगी।

हमने कोशिश की है कि ज्यादा रुपया खर्च नहीं करें। जिनको ग्रान्ट-इन-एड देते हैं उनसे कहा है कि वे अपना फंड बचाने की कोशिश करें। वे लोग बहुत उत्साह से काम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यदि किसी के पास पैसा आ जायगा तो उसका उपयोग किया जायगा।

श्रीमालीजी विद्या के क्षेत्र में अच्छे विद्वान माने जाते हैं। उनका भारत सरकार में भी आदर है। उनको बाहर के देशों में भी भेजा है। उनके प्रति मुझे पूर्ण सहानुभूति है। अपने आदमियों का मान बढे तो अच्छा ही है।

कोई खामियें रह जावें तो उनकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराइये। जहां तक बन पड़ेगा उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि इस ग्रान्ट को मंजूर कर लिया जाय।

श्री लक्ष्मणसिंह--युनिवर्सिटी की आमदनी वैसे भी काफी है, २ लाख ७० हजार रुपये दिये जाते हैं। यदि उसको अधिक न देकर दूसरी जगह खर्च किया जाय तो अधिक अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष--Order! The question is: "that a supplementary sum not exceeding Rs. 74,500/- be granted to H.H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1954, in respect of Grant No. XLIII, Major Head 37- Education."

(स्वीकृत)

The demand is granted.

अनुपूरक अनुदान-सिंचाई इत्यादि कार्य: ४७

श्री भोगीलाल पंडया (सिंचाई मंत्री)--Sir, I beg to move: "that a supplementary sum not exceeding Rs. 1,00,000/- be granted to H.H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1954, in respect of grant No. XLVII, Major Head, 68- Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage works."

श्री अध्यक्ष-- Motion moved.

श्री हिम्मतसिंह--Would the Hon'ble Minister like to give some explanation?

श्री अध्यक्ष--Perhaps he does not feel any necessity for it.

श्री भोगीलाल पंडया--मैं इस बारे में कुछ कहने की जरूरत समझता हूं। माननीय सदस्यों को यह पता ही है कि चंबल योजना के लिये काफी समय से वाद-विवाद चलता आ रहा है। पहले हमारे चीफ डेवलपमेण्ट इंजीनियर कोटा ने कोटा से ६मील दक्षिण की ओर यानी नीचे की ओर एक बेरेज बांधने का प्रस्ताव किया था। उसके बाद राजस्थान सरकार के भूतपूर्व चीफ इरिगेशन इंजीनियर श्री मित्तल ने यह सुझाव दिया कि कोटा से ऊपर की ओर तीन मील की दूरी पर दूसरा बेरेज बन जावे तो बड़ा उपयोगी होगा और राजस्थान के लिये हितकर होगा जिससे २ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई और बढ़ेगी।

इसके बाद अभी हमारे मौजूदा चीफ इरिगेशन इंजीनियर को भी भेजा गया। उन्होंने भी मौका देख कर यह राय जाहिर की कि ऊपर का हिस्सा राजस्थान के लिये अधिक हितकर है। उन्होंने राय दी कि मि० मित्तलजी ने जो मौका बताया है उससे एक हजार फीट नीचे की ओर अच्छा होगा। डा० के. एल. राव डाईरेक्टर, डिजाइन्स सेन्ट्रल वाटर एण्ड पावर कमीशन ने ३० और ३१ मई १९५३ को निरीक्षण किया और कुछ सौ फीट उसके नीचे की तरफ कोटा महाराजा साहब के गढ़ के सामने की साइट पसन्द की और आशा है कि इस गढ़ के सामने की साइट के लिये श्रीमान् महाराजा साहब कोटा की तरफ से स्वीकृति मिल जावेगी। इससे राजस्थान को काफी लाभ होगा। लाभ यह होंगे:--

(१) दो लाख एकड़ जमीन की और ज्यादा सिंचाई होगी।

(२) नीचे की तरफ से लिफ्ट इरिगेशन द्वारा जो सिंचाई करनी पड़ती थी वह नहीं करनी पड़ेगी और वह (F) से हो सकेगी।

(३) कोटा के नागरिकों को यातायात की जो सुविधायें है वे बदस्तूर रहेंगी।

(४) चंबल के कंजवे को ऊंचा उठाने का जो खर्च लगेगा वह राजस्थान सरकार को नहीं करना पड़ेगा।

(५) चंबल के पहली साइट से डूबने वाले मकान आदि जो आवेंगे उसका मुआवजा नहीं देना पड़ेगा।

Page No.73

[श्री भोगीलाल पंड्या]

इसलिये ऊपरवाली बेराज की साइट पसन्द की गई है। इसका डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन हो चुका है और जियोलोजिकल्ली भी इसे बिल्कुल ठीक समझा गया है।

७ सितम्बर, १९५३, को नई दिल्ली में बेराज के लिये फाइनल डिजाइन्स और कास्ट तय होने के लिये मीटिंग है और उसके बाद अंतिम स्वीकृति हो जावेगी। पहले बेराज की साइट तय नहीं हुई थी अब तय होगी और इसीलिये अभी आरंभ में काम शुरू करने के लिये एक लाख रुपयों की मंजूरी की गई। महाराना प्रतापसागर डेम में मेसोनरी का काम होगा। कोटा से ३२ मील इस रवित भाटा में १२० फीट नीचे होगा और इसकी स्टोरेज केपेसिटी २.३५ मिलियन एकड़ फीट पानी की होगी और इससे ८२ हजार किलोवाट बिजली जेनरेट होगी।

गर्मी में रहने वाली चंबल की पानी की सतह से बेराज ११० फीट ऊंचा होगा, बेराज की दाहिनी बाजू का भाग मिट्टी का होगा और बांया भाग मेसोनरी का होगा जिसमें ५० फीट बांई ३७ फीट (५०'×३७') चौदह स्टील गेट्स होंगे, जो अधिक बाढ़ के समय ८ लाख ५० हजार कुसेब पानी बाहर फेंकेंगे।

राइट बेंक में केनाल बनेगी। यह नहर राजस्थान में मध्य भारत की सीमा तक पार्वती नदी तक ७६ मील लंबी होगी। पहले दो तीन मील तक सख्त पत्थर की चट्टानें काटनी होंगी और अलनिया काली सिंधल परबन और बानगंगा पार करनी पड़ेगी।

लेफ्ट बेंक में केनाल बनेगी। इस समय इसे मेज नदी तक ४५ मील ले जाने की योजना है। चंबल से १२ लाख एकड़ जमीन की सिंचाई होने की संभावना है और वह राजस्थान का ९ लाख कमाण्ड एरिया उसमें आ जाता है और उसमें हमको ६ लाख एकड़ जमीन के लिये पानी मिल सकेगा और यदि अधिक आवश्यकता हुई तो लेफ्ट बेंक केनाल को सवाई माधोपुर जिले में बनास नदी तक बढ़ाया जा सकेगा। राजस्थान में चंबल की नहरों से कोटा जिले का पाटना, बारोडल, इटावाल, पीपलदाल, मोगरोला, दीगोदल बारां, अनाल, लाडपुरा तहसीलों और बूंदी जिलों की बूंदी और टालौरा तहसीलों में सिचाई हो सकेगी।

कहने का मतलब यह है कि इस कार्य को जल्दी से जल्दी शुरू करना है। इसकी उपयोगिता के बारे में मैं ज्यादा क्या कहूं, माननीय सदस्य अच्छी तरह जानते हैं। मेरा विश्वास है कि आप इसके लिये एक लाख रुपयों की मंजूरी देंगे।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—मैं यह जानना चाहता हूं कि इससे पहले कितना खर्च हुआ, कितना समय लगेगा और अब कितना रुपया कुल खर्च होगा।

श्री भोगीलाल पंड्या—इसमें कुल १५ करोड़ २० लाख रुपया खर्च होगा।

राणा प्रतापसागर डेम पर		..	..	..	३ करोड़ ६० लाख
कोटा बेराज ..	..	..	..	..	३३४ लाख

[श्री भोगीलाल पंड्या]

कोटा राइट बैंक केनाल	५३४ लाख
कोटा लेफ्ट बैंक केनाल	१०४ लाख
डिस्ट्रीब्युटरीज एण्ड पाइनर्स इन राजस्थान	१६८ लाख
कुल	१५२० लाख ।

अब तक जो खर्च हुआ है उसका भी में निवेदन करूंगा:—

सन् १९५० के मार्च तक	११ लाख ९२ हजार ९९६ रुपये
सन् १९५१ से १९५२ तक	१४ लाख २० हजार १०३ रुपये
सन् १९५२	५ लाख ८१ हजार
सन् १९५२-५३	६ लाख २१ हजार ९८७ रुपये
सन् १९५३-५४ जुलाई के अन्त तक	१ लाख
कुल	३९,१९,०८९) रुपये

खर्च हुआ है ।

श्री अध्यक्ष—Shri Jawan Singh to move his Cut Motion. As the motion itself is too general so also the cut motion is too general.

श्री जवानसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं । मेरा कटौती प्रस्ताव इस प्रकार है :—

"That the demand for a supplementary sum of Rs. 1,00,000/- in respect of Major Head No. 68-Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage works be reduced by Rs. 100/- (to discuss inadequate provision for Irrigation")

अभी माननीय मंत्री महोदय ने सदन के सामने जो सुन्दर चित्र चम्बल योजना के बाबत प्रस्तुत किया है वह वाकई सुन्दर है और यदि यह योजना सफल हो जावेगी तो उस दिन वाकई राजस्थान को फायदा होगा लेकिन जैसा कि अभी उन्होंने अपने एक्सप्लेनेशन में बताया कि यह काम सन् १९४६ से शुरू है और हर साल कुछ न कुछ लाख रुपया खर्च होता आ रहा है और ज्यादा से ज्यादा इन्जीनियर लोग यहां पर गये और उन्होंने अपने अपने सुझावों से अलग अलग मौके बतलाये, उससे काम कब खतम हो? यह एक वाकई में हर्ष का विषय नहीं हो सकता । इतने लाख रुपये इसके केवल मौक चुनने पर खर्च किये गये । इसलिए इस वक्त यह भ्रम होता है कि शायद उसी रास्ते पर ये रुपये भी खर्च न हों और अगले साल यह प्रश्न पैदा हो कि नया मौका चुना गया है इसलिये इस ग्रान्ट में दुबारा दो लाख रुपया स्वीकार किये जावें । इसको मैं आपके सामने इसलिये रखता हूं कि उसको वापिस नहीं दोहराया जावे । मुझे अभी प्रश्नों के वक्त में वाकई भ्रम हो रहा था कि माननीय मंत्री, जो वाकई में इतने ज्यादा गंभीर हैं वे भी गंभीर चीज को टालने की कोशिश करें और कर सकते हैं उन्होंने मेरे प्रश्न

Page No.75

[श्री जवानसिंह]

में कृष्णावती नदी के एवज में कृष्णावती छपा हुआ था इसलिये उन्होंने उसको जवाब देने से टाल दिया। मैं अवश्य उम्मीद करता हूं कि जो कुछ वे बात कहते हैं केवल टालने के लिये नहीं कहते हैं उस काम को करने के लिहाज से कहते हैं।

मैं सदन के सामने इस खास चीज पर निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो एक लाख रुपयों का खर्च रखा गया है उसको ठीक तौर से उपयोग में लाया जावे। अगर इस वक्त भी सरकार को किसी तरह का शक हो कि यह मौका ठीक नहीं है तो उसको अच्छी तरह जांच करके तत्पश्चात् उस पर अमल किया जावे। क्योंकि जवाई बान्ध के शुरू में यह तय हुआ था कि हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर इससे बनाया जावेगा और उस योजना के बन जाने के बाद हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं किया गया। इसलिये मैं माननीय मंत्री को यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो सुन्दर चित्र हमारे सामने पेश किया उसे यथार्थ, वास्तविकता का रूप देने का प्रयास करें और सफलता प्राप्त करें तो अच्छा है।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—अध्यक्ष महोदय, यह मांग तो बहुत ज्यादा मांग है। ३६ लाख रुपये तो खर्च हो गये हैं और ३० लाख और खर्च होंगे। मंत्री महोदय ने बताया नहीं कि इतने समय में यह कार्य पूरा हो जावेगा मगर यह काम १२ साल से पहले खतम होने वाला नहीं। मैं समझता हूं कि ऐसी योजना होनी चाहिये जो एक साल में कार्यरूप में परिणित हो जावे और उस का फल मिल जाए। इतना रुपया खर्च करके यह काम जब तक होगा तब तक कौन जिएगा और कौन मरेगा।

एक सदस्य (कांग्रेस)—राजस्थान जिन्दा रहेगा।

श्री संतोषसिंह—इसलिये मेरा यह सुझाव है कि जो ५० हजार एकड जमीन के लिये ३६ लाख का जो खर्चा हुआ है उसके बदले बिलाडे में बिजली का प्लान्ट लगा दिया जावे तो ५० हजार बीघा जमीन में सिंचाई हो सकती है और जल्दी हो सकती है, जो इस योजना के अनुसार १२ साल में होगी। अभी धान की कमी है। धान की हमको जरूरत है इसलिये मैंने यह सुझाव रखा है। सरकार को वह काम करना चाहिये जो पहले फल देते हों और जरूरत के हों। हमें ऐसा काम करना चाहिये जिससे धान जल्दी लोगों को मिले। बड़ी योजनाएं राजस्थान के पास बहुत हैं............

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष—This point has already been brought to his notice.

श्री राज हिम्मतसिंह (अटरू)—अध्यक्ष महोदय, यह चम्बल प्रोजेक्ट से संबन्ध रखता है, इसलिये मैं अर्ज करना चाहता हूं। माननीय मंत्री ने जैसा कहा कि यह साइट करीब करीब तय हो चुकी है तो "करीब करीब" ही कहां तक चलता रहेगा और कब Finally तय होगा। इतने वर्षों से काम चल रहा है फिर भी अभी भी मिनिस्टर साहब ने यह फरमाया कि "करीब करीब तय हो चुका है"

[राजा श्री हिम्मतसिंह]

जब बांध की साइट बदल दी गई है तो क्या तय हुआ है ? मिनिस्टर साहब ने जो एक लाख रुपया खर्च करके यह मांग की है ।

दूसरा, मेरा अर्ज करने का मतलब यह है कि एक लाख रुपये जो खर्च किए गए हैं उसका व्यौरा नहीं बतलाया गया है कि वे कहां कहां खर्च किए गए हैं। खर्च हो चुका है और चाहते हैं कि मंजूरी दे दी जाय। बजट में ही इस एक्स्पेन्डीचर को रखा जा सकता था। मिनिस्टर साहब को चाहिए कि वे डेफिनेट डिसिशन तो लें। हम अखबारों में इस सम्बन्ध में पढ़ चुके हैं और अगर माननीय मंत्री जी इस सम्बन्ध में डेफिनेट पिक्चर दें तो हम उनको धन्यवाद देंगे।

तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि आप लोगों ने शायद अखबारों में पढ़ा होगा, मैंने तो पढ़ा है, कि पार्लियामेन्ट में इस पर एक सवाल उठा था जिस पर राजस्थान सरकार ने उस पर क्या ध्यान दिया। फाइनेन्स मिनिस्टर ने, अगर मैं गलत नहीं समझा हूं तो यह कहा था कि राजस्थान सरकार ने हमसे कोई डिमान्ड नहीं की है और इसीलिये लोन देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जब सेन्ट्रल गवर्नमेंट से कोई डिमान्ड नहीं की गई है तो यह एक लाख की डिमान्ड कैसे मंजूर कराई जा रही है। मैं यह अर्ज करूंगा कि यह कटमोशन बिलकुल वाजिब रखा गया है।

श्री अ०.—(श्री भोगीलाल पंड्या की ओर इशारा करते हुए) जवाब दीजिए।

श्री भोगीलाल पंड्या (सिंचाई मंत्री)—मेरे एक माननीय मित्र ने बताया कि विविभ इन्जीनियर्स द्वारा अलग अलग राय बताई गई है, अतः यह नहीं होना चाहिये था। इस सम्बन्ध में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जहां तक योजनाओं का सम्बन्ध है उनमें इस प्रकार की विशेषताएं होनी ही चाहिए। करोडों रुपये जिन योजनाओं पर खर्च किए जाते हैं उन पर अनेक आदमियों की राय, जो कि इन कामों के विशेषज्ञ होते हैं, लेना कोई हर्ज नहीं होता है। यह तो ऐसी योजनाओं के लिये अच्छा है। यह एक बुनियादी बात है और इसमें आपत्ति जैसी कोई बात नहीं है। विचार मैंने यह भी किया था कि अमेरिका के एक अनुभवी इन्जीनियर यहां आए हुए हैं उनको भी यह बता देना चाहिये जिससे कि हमारी योजना में किसी भी प्रकार की कमी न रह जाय। जितनी ज्यादा योजनाओं की जाँच कराई जावेगी उतना ही अच्छा रहेगा।

श्री जवानसिंह—ओन ए पोइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन, सर, मैं जानकारी के लिये यह कह दूं कि अगर जरूरत से ज्यादा नाई इकट्ठे हो जाते हैं तो खाना बिगड़ जाता है।

श्री भोगीलाल पंड्या (सिंचाई मंत्री)—मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम हेपहेजार्ड वे में कोई काम नहीं करना चाहते हैं। मैं नहीं चाहता कि किसी भी बड़ी योजना का पैसा फिजूल जाय और हम उसको कार्यान्वित न कर सकें। जो खर्चा आपको बताया गया है वह खर्चा मौके पर मकान बनाने, सडकें ठीक करने और साइट वगैरह में हुआ है। अगर माननीय सदस्य चाहें तो मैं इस सम्बन्ध

[श्री भोगीलाल पंड्या]

में ब्यौरेवार भी बता सकता हूं। कृष्णापल्ली और त्रिचनापल्ली के सम्बन्ध में मैंने कोई बात नहीं कही। मजाक में ही मुझे जो पूछा गया था उसका मैंने मजाक में ही उत्तर दिया था जिसकी कि आवश्यकता थी।

आपने यह भी बताया कि जवाई हाईड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर की योजना थी किन्तु पॉवर नहीं मिला। मैं आपसे इस संबंध में वही बात कहूंगा कि जब जांच होकर, पूरी जांच होकर कार्य होता है तो इस तरह की बातें नहीं आया करती हैं। खूब जांच कराई जा रही है कि जो योजना है उसके माफिक काम हो सकता है या नहीं। मेरे माननीय मित्रों ने यह भी बताया कि कब तक काम होगा और ऐसे कामों पर क्यों खर्चा किया जाय। बिलाड़ा तहसील अच्छी योजना है और रुपया खर्च करने पर अच्छा कार्य होगा।

राजस्थान सरकार पांच करोड़ तीन लाख रुपया सिंचाई पर खर्च करने जा रही है और दो करोड़ पांच लाख रुपये माइनर इरिगेशन पर खर्च करने जा रही है और आशा तो यह है कि इसके सिवाय मिडियम इरिगेशन पर भी खर्चा करेगी। जो ४।। प्रतिशत में आवेंगी उन योजनाओं को पूरा करने का प्रयत्न किया जावेगा। बहुत सारी योजनाओं पर कार्य शुरू कर दिया गया है। माइनर इरिगेशन और मिडियम इरिगेशन पर जो रुपया मिला है उसको भी काम में लिया जावेगा। अगर बिलाड़ा से ४।। पर्सेन्ट रिटर्न न आया तो इसके लिये मैं माफी चाहूंगा। यदि मेरे माननीय मित्र चाहेंगे तो आगे हो जायगा। साढ़े चार ५र्सेन्ट में जितना आता है उतना ले लिया जावेगा और बाकी श्रमदान देना होगा। सरकार रुपया खर्च करेगी किन्तु अगर माननीय सदस्यों द्वारा इस ओर दिलचस्पी ली जायगी तो अधिक सफलता मिल सकती है।

मेरे एक मित्र ने यह बताया कि राजस्थान सरकार ने चंबल के लिये रुपयों की भारत सरकार से मांग नहीं की। मैं आपको बताऊं कि राजस्थान सरकार बराबर चंबल को पंच वर्षीय योजना में लाने के लिये भरसक प्रयत्न करती रही है और उसके प्रयत्नों के कारण ही इस योजना को पंच वर्षीय योजना में लिया गया है। सेन्ट्रल से रुपया देने के लिये प्रार्थना की गई है। राजस्थान सरकार ने तो यहां तक तैयारी कर ली है कि देरी से रुपया मिलेगा तब भी स्माल सेविंग्स से रुपया प्राप्त कर इस कार्य को जल्दी से जल्दी शुरू कर दें। आप भी भरसक प्रयत्न करें कि हम अधिक से अधिक रुपया इकट्ठा करें और इस कार्य को जल्दी से जल्दी शुरू करें।

सारी बातें जो मेरे मित्रों ने उठाई हैं उनका मैं जवाब दे चुका हूं। चंबल एक उपयोगी कार्य है और एक लाख की जो मांग की गई है उसको आप मंजूर करेंगे ऐसी आशा है; तथा आप अपना कट मोशन वापिस लेंगे।

श्री जवानसिंह—हमारे विकास मंत्री महोदय ने जो आश्वासन दिया है कि विचारपूर्वक खर्चा किया जावेगा तो मैं सदन से निवेदन करता हूं कि मुझे मेरा कट मोशन वापिस लेने की अनुमति प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष—Is it the leave of the house to allow Shri Jawansingh to withdraw his cut motion.

(स्वीकृत)

The leave is granted.

श्री जवानसिंह—मैं मेरे कटौती के प्रस्ताव को वापिस लेता हूं ।

श्री अध्यक्ष—Now the question is : "that a supplementary sum not exceeding Rs. 1,00,000/- be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1954, in respect of grant No XLVII, Major Head,68-Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage works."

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

(विराम)

Yes, Shri Jai Narain Vyas.

राजस्थान विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १९५३

श्री जयनारायण व्यास—Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State for the service of the year ending on the 31st day of March, 1954.

श्री अध्यक्ष—Motion moved.

(विराम)

Is it the leave of the House to grant leave to the introduction of the Appropriation Bill ?

स्वीकृत

The leave is granted.

श्री जयनारायण व्यास—Sir, I introduce the Bill.

अ—शासनीय-सदस्य-कार्य का कार्य-क्रम

श्री अध्यक्ष—Before we adjourn for tomorrow I want to add that as tomorrow is a Friday, we might allot one hour for Private Members' Business. But I am told that the necessary ballots have not been taken place and hence it is not possible to take up the Resolution and Bills which have been received from the non-official members. So we will consider them next time.

We now adjourn till tomorrow 8.30 A.M.

दर्शकों द्वारा विधान सभा भवन में पर्चे बांटना अवैधानिक

श्री जयनारायण व्यास--अध्यक्ष महोदय; पहले इसके कि हम डिसपर्स (disperse) हों मैं एक बहुत जरूरी बात माननीय सदस्यों के ध्यान में लाना चाहता हूं। आज एक साहब यहां अपने कंपाउन्ड में एक पर्चा बांटते हुए पाये गये। मालूम यह हुआ कि वह एक विजिटर थे और किसी माननीय सदस्य के, जिनके बारे में आप (अध्यक्ष महोदय) जांच करें, द्वारा यहां आये थे। माननीय सदस्य के जरिये से भी आये हुए हों वह व्यक्ति हमारे एसेम्बली के कंपाउन्ड में, जहां कि सरकार के लॉ एण्ड आर्डर का भी किसी तौर पर दखल नहीं है, ऐसे पर्चे बांटे यह ठीक नहीं है और अध्यक्ष महोदय, अगर कोई सदस्य अपने किसी आदमी को लावें तो उनके बारे में खयाल करके लायें तो ज्यादा अच्छा हो। मैं वह पर्चा आपकी सेवा में उपस्थित करता हूं।

श्री हिम्मतसिंह--मैं अर्ज करता हूं कि यह कोई ज्यादा इंपोर्टेंट बात नहीं थी। कल भी कही जा सकती थी। हमारा एक मिनिट यों ही खराब हुआ।

श्री अध्यक्ष--मैं बतलादूं कि इस सदन की मर्यादायें और इसका सम्मान और इसकी परम्परायें रखना इस सदन के सदस्यों का पहला कर्तव्य है और उनको अधिकार है कि वे अपनी रिकमन्डेशन से, अपनी सिफारिश से दर्शकों को ला सकते हैं किन्तु साथ ही साथ उनकी यह जिम्मेदारी हो जाती है कि वे ऐसे दर्शक को न लावें जो सदन के किसी भी फिर्के को या सदन के किसी भी पक्ष की भावनाओं को, सदन की मर्यादा को और उसकी आन को ठेस पहुंचायें और ऐसी कोई कार्यवाही करें जो यहां पार्टीबाजी का अखाड़ा ही बना दें और तरह तरह की पेम्फलेटबाजी करें।

तो मैं माननीय सदस्यों से यही आशा करूंगा कि जो बात आज हो गई है वह आइन्दा न हो। इन शब्दों के साथ कल प्रातः ८।। बजे के लिये सदन की बैठक स्थगित करता हूं।

(१२ बज कर ४५ मिनट पर सदन की कार्यवाही, कल प्रातः साढे आठ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक--१ सितम्बर, १९५३

मनसाराम पुरोहित,
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।